

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व
एवं
सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.)
पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2016 की प्रतिवेदन सं. 5

विषय सूची

विवरण	संदर्भ में	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राककथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय - I: राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.1.2	2
कर निर्धारण में बकाया	1.1.3	3
विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन	1.1.4	3
कर वापसी के बकाया मामलों का विवरण	1.1.5	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.1.6	4
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.1.7	6
लेखापरीक्षा योजना	1.1.8	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.1.9	7
राजस्व अध्याय का कवरेज	1.1.10	8
व्यापार एवं कर विभाग		
राजस्व के बकायों की वसूली की प्रणाली	1.2	8
कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति	1.3	18
मांग की गैर वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	1.4	19
राजस्व विभाग		
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	1.5	20
अध्याय - II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	2.1.1	21
उत्तरदायित्व संरचना	2.1.2	21
सांविधिक लेखापरीक्षा	2.1.3	22
सरकार और विधानमंडल की भूमिका	2.1.4	22

विवरण	संदर्भ में	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी	2.1.5	22
राज्य सा.क्षे.उ.में निवेश	2.1.6	23
वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल	2.1.7	24
वित्त लेखों से मिलान	2.1.8	24
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया	2.1.9	25
सा.क्षे.उ. का उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार कार्य निष्पादन	2.1.10	26
लेखों पर टिप्पणियां	2.1.11	28
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	2.1.12	29
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	2.1.13	30
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	2.1.14	30
सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	2.1.15	30
कोगू के प्रतिवेदनों का अनुपालन	2.1.16	31
सा.क्षे.उ. का विनिवेश, नवीनीकरण और निजीकरण	2.1.17	31
अध्याय का कवरेज	2.1.18	31
निष्पादन लेखापरीक्षा और लेन—देन लेखापरीक्षा		
पॉवर विभाग		
'दिल्ली की पॉवर उत्पादन कंपनियों की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	32
वित्त विभाग		
दिल्ली वित्तीय निगम की कार्यप्रणाली	2.3	49
पॉवर विभाग		
निपटान में विलंब	2.4	55
खरीदारी में समन्वय की कमी	2.5	56
पेशन ट्रस्ट को परिहार्य भुगतान	2.6	57
पर्यटन विभाग		
निजी प्रचालकों से पार्किंग शुल्कों की गैर वसूली	2.7	58
परिवहन विभाग		
रियायत शुल्क की कम वसूली	2.8	60

अनुलग्नक

सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
2.1 (i)	राज्य सरकार द्वारा उन सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया थे, में निवेशों को दर्शाती विवरणी	2.1.9	63
2.1 (ii)	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की उनके नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों का सार	2.1.10	65
2.2क	इं.पा.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.2.2	68
2.2ख	इं.पा.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के कार्यशील परिणामों को दर्शाती विवरणी	2.2.2	72
2.3	इं.पा.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के नकद अंतर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह को दर्शाती विवरणी	2.2.4	76
2.4	इं.पा.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों में ईधन की अत्यधिक खपत को दर्शाती विवरणी	2.2.6.1 (ग)	77
2.5	इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रचालनीय निष्पादन को दर्शाती विवरणी	2.2.6.3 (क) एवं (ग)	80
2.6	इं.पा.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों के संबंध में क्षमता प्रभारों (वार्षिक रथायी लागत) की कम वसूली को दर्शाती विवरणी	2.2.6.3 (ख)	82
2.7	इं.पा.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों में आऊटेज की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.2.6.4	84
2.8	इं.पा.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों में अधिक सहायक ऊर्जा खपत को दर्शाती विवरणी	2.2.6.5	86
2.9	दिल्ली वित्तीय निगम के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों का सारांश	2.3.1	88

प्राक्कथन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय—I** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्षण 16 के अंतर्गत संचालित की जाती है तथा इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्षण 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यह अध्याय 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों जैसे बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर तथा मोटर वाहनों पर कर की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-II** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के सेक्षण 619 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्षण 139 तथा 143 के अंतर्गत तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के अंतर्गत नि.म.ले.प. के द्वारा संचालित की जाती है। सरकार से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्षण 19 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को प्रस्तुत करें।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2015–16 के दौरान लेखों की नमूना जांच के दौरान संज्ञान में आए साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2015–16 के बाद की अवधि के मामले जो वर्ष 2015–16 से संबंधित हैं, जहां आवश्यक है वहां सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.ज.) के लेखापरीक्षा प्राप्तियों से संबंधित दो अध्याय सम्मिलित हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में कम मूल्यांकन, कम भुगतान/राजस्व की हानि, ब्याज एवं जुर्माना से संबंधित ₹ 122.97 करोड़ के चार पैराग्राफ, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों (सा.क्षे.ज.) से संबंधित अध्याय II में ₹ 957.35 करोड़ का एक निष्पादन लेखापरीक्षा और छः पैराग्राफ हैं। इस प्रतिवेदन का कुल धन मूल्य ₹ 1,080.32 करोड़ है। कुछ प्रमुख प्राप्तियों का उल्लेख नीचे दिया गया है

अध्याय - I: राजस्व क्षेत्र

वर्ष 2015-16 के लिए सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, वर्ष 2014-15 के ₹ 29,584.59 करोड़ की तुलना में ₹ 34,998.85 करोड़ थीं। इसमें से 88 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 30,225.16 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹ 515.40 करोड़) से उद्ग्रहित किए गए। शेष 12 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 4,258.29 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। कर राजस्व में वृद्धि 13.61 प्रतिशत तथा गैर-कर राजस्व में कमी पिछले वर्ष की तुलना में 18.52 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2015-16 में आयोजित व्यापार एवं कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, परिवहन एवं राजस्व विभाग की 80 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में ₹ 164.17 करोड़ के 459 मामलों में कम मूल्यांकन/कम उद्ग्रहण/राजस्व घाटा और अन्य कमियां पाई गई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 2015-16 की लेखापरीक्षा में इंगित ₹ 7.02 करोड़ के कम मूल्यांकन और अन्य कमियों को स्वीकार किया और ₹ एक लाख की वसूली की।

(पैराग्राफ 1.1.9)

व्यापार एवं कर विभाग और उत्पादन शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग

राजस्व बकायों के वसूली की प्रणाली

विभागों के भूमि राजस्व के बकायों जैसा कि संबंधित अधिनियमों में दिया गया है की वसूली के प्रयासों की संवीक्षा अप्रभावी मॉनीटरिंग तथा चूककर्त्ताओं के विवरणों के अपर्याप्त रखरखाव; विभाग की बकायों का अनुसरण एवं वसूली करने की क्षमता की अनिश्चितता को उजागर करती है। सरकारी बकायों की वसूली से संबंधित प्रावधानों को समयपूर्वक लागू करने में गंभीरता की स्पष्ट कमी थी जिसके परिणामस्वरूप व्यापार एवं कर विभाग में 2012-13 के प्रारंभ में ₹ 15,249.16 करोड़ से बकायों में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 2014-15 के अंत में यह ₹ 20,039.34 करोड़ हो गई। व्यापार एवं कर विभाग और उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में लंबित मांगों के मामलों में वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी तथा प्रणाली में अंतर्निहित त्रुटियों का गलत और कमजोर आंतरिक निरीक्षण, अनुचित ढंग से भुगतान को दर्शाना और प्रणाली निर्माण त्रुटि के

परिणामस्वरूप मांगों की वसूली नहीं हुई। मूल्यवर्द्धित कर में ₹ 80.53 लाख की वापसी को अनुमोदन दिया गया जबकि डीलरों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में मांग व वसूली पंजिका का उचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा था जिससे राजस्व के भुगतान और बकायों की निगरानी की जा सके।

(पैराग्राफ 1.2)

दो निर्धारितियों द्वारा 'सी' प्रपत्रों पर रियायती दर की अस्थीकार्य अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ, ₹ 0.39 करोड़ का ब्याज और ₹ 0.57 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.3)

विभाग उन डीलरों से जिनका पंजीकरण निरस्त हो चुका था, ₹ 2.84 करोड़ की मांग की वसूली कर पाने में असमर्थ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज का घटा भी हुआ।

(पैराग्राफ 1.4)

सब-रजिस्ट्रार द्वारा क्षेत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 36.44 लाख के स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.5)

अध्याय - II: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2016 तक 15 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों समेत 17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। 31 मार्च 2016 तक इन 17 सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 27,289.04 करोड़ था। इस कुल निवेश में 35.24 प्रतिशत पूँजीगत और दीर्घावधि ऋणों का 64.76 प्रतिशत था। कुल निवेश 2.37 प्रतिशत घटा और 2011-12 में ₹ 27,951.87 करोड़ से घट कर 2015-16 में ₹ 27,289.04 करोड़ हो गया। सरकार ने 2015-16 के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. को इकिवटी, ऋण और अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करने में ₹ 1,904.41 करोड़ का योगदान किया।

(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.7)

बकाया लेखों की संख्या 16 (2011-12) से बढ़कर 27 (2015-16) हो गई। 30 सितम्बर 2016 तक एक सा.क्षे.उ. दिल्ली अ.जा./ अ.ज.जा/ अ.पि.व/ अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के पास 12 वर्षों के बकाया लेखे थे जबकि अन्य सा.क्षे.उ. के बकाए एक से तीन वर्ष तक के थे।

(पैराग्राफ 2.1.9)

17 सा.क्षे.उ. में से 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का लाभ कमाया और चार सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,917.77 करोड़ की हानि हुई। एक सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर बनाए।

(पैराग्राफ 2.1.10)

अक्तूबर 2015 से सितंबर 2016 की अवधि के दौरान प्राप्त 11 लेखों के संबंध में चार लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अयोग्यता प्रमाणपत्र दिए गए, छ: लेखों को योग्यता प्रमाणपत्र और एक लेखे के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे सही और निष्पक्ष रिथ्टि नहीं दर्शाते) दिया गया।

(पैराग्राफ 2.1.11)

पॉवर विभाग

दो पॉवर उत्पादन कंपनियों, इंद्रप्रस्थ पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.उ.क.लि.) तथा प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्र.पॉ.कॉ.लि.) की कार्यप्रणाली की 2011-12 से 2015-16 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिसमें पावर की कम शेड्यूलिंग, अनियोजित मेजर शटडाउन एवं मरम्मत तथा रखरखाव में देरी के कारण क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों में कमियां, ईंधन की ज्यादा खपत तथा उत्पादन लक्ष्यों की गैर प्राप्ति का पता चला। कुछ मुख्य प्राप्तियां निम्न प्रकार हैं:

डिस्कॉम से वसूलनीय ₹ 4,911.07 करोड़ के बकाया बिलों से इं.पॉ.उ.क.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के नकद प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ा और कंपनियों को बड़ी मात्रा में अल्पकालीन ऋणों का सहारा लेना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.2.2 और 2.2.4.1)

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक योजनागत 3,340 मेगावाट के छ: पॉवर प्लांटों में से मात्र 1,500 मेगावाट प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना को चालू किया गया है जबकि बाकी सभी परियोजनाओं को गैस या भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थगित थी। परियोजना के ब्लॉक-I और ब्लॉक-II के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी न करने के कारण और परियोजना को चालू करने में देरी के कारण प्र.पॉ.कॉ.लि. ₹ 474.32 करोड़ की वसूली शुल्क में नहीं कर पाया और यह इकिवटी पर ₹ 163.32 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल का लाभ भी नहीं ले सका।

(पैराग्राफ 2.2.5 और 2.2.5.1)

पॉवर प्लांट का प्रचालनात्मक निष्पादन उप-इष्टतम था। प्लांटों की सकल स्टेशन उष्मा दर मानकों से ऊंची थी जिससे ₹ 125.92 करोड़ के अधिक ईंधन का उपभोग हुआ। राजघाट पॉवर हाउस, गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन और प्र.पॉ.स्टे.-III लक्षित प्लांट उपलब्धता तक नहीं पहुंच पाए जिससे ₹ 616.87 करोड़ के क्षमता प्रभारों की वसूली कम हुई। इसके अतिरिक्त, इन पॉवर प्लांटों की सहायक ऊर्जा उपभोग मानकों से अधिक थी जिससे ₹ 48.04 करोड़ के मूल्य वाले 154.75 एम.यू. का अधिक उपभोग हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.6.1 (ग), 2.2.6.3 (ख) और 2.2.6.5)

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मानकों के अनुपालन हेतु कोई कार्य योजना बनाए बिना रा.पॉ.हा. की इकाई-2 का ओवरहॉलिंग आरंभ किया जिसके परिणामस्वरूप प्लांट निष्क्रिय पड़ा रहा तथा जिसके ओवरहॉलिंग पर किया गया ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

वित्त विभाग

दिल्ली वित्त विभाग न केवल लघु उद्योग के उन्नयन व विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा बल्कि सिमटते कारोबार पर काबू पाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाने का निर्णय समय से लेने में विफल रहा। निगम के कारोबार में कमी ₹ 14.69 करोड़ का संभावित व्यापार न किये जाने के कारण हुई। निगम ने ₹ 0.81 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए अपने मुख्य व्यावसायिक कार्यालय के अतिरिक्त स्थान को किराए पर नहीं चढ़ाया।

(पैराग्राफ 2.3)

पॉवर विभाग

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड

- स्क्रैप के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ का अवरोध और ₹ 1.71 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.4)

- ट्रांसफार्मरों की खरीद और उनसे जुड़ी बेज के अधिष्ठापन कार्य की गतिविधियों में तारतम्यता के अभाव में ₹ 13.15 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ और साथ ही ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.5)

- डिस्कॉम से दावा करने के बजाय पेंशन ट्रस्ट को ₹ 29.97 करोड़ के टीडीएस का परिहार्य भुगतान करने के कारण निधि का अवरोधन तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6)

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड ने निजी प्रचालकों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ के पार्किंग शुल्कों के भुगतान से संबंधित करार के शर्तों को लागू नहीं किया यद्यपि इसने राजस्व अंश के भुगतान के लिए स्थगन काल के विस्तार की रियायत देकर ₹ 1.20 करोड़ की आय छोड़ दी।

(पैराग्राफ 2.7)

परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड करार के अनुरूप रियायत शुल्क की वसूली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ की कम वसूली हुई। रियायत शुल्क के देरी से भुगतान करने पर ₹ 1.49 करोड़ का ब्याज प्रभारित करने में भी यह विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.8)

अध्याय I

राजस्व क्षेत्र

अध्याय - I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व, राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क के शुद्ध लाभों के राज्य अंश और वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं पिछले चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े तालिका-1.1 में नीचे दिए गए हैं।

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व					
	कर राजस्व	19,971.67	23,431.52	25,918.69	26,603.90	30,225.16
	गैर-कर राजस्व	460.87	626.93	659.14	632.55	515.40
	योग	20,432.54	24,058.45	26,577.83	27,236.45	30,740.56
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	सहायता अनुदान	1,960.64	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	22,393.18	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85
4.	1 से 3 तक की प्रतिशतता	91	94	95	92	88

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा वसूल किया गया राजस्व (₹ 30,740.56 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 88 प्रतिशत था। 2015-16 के दौरान शेष 12 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान थीं।

1.1.1.2 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व का विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है।

तालिका-1.2 : उत्थित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब.आ. ¹	वास्तविक	ब.आ	वास्तविक	ब.आ	वास्तविक	ब.आ	वास्तविक	ब.आ	वास्तविक	2015-16 के ब.आ. पर अपेक्षा 2015-16 में वास्तविक	
1	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	14,000.00	13,750.95	16,500.00	15,803.68	18,200.00	17,925.71	19,000.00	18,289.31	21,000.00	20,245.82	(-)3.59	(+)10.70
2	राज्य उत्पाद शुल्क	2,400.00	2,533.72	3,000.00	2,869.74	3,200.00	3,151.63	3,550.00	3,422.39	4,500.00	4,237.69	(-)5.83	(+)23.82
3	स्टॉम्प ड्यूटी	2,399.97	2240.25	3,799.97	3,098.06	3,799.98	2,969.07	2,938.15	2,779.88	3,449.98	3,433.60	(-)0.47	(+)23.52
4	मोटर वाहनों पर कर	950.00	1,049.19	1,370.00	1,240.18	1,400.00	1,409.27	1,600.00	1,558.83	1,700.00	1,607.01	(-)5.47	(+)3.09
5	अन्य	378.00	397.54	487.00	419.84	475.00	463.00	520.00	491.70	720.00	700.53	(-)2.70	(+)42.47
6	भू-राजस्व	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	61.85	61.79	0.02	0.51	(+)2450.00	(-)99.17
कुल		20,128.00	19,971.66	25,157.00	23,431.51	27,075.00	25,918.69	27,670.00	26,603.90	31,370.00	30,225.16		

स्रोत: वित्त लेखे

¹बजट अनुमान

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य उत्पाद शुल्क तथा मोटर वाहन कर के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान (ब.अ.) से क्रमशः 5.83 तथा 5.47 प्रतिशत तक कम हुई। बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक प्राप्तियां 10.70 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 18,289.31 करोड़ से ₹ 20,245.82 करोड़ हो गई जबकि भू-राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 99.17 प्रतिशत की कमी के साथ ₹ 61.79 करोड़ से ₹ 0.51 करोड़ हो गया।

परिवहन विभाग ने बताया कि राजस्व संग्रहण में कमी का कारण 2000 सीसी से अधिक के डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध था।

1.1.1.3 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका-1.3 में इंगित किया गया है।

तालिका-1.3: उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2014-15 की अपेक्षा 2015-16 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	
1	ब्याज प्राप्तियां	369.81	174.14	473.54	340.03	754.50	379.35	604.00	350.52	173.16	82.53	(-)52.34
2	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	41.00	47.56	44.24	54.32	65.00	63.05	73.00	58.20	129.23	125.88	(-)2.59
3	लोक निर्माण	20.00	26.15	23.10	25.55	20.00	18.59	17.50	14.74	19.00	18.47	(-)2.79
4	पॉवर	15.00	12.12	14.00	9.93	22.01	18.46	24.01	16.38	32.01	42.06	(+)31.40
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	78.00	92.93	91.00	95.60	115.00	91.04	112.17	98.91	106.18	89.43	(-)15.78
6	अन्य गैर-कर प्राप्तियां	116.66	107.97	123.66	101.50	111.42	88.65	133.32	93.79	109.42	157.03	(+)43.51
कुल		640.47	460.87	769.54	626.93	1,087.93	659.14	964.00	632.54	569.00	515.40	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज प्राप्तियां तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं के शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से क्रमशः 52.34 प्रतिशत तथा 15.78 प्रतिशत तक कम हो चुकी थीं। वर्ष 2015-16 के लिए चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य एवं पॉवर शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 116.29 प्रतिशत एवं 156.78 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी थी जबकि ब्याज प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में 76.45 प्रतिशत की कमी हुई।

संबंधित विभागों ने विचलनों का विस्तृत कारण प्रस्तुत नहीं किया था (नवंबर 2016)।

1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक ₹ 24,517.22 करोड़ राशि का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 14,312.14 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था जैसा नीचे तालिका-1.4 में दिया गया है।

तालिका—1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2016 तक 5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	24,244.89	14,312.14	राजस्व बकायों के कारणों को विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
2.	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	272.33	0.00	न्यायालय में लंबित
कुल		24,517.22	14,312.14	

1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु बकाया होने वाले मामलों, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों तथा व्यापार एवं कर विभाग और राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग द्वारा यथाप्रस्तुत वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण नीचे तालिका-1.5 में दिया गया है।

तालिका—1.5: कर निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2015–16 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	बकाया कुल निर्धारण	2015–16 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	57	4,15,554	4,15,611	4,15,611	0	100
राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	1,461	18	1,479	7	1,472	0.47

स्रोत: व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग

निर्धारण मामलों के निपटान की प्रतिशतता राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग के संबंध में 0.47 प्रतिशत थी।

1.1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

2015–16 के दौरान, प्रवर्तन शाखा (व्यापार एवं कर विभाग) ने खोज के आधार पर 361 मामलों का पता लगाया तथा ₹ 169.49 करोड़ की मांग उत्थित की तथा उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग ने 18 मामलों का पता लगाया तथा आठ मामलों में ₹ 166.28 करोड़ की मांग उत्थित की।

1.1.5 कर वापसी के बकाया मामलों का विवरण

वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में लंबित कर वापसी के मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2015-16 के अंत में लंबित मामलों की संख्या जैसा व्यापार एवं कर विभाग द्वारा बताया गया है, को नीचे तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: कर वापसी के बकाया मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		मनोरंजन कर		स्टाम्प एवं पंजीकरण	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	3,876	139.15	शून्य	शून्य	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,163	157.07	24	0.73	743	30.49
3	कुल दावे	8,039	296.22	24	0.73	743	30.49
4	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ	7,299	253.91	06	0.13	प्रस्तुत नहीं किया गया	26.04
5	कुल दावे से वापसियों की प्रतिशतता	90.79	85.72	25	17.81	प्रस्तुत नहीं किया गया	85.41
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	740	42.31	18	0.60	प्रस्तुत नहीं किया गया	4.45

यदि अधिक राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम (दि.मू.व.क. अधिनियम) का सेक्षन 42 सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है। निर्धारित अवधि के अन्दर दावों की वापसियाँ न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।

1.1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (म.ले.) नियमों तथा प्रक्रियाओं में जैसा निर्धारित है, के अनुसार लेन-देनों की नमूना जांच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण को संचालित करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए आगे उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ निरीक्षित कार्यालय के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन के जरिए अनुसरण होता है। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार से नि.प्र. में दर्शाई गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर म.ले. को अनुपालना प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भेजा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2016 तक उनकी स्थिति नीचे तालिका-1.7 में सारणीबद्ध की गई है।

तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अंत शेष		
		नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि
1.	2006-07	424	4,250	1,253.72	64	880	320.51	265	2,548	543.25	223	2,582	1,030.98
2.	2007-08	223	2,582	1,030.98	62	1329	1,077.42	79	1,266	349.89	206	2,645	1,758.51
3.	2008-09	206	2,645	1,758.51	89	2265	1,748.24	6	429	413.39	289	4,481	3,093.36
4.	2009-10	289	4,481	3,093.36	108	2972	2,900.71	11	301	218.47	386	7,152	5,775.60
5.	2010-11	386	7,152	5,775.60	54	2009	1,831.89	85	564	434.09	355	8,597	7,173.40
6.	2011-12	355	8,597	7,173.40	96	2204	3,079.27	24	657	394.02	427	10,144	9,858.65
7.	2012-13	427	10,144	9,858.65	104	1610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
8.	2013-14	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	-	558	11,941	11,595.76
9.	2014-15	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12,288	11,747.93
10.	2015-16	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	09	129	4.12	690	12,617	11,796.04

2006-07 में ₹ 1,253.72 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए 4,250 पैराग्राफ थे परन्तु वर्ष 2015-16 के अंत में ₹ 11,796.04 करोड़ की धनराशि को शामिल करते हुए लंबित पैराग्राफों की संख्या बढ़कर 12,617 हो गई जिससे यह संकेतित होता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

1.1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तीव्र करने एवं निगरानी हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। यद्यपि, वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर, परिवहन तथा राजस्व विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को आवधिक बैठकें आयोजित करनी चाहिए तथा बकाया पैराग्राफों के निपटान हेतु ठोस प्रयास करने चाहिए।

1.1.6.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

कर राजस्व कार्यालयों के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरंभ करने से एक माह पूर्व विभागों को सूचनाएं जारी कर दी जाती हैं, जिससे विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखे।

व्यापार एवं कर विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान मांगी गई 11,202 फाइलों/मामलों में से 8,813 निर्धारण फाइलों/मामलों (79 प्रतिशत) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्वाई-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्वाई प्रारंभ करें तथा उन पर एक्शन टेक्न नोट्स (ए.टी.एन.) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के चार महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। यद्यपि, 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2015 को समाप्त वर्षों हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व

क्षेत्रों पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में शामिल 33 पैराग्राफों तथा छ: निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) के संदर्भ में प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. विलंबित थे जिन्हे राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2012 से जून 2016 के बीच रखा गया। संबंधित विभागों से इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के संबंध में ए.टी.एन. छ: माह की औसत देरी से प्राप्त हुए। 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में विभागों से 18 पैराग्राफों तथा तीन नि.ले.प. से संबंधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए जैसा नीचे तालिका—1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका—1.8: पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ए.टी.एन. का विवरण

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	प्रतिवेदन में छपे पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1	2011	12+3 (नि.ले.प.)	10+1 (नि.ले.प.)
2	2012	16+1 (नि.ले.प.)	3+0 (नि.ले.प.)
3	2013	2+1 (नि.ले.प.)	2+1 (नि.ले.प.)
4	2014	3+0 (नि.ले.प.)	3+0 (नि.ले.प.)
5	2015	0+1 (नि.ले.प.)	0+1 (नि.ले.प.)
कुल		33+6 (नि.ले.प.)	18+3 (नि.ले.प.)

लो.ले.स. ने 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों पर चर्चा नहीं की।

1.1.7. स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफ तथा वसूल की गई धनराशि को नीचे तालिका—1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका—1.9: शामिल, स्वीकृत तथा वसूल की गई राशि के पैराग्राफों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की धनराशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)	वर्ष 2015–16 के दौरान वसूली (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2016 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में)	वसूली की प्रतिशतता
2005-06	20	177.85	13	18.44	-	0.06	0.33
2006-07	16	254.93	13	209.06	-	0.27	0.13
2007-08	11	945.52	7	28.17	-	0.18	0.64
2008-09	15	1,729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1,764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1,479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
2014-15	1	1.34	1	1.34	0.02	0.02	1.49
कुल	119	9,350.94	57	583.50	0.02	2.35	0.40

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वसूली की प्रगति, यहां तक कि स्वीकृत मामलों में भी, नगण्य थी। वर्ष 2005–06 से 2014–15 के प्रतिवेदनों में ₹ 9,350.94 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा प्राप्तियां शामिल थी, जिसमें से ₹ 583.50 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थीं। यद्यपि केवल ₹ 2.35 करोड़ (0.40 प्रतिशत) की राशि विभाग द्वारा वसूल की गई।

विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में बकाया राशि की वसूली का अनुसरण तथा निगरानी हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए।

1.1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति लेखापरीक्षा की पिछली प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य तथा केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 153 इकाइयां थीं, जिनमें से 80 इकाइयों की योजना की गई तथा लेखापरीक्षा की गई।

1.1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.9.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015–16 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 80 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिसमें 459 पैराग्राफों में शामिल ₹ 164.17 करोड़ का अवनिधारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया जैसा नीचे तालिका—1.10 में श्रेणीबद्ध किया गया है।

तालिका—1.10: श्रेणीवार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	पैराओं की संख्या	राशि
बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर			
1	राजस्व बकाया के संग्रहण के लिए पद्धति	1	116.76
2	मांग की गैर वसूली तथा परिणामस्वरूप व्याज की हानि	3	3.47
3	कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति	2	1.54
4	अन्य अनियमितताएं	237	36.44
कुल		243	158.21
मोटर वाहन कर			
1	विविध अनियमितताएं	72	-
कुल		72	-
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर			
1	क्षेत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	2	0.36
2	अन्य अनियमितताएं	142	5.60
कुल		144	5.96
कुल योग		459	164.17

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 164.17 करोड़ के राजस्व कम गैर उद्ग्रहण के मामलों को इंगित किया जिसमें से संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की राशि ₹ 7.02 करोड़ को स्वीकार किया तथा ₹ एक लाख की राशि की वसूली की जिसे 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया।

1.1.10 राजस्व अध्याय का कवरेज

इस अध्याय में ₹ 122.97 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को शामिल करते हुए चार पैराग्राफ हैं। विभाग ने ₹ 7.02 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिसमें से ₹ एक लाख की वसूली की गई। पैराग्राफ सरकार को भेजे गए, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

1.2 राजस्व के बकायों की वसूली की प्रणाली

व्यापार एवं कर विभाग में बकाया राशि 2012–13 के प्रारंभ में ₹ 15,249.16 करोड़ से 31 प्रतिशत बढ़कर 2014–15 के अंत में ₹ 20,039.34 करोड़ हो गई। व्यापार एवं कर विभाग तथा उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में लंबित मांग मामलों में वसूली प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया गया जिसका अर्थ निहित प्रणाली में कमियां तथा कमजोर आंतरिक जांच का होना है। भुगतानों के अनुचित प्रतिफल तथा प्रणाली डिजाइन के दोष के परिणामस्वरूप मांगों की वसूली नहीं हुई। मूल्य वर्धित कर में ₹ 80.53 लाख की वापसी की स्वीकृति दी गई, यद्यपि व्यापारियों के पंजीकरण रद्द हो गए थे। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में राजस्व के बकायों तथा भुगतान की जांच करने के लिए मांग तथा संग्रहण रजिस्टर का उवित अनुरक्षण नहीं किया गया।

1.2.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में राजस्व का मुख्य स्रोत शराब तथा वस्तुओं की बिक्री, मनोरंजन कार्यक्रमों तथा होटलों में विलासिता प्रदान करने पर लगाए गए कर का संग्रहण तथा उद्ग्रहण है। व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) स्थानीय बिक्री के मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) तथा अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्रीय बिक्री कर (कें.बि.क.) के संग्रहण के लिए उत्तरदायी था। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग (उ.शु.म.वि.क.वि.) राज्य उत्पाद शुल्क, सिनेमा शो पर कर, मनोरंजन कार्यक्रमों, केबल तथा डीटीएच सेवाओं, होटलों, बैंकट हॉलों, जिम/स्पा मालिकों, बैट तथा घुड़दौड़ पर दावों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2014–15 के दौरान, इन दो विभागों ने सरकार द्वारा संग्रहित कुल राजस्व कर का 84 प्रतिशत अंशदान दिया, जिसमें वैट का अंश 69 प्रतिशत था तथा उ.शु.म.वि.क.वि का अंश 15 प्रतिशत था।

निर्धारकों द्वारा भुगतान न किए गए नियमित कर तथा अतिरिक्त मांग से राजस्व का बकाया बनता है। व्या.क.वि. में कोई भी मांग जिसका भुगतान नहीं किया गया है भूमि राजस्व बकाया (भू.रा.ब.) के रूप में दि.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत वसूलने योग्य होगा। उ.शु.म.वि.क.वि. में कोई भुगतान न की गई राशि दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम में भू.रा.ब. के रूप में वसूलने

योग्य होगी, जबकि दिल्ली मनोरंजन तथा बेटिंग कर (दि.म.बे.क.) अधिनियम तथा दिल्ली विलासिता कर (दि.वि.क.) अधिनियम भू.रा.ब. के रूप में लंबित देयों की वसूली के लिए प्रावधान करता है।

अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 के दौरान व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) तथा उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग (उ.शु.म.वि.क.वि.) की लेखापरीक्षा, विभागों में बकाया के संग्रहण की प्रणाली की प्रभावपूर्णता को जांचने के लिए की गई। व्या.क.वि. में, 2012–13 से 2014–15 के दौरान निर्धारित मामलों में ₹ 9,612.18 करोड़ के निहितार्थ राजस्व तथा ₹ 10 लाख से अधिक के मानदंड का उपयोग करते हुए 10,990 मामलों का लेखापरीक्षा ने चयन किया। विलासिता कर ब्रांच में 2012–13 से 2014–15 के दौरान निर्धारित ₹ 36.86 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ ₹ 10,000 से अधिक की मांग वाले 734 मामलों का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया जबकि उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा बेटिंग कर शाखा के मामले में सिस्टम में उपलब्ध समस्त डाटा तथा उपलब्ध कराये गये रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा की गई।

1.2.1.1 बकायों की प्रवृत्ति

उ.शु.म.वि.क.वि. ने 2012–13 से 2014–15 की अवधि के लिए राजस्व के बकायों का समेकित वर्षवार विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। यद्यपि, व्या.क.वि. में 2012–13 से 2013–14 तक बकायों की राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति थी जबकि 2014–15 में यह आंशिक रूप से कम हुई। राजस्व के बकायों का वर्षवार विवरण नीचे तालिका—1.2.1 में दिया गया है।

तालिका—1.2.1 : मू.व.क. तथा के.वि.क. के बकायों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान की गई वसूली / कमी	अंतशेष
2012-13	15,249.16	2,700.00	1,727.86	16,221.30
2013-14	16,221.30	6,605.08	1,029.28	21,797.10
2014-15	21,797.10	8,260.75	10,018.51	20,039.34

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

(i) मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.)

1.2.2 दोषी व्यापारियों के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया प्रारंभ न करना

दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्शन 43 (3) प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कर की कोई, राशि व्याज या जुर्माना, संयुक्त धनराशि या अन्य कोई देय राशि जिसका भुगतान बकाया है, की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी। इसके बाद, सेक्शन 43(6) प्रावधान करता है कि आयुक्त, व्यापारी द्वारा देय किसी कर, व्याज

अथवा जुर्माना, संयुक्त धनराशि या उससे प्राप्त किसी राशि के लिए ब्यौरा देते हुए 'वसूली प्रमाण पत्र' दे सकता है। दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्शन 74(1) प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये किसी निर्णय या आदेश या निर्धारण से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वे आयुक्त को ऐसे निर्णय या ऐसे किसी आदेश या निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कर सकता है। सेक्शन 74(4) के अंतर्गत निर्णय या आदेश या निर्धारण करने की तिथि के दो महीने के भीतर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, जैसा भी मामला हो। वार्ड-63 के 68 मांग मामलों जिनमें ₹ 17.66 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था, की नमूना जांच से पता चला कि संबंधित व्यापारियों ने निर्धारित अवधि में न तो मांग राशि का भुगतान किया था तथा न ही निर्धारण आदेशों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की थी। इसलिए, चूककर्ता व्यापारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप ₹ 17.66 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

1.2.3 डाटा प्रमाणिकता की कमी

दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्शन 36, दि.मू.व.क. नियमावली का नियम 31 तथा के.बि.क. (दिल्ली) नियमावली का नियम 10 सी, के.बि.क. तथा दि.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर, ब्याज, जुर्माना या देय किसी अन्य राशि के भुगतान का प्रावधान करता है। व्यापारी के पास विकल्प है कि वह उत्थित मांग के प्रति भुगतान या तो चालानों के द्वारा करे या इलैक्ट्रानिक रूप में करे। कंप्यूटरीकृत दि.मू.व.क. सिस्टम व्यापारी द्वारा किये गए के.बि.क. मू.व.क. के नियमित भुगतान सहित इसके 'डीलर-प्रोफाइल रिपोर्ट' में दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। मांग संग्रहण रजिस्टर (मा.सं.र.) में मांग राशि के प्रति भुगतान की गई राशि को दर्शाता है तथा सिस्टम का 'समन्वय' मॉड्यूल भी भुगतानों को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने निम्न पाया।

(i) 190 मामलों की नमूना जांच में पता चला कि 99 मामलों में मा.सं.र. रिपोर्ट तथा 'समन्वय' मॉड्यूल में ₹ 36.06 करोड़ व्यापारियों द्वारा किये गये भुगतान के रूप में दर्शाये गए थे जबकि विशिष्ट वर्ष के लिए ये निर्धारितियों की 'डीलर प्रोफाइल' में नहीं दर्शाये गये थे। इसके बाद, समायोजन मॉड्यूल की संवीक्षा से यह पता चलता है कि व्यापारी के भुगतान की तिथि, मांग नोटिस की तिथि से पूर्व दिनांकित थी, जो संभव नहीं है।

(ii) दि.मू.व.क. सिस्टम में वापसी समायोजन से संबंधित रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि 86 मामलों में 2012–13 से 2014–15 में ₹ 64.99 करोड़ की मांग उत्थित की गई थी तथा व्यापारियों द्वारा दावित वापसियों के प्रति समायोजित की गई तथा सिस्टम की मा.सं.र. रिपोर्ट में तदनुरूप दर्शाई गई थी। यद्यपि लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि 86 मामलों में से 54 मामलों में वापसियों के प्रति ₹ 57.98 करोड़ का समायोजन समान राशि की वापसियों के प्रति किया गया था जबकि वैयक्तिक 'डीलर-प्रोफाइल' के अनुसार किसी भी डीलर को वापसी उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, ₹ 94.04 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ डाटा प्रमाणिकता की कमी साथ ही अपर्याप्त निगरानी, क्रॉस चेकिंग तथा बकाया मामलों में विवरणों के समायोजन में संभावित राजस्व की हानि हो सकती हैं।

1.2.4 कर देयताओं को सुनिश्चित किए बिना निरस्त किए गए व्यापारियों को अविवेकपूर्ण रूप से वापसियां जारी करना

दि.मू.व.क. अधिनियम, 2004 का सेक्षण 38(2) प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार की वापसी करने से पूर्व, आयुक्त, इस अधिनियम, या के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कोई अन्य देय राशि की वसूली को ऐसी अधिक राशि से समायोजन करेगा।

चयनित मामलों की नमूना जांच से पता चला कि 39 मामलों में ₹ 80.53 लाख की वापसी की अनुमति दी गई (अप्रैल 2011 से अप्रैल 2014) यद्यपि व्यापारियों का पंजीकरण नवम्बर 2009 से अप्रैल 2013 के मध्य निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2014–15 के दौरान इन व्यापारियों का निर्धारण किया गया तथा ₹ 1.89 करोड़ की कुल मांग उत्थित की जो अभी तक अदेय थी (अक्टूबर 2016)। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी देयताओं का भुगतान किया जा चुका है यह सुनिश्चित किए बिना वापसी की अनुमति दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

1.2.5 मांगों के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गैर-वसूली

दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्षण 42 (2) यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब एक व्यक्ति कोई कर, जुर्माना या किसी अन्य देय राशि का भुगतान करने में चूक जाता है, वह ऐसे चूक की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दि.मू.व.क. सिस्टम के ‘भुगतान मॉड्यूल’ का विश्लेषण दर्शाता है कि तीन² मांग मामलों में व्यापारियों ने देय तिथि के समाप्त हो जाने के बाद 35 दिन से तीन वर्षों से अधिक विलंब के साथ राशि जमा की तथा विभाग ने इस तरह के विलंब के कारण ₹ 73.26 लाख के ब्याज को नहीं लगाया।

इंगित करने पर विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि एक मामले में ₹ 0.92 लाख की वसूली कर ली गई है।

1.2.6 वसूली शाखा का कम उपयोग

व्या.क.वि. ने अपने दिनांक 29 अगस्त 2007 के परिपत्र में वसूली शाखा (व.शा.) को निम्न कार्यों का आवंटन किया: (i) निर्धारण वर्ष 1992–93 से पूर्व के वसूली मामलों से निपटना (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सभी वार्डों के लक्ष्यों को निर्धारित करना। (iii) वॉर्ड वार साप्ताहिक तथा मासिक वसूली रिपोर्ट संकलित करना (iv) विभाग के सभी जोन से सूचना प्राप्त करने के बाद विभाग के देयों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा नियुक्त परिसमापकों को सूचना देना तथा (v) वसूली शाखा से संबंधित न्यायालय मामलों पर विचार करना।

²(i) टिन-07310197454, (ii) टिन-07550236704, (iii) टिन-07570184216

लेखापरीक्षा ने निम्न पाया—

(i) वसूली शाखा ने न तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्डों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे और न ही वार्डवार साप्ताहिक तथा मासिक वसूली रिपोर्ट का संकलन किया था। इसके बाद जिन व्यापारियों के प्रति मांग लंबित है तथा ऐसे मामले जहां व्यापारियों ने निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पारित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की थी इत्यादि के डाटा बेस तक वसूली शाखा की पहुंच नहीं थी; तथा

(ii) वसूली शाखा केवल उन व्यापारियों जिनकी वैयक्तिक मांग ₹ 10 करोड़ से अधिक है का संचालन कर रही है, जो कि 31 जनवरी 2015 तक कुल 3.19 लाख व्यापारियों में से केवल 160 व्यापारियों से संबंधित है। ₹ 10 करोड़ से कम राशि की मांग के मामलों के संबंध में वार्ड अधिकारी तथा जोनल प्रभारी चूककर्ता व्यापारियों के प्रति कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

इस प्रकार, वसूली शाखा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही थी जिसके लिए यह स्थापित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप लंबित मांग मामलों की अप्रभावी मॉनिटरिंग हुई तथा चूककर्ता व्यापारियों के प्रति वसूली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई।

(ii) उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग

उत्पाद शुल्क आपूर्ति शृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (उ.शु.आ.शृ.सू.प्र.प्र.) दिसम्बर 2013 में उत्पाद शुल्क, विलासिता तथा मनोरंजन कर संग्रहण तथा समाशोधन, उत्पाद शुल्क, विलासिता तथा मनोरंजन कर के रिटर्न की प्रस्तुति के साथ ही पंजीकरण एवं शिकायतों की ट्रैकिंग के लिए अंतर्निहित सुविधाओं और राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को सरल और कारगर करने के लिए प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए पूर्ण डाटाबेस लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था, यद्यपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए वर्ष 2014–15 के डाटाबेस के विश्लेषण तथा रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा निम्न दर्शाती है:

उत्पाद शुल्क शाखा

1.2.7 चूककर्ताओं से बकाया देयों की गैर वसूली

दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2009 का सेक्षन 29(1) प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी उत्पाद शुल्क राजस्व सरकार को भुगतान योग्य है, उस व्यक्ति से या उसके कानूनी उत्तराधिकारी या उसके जमानती या उसके एजेंट से, जो उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी है, से भूमि राजस्व के बकाया (भू.रा.ब.) के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। इसके बाद, लाइसेंस प्रदान करने के नियम तथा शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर जुर्माना लग सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 के दौरान 38 मामलों में जारी जुर्माना तथा विविध भुगतान आदेशों में लाइसेंसधारियों ने ₹ 12.91 लाख के बकाया देयों का भुगतान नहीं किया था।

यद्यपि विभाग ने एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम के सेक्शन 29 के अंतर्गत इसकी वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि लंबित भुगतानों के लिए संबंधित लाइसेंसधारियों को वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

मनोरंजन तथा बैटिंग कर शाखा

1.2.8 रिटर्न फाईल न करने के लिए जुर्माने का गैर-अधिरोपण

दिल्ली मनोरंजन तथा बैटिंग कर अधिनियम, 1996 (दि.म.बै.क. अधिनियम) प्रावधान करता है कि मनोरंजन संचालकों के मालिकों को समय सीमा के अनुसार अपने देयों का भुगतान तथा उनकी रिटर्न प्रस्तुत करनी चाहिए। यह कर/रिटर्न होटल/रेस्टोरेंट, केबल/डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कनेक्शन, मल्टी सर्विस ऑपरेटरों (म.स.ओ.)/डीटीएच ऑपरेटरों, केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा कर/रिटर्न माहवार; तथा सिनेमा हॉलों; विडियो गेम पार्लरों तथा एम्यूजमेंट पार्कों/फन पार्कों द्वारा साप्ताहिक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दि.म.बै.क. अधिनियम का सेक्शन 33 प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन में किसी भी विफलता के लिए जुर्माने का आरोपण ₹ दो हजार से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान मनोरंजन कर के 751 निर्धारिती³ थे जो कि विभिन्न अवधियों के लिए रिटर्न फाईल करने में दोषी पाये गये थे। यद्यपि, विभाग ने अधिनियम में जैसा कि निर्धारित है, जुर्माना लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की। दि.म.बै.क. अधिनियम के सेक्शन 33 के अंतर्गत रिटर्न फाईल न करने पर अधिनियम में निर्धारित अधिकतम दर पर जुर्माने हेतु ₹ 1.75 करोड़ की राशि भी देय थी।

विलासिता कर शाखा

1.2.9 रिटर्न फाईल करने तथा कर भुगतान करने में विफल निर्धारितियों का गैर-निर्धारण

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (दि.वि.क. अधिनियम) का सेक्शन 12(1) प्रावधान करता है कि हर पंजीकृत मालिक निर्धारित अवधि के लिए, निर्धारित तिथियों तक तथा निर्धारित प्राधिकारी को रिटर्न प्रस्तुत करेगा; बशर्ते कि आयुक्त ऐसे निवंधन तथा शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित हो ऐसे किसी मालिक को, ऐसी रिटर्नों के प्रस्तुत करने में छूट या ऐसे किसी मालिक को अनुमत करें: (क) उन्हें ऐसी विभिन्न अवधि के लिए प्रस्तुत करने अथवा (ख) ऐसी किसी अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मालिक के व्यापार के किन्हीं स्थानों में से एक या संबंधित सभी स्थानों या ऐसी विभिन्न अवधियों के लिए, ऐसे प्राधिकारी जैसा वह निर्देश करें, को एक समेकित रिटर्न प्रस्तुत करना। सेक्शन 13(1) प्रावधान करता है किसी मालिक से देय कर की राशि के भुगतान के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रूप से निर्धारण होगा, जिसके लिए वह उत्तरदायी है; उद्ग्रहणीय है, बशर्ते कि आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा निर्धारित है, वर्ष के एक भाग के दौरान किसी मालिक से देय कर का निर्धारण करेगा।

³ 604 होटल/रेस्टोरेंट/केबल/डीटीएच कनेक्शन सहित, 21 एमएसओ/डीटीएच ऑपरेटर, 58 केबल टीवी ऑपरेटर, 45 सिनेमा हॉल, 11 एम्यूजमेंट पार्क/फन पार्क तथा 12 विडियो गेम पार्लर।

लेखापरीक्षा ने निम्न पाया:

(क) 2014–15 के दौरान विलासिता कर के 606 निर्धारिती थे जिन्होंने कर भुगतान/रिटर्न फाईल नहीं किये थे। इसके बाद, संवीक्षा दर्शाती है कि 539 निर्धारिती थे जो कि अपने रिटर्न फाईल नहीं कर पाए, जबकि 67 निर्धारिती थे जो कि पूरा कर भुगतान करने में चूके थे। यद्यपि विभाग ने दि.वि.क. अधिनियम के सेक्शन 16 के अंतर्गत जुर्माना नहीं लगाया जो कि देय कर के बराबर होता है। रिटर्न तथा देय कर के डाटा की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा इन चूककर्त्ताओं के प्रति कर देयता तथा अधिरोपित किये जाने वाले जुर्माने की गणना नहीं कर सका। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि वे उन चूककर्त्ताओं को नोटिस भेज रहे हैं जो निर्धारित समयावधि के अंदर रिटर्न/कर फाईल करने में असफल हुए जिससे कि वे दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें जिनके आधार पर निर्धारण किया जा सके।

(ख) मांग संग्रहण रजिस्टर (मा.सं.र.) के अनुसार 244 मामलों में एक से चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी ₹ 8.42 करोड़ की मांग बकाया थी जबकि यह मांग नोटिस में निर्दिष्ट तिथि के भीतर जो कि सामान्यतः 30 दिन है, जमा की जानी थी। यद्यपि दि.वि.क. अधिनियम, 1996 के सेक्शन 18(5)/सेक्शन 21 के अंतर्गत उसकी वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि चूककर्त्ताओं के प्रति वसूली प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तथा 85 मामलों में वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। शेष मामलों में वसूली प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) दि.वि.क. अधिनियम का सेक्शन 16(2) प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति यदि निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने में असफल होता है तो वह प्रत्येक माह के लिए, कर के दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होता है। 191 मामलों में, निर्धारितियों ने कर की मांग को एक दिन से तीन वर्षों के ऊपर की देरी से जमा किया था। यद्यपि विभाग ने जमा करने में देरी के लिए कोई ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.47 लाख के ब्याज का गैर उद्ग्रहण हुआ।

(घ) नौ मामलों में, निर्धारण (अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के बीच) ₹ 98.90 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित करते हुए पूर्ण हुआ जिसके प्रति निर्धारिती ने केवल ₹ 43.31 लाख का भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.59 लाख की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई तथा वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

(ङ) दि.वि.क. अधिनियम के सेक्शन 13(5) के अनुसार, सभी प्रतिप्रेषण मामले अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) द्वारा एक वर्ष के भीतर पुनर्निर्धारित होने चाहिए। लेखापरीक्षा ने निम्न पाया—

(i) ₹ 22.08 करोड़ की राशि शामिल करते हुए 123 मामलों को अप्रैल 2011 से अगस्त 2015 के दौरान पुनः निर्धारण के लिए नि.प्रा. को वापिस प्रतिप्रेषित किया गया था। इनमें से ₹ 3.04 करोड़ की राशि के 32 मामले उपलब्ध नहीं थे। प्रतिप्रेषण मामलों से

संबंधित फाइलों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा पुनर्निर्धारण की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकी। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि ऐसे मामले जो पुनर्निर्धारण के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित किए गए थे उनमें से ₹ 2.62 लाख के पांच मामलों की फाइलों का पता लगाया गया तथा पाया कि पुनर्निर्धारण आदेश जारी किए जा चुके हैं। अन्य फाइलों का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) ₹ 47.64 लाख के 35 मामलों में, फरवरी 2012 से फरवरी 2016 के बीच पुनर्निर्धारण के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित करने के बाद, मांग पत्र जारी किए गए थे। निर्धारितियों को अभी मांग की राशि का भुगतान करना है यद्यपि मांग नोटिस में निर्धारित तिथि बीत चुकी थी तथा दि.वि.क. अधिनियम के सेक्शन 18(5) के अंतर्गत जैसा अपेक्षित है, मामले भूमि राजस्व के रूप में वसूली के लिए आयुक्त को नहीं भेजे गए थे। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है तथा वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं।

(iii) अपीलीय प्राधिकारी ने अप्रैल 2013 से सितम्बर 2015 के दौरान 18 मामलों में निर्धारिति द्वारा दर्ज की गई अपील को अस्वीकृत कर दिया तथा नि.प्र. द्वारा निर्मित ₹ 74.36 लाख की मांग को कायम रखा। यद्यपि छः मामलों के संबंध में केवल ₹ 6.97 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ तथा शेष 12 मामलों के संबंध में ₹ 67.39 लाख का विलासिता कर बकाया है। विभाग द्वारा मामलों की भूमि राजस्व के रूप में वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं।

1.2.10 बकायों के मॉनीटरिंग की अप्रभावपूर्ण प्रणाली

(क) बकायों की निगरानी के लिए रिकॉर्डों का गैर-अनुरक्षण

बकायों की मॉनीटरिंग के लिए, केन्द्रीयकृत अद्यतन डाटा बेस, वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि का निर्धारितीवार ब्यौरा, वर्ष के दौरान जमा, वसूली तथा वर्ष के अंत में बकाया राशि का अनुरक्षण अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व के बकायों की स्थिति की निगरानी के लिए बकायों के एक समेकित डाटाबेस के अनुरक्षण की कोई प्रणाली नहीं है। आयुक्त, उ.शु.म.वि.क.वि. ने बताया (मई 2016) कि दिसम्बर 2013 से एक नया कम्प्यूटरीकृत सिस्टम प्रारंभ किया गया है तथा पुराने सिस्टम से राजस्व के बकायों से संबंधित डाटा स्थानांतरित किया गया है, लेकिन अभी तक नए सिस्टम में यह पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं किया जा सका है।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि विलासिता कर शाखा में किसी निर्धारिती की मांग, संग्रहण तथा राजस्व की निगरानी के लिए चालू वित्तीय वर्ष से एक सिस्टम को विकसित किया गया है तथा मनोरंजन कर शाखा के संबंध में अप्रैल 2011 से मांग तथा संग्रहण के संबंध में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया गया है।

(ख) मांग तथा संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पाद शुल्क मनोरंजन तथा बेटिंग कर शाखाओं ने चूककर्त्ताओं से बकाया राशि की निगरानी के लिए मां.सं.र. का अनुरक्षण नहीं किया। विलासिता कर शाखा में वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के मां.सं.र. में 17 मामलों में शामिल ₹ 114.97 लाख के लिए मांग की प्रविष्टि नहीं की गई जबकि 2014–15 के मां.सं.र. में लगभग सभी मामलों में निर्धारण आदेश देने की तिथि, भुगतान की देय तिथि, किए गए भुगतान, भुगतान की वास्तविक तिथि की प्रविष्टि नहीं पाई गई थी। इसकी अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा निर्धारितियों से कुल देय वसूलनीय राशि को सुनिश्चित नहीं कर सका।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि विलासिता कर शाखा के संबंध में निर्धारितियों के मांगों तथा भुगतानों को मॉनीटर करने के लिए मां.सं.र. का ऑनलाइन सिस्टम 01 अप्रैल 2016 से लागू किया गया तथा पिछले वर्षों (2011–12 से 2015–16) के मां.सं.र. के डाटाबेस को अद्यतन करना प्रारंभ कर दिया गया। मनोरंजन कर के संबंध में यह बताया गया कि उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर मांग तथा संग्रहण रजिस्टर बनाया गया है। इसके बाद, रेस्टोरेंट शाखा (राज्य उत्पाद शुल्क) ने सूचना दी (अक्तूबर 2016) कि यह भविष्य में लाइसेंसधारियों पर लगाए गए जुर्माना/विविध भुगतान को और अधिक कुशलता से मॉनीटर करने के लिए कार्य कर रहा है।

1.2.11 उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र.)

उ.शु.म.वि.क.वि. ने राजस्व संग्रहण की पूर्ण प्रक्रिया के डीजीटाइजेशन तथा व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकृत उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र. का प्रारंभ किया। सिस्टम का प्रयोजन निर्धारण करने में निर्धारितियों से वसूलनीय देयों तथा राजस्व संग्रहण पर नजर रखने में विभाग की सहायता करना था। यद्यपि उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र. के डाटाबेस के विश्लेषण में सिस्टम की कमियां पाई गई जिनका विवरण नीचे हैं:

(क) नियमित निर्धारण के साथ–साथ चूककर्त्ता लाइसेंसधारियों का निर्धारण करने के लिए उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र. के पास एक मॉड्यूल है। विलासिता कर तथा मनोरंजन एवं बेटिंग कर शाखाओं ने इस मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया तथा निर्धारण कार्य को मैनुअल सिस्टम के आधार पर ही जारी रखा। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि विलासिता कर के संबंध में निर्धारण माड्यूल अब कार्यशील है तथा चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारण ऑनलाइन निर्धारण मॉड्यूल द्वारा ही किया जा रहा है।

(ख) विलासिता कर के संबंध में मां.सं.र. का डाटाबेस विश्लेषण दर्शाता है कि एप्लीकेशन में डाटा की सत्यनिष्ठा की सुनिश्चितता के लिए अपेक्षित इनपुट कंट्रोल का अभाव था जो कि इस प्रकार है:

- 2012–13 की अवधि के लिए 252 निर्धारण मामलों में से 56 मामलों में, जहां देय कर/ब्याज/जुर्माना ₹ 10,000 से अधिक था, निर्धारितियों द्वारा निर्धारण के प्रति किया गया भुगतान विशेष रूप से बनाये गए “विलासिता कर निर्धारण खाता” में नहीं दर्शाया गया था;

- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के क्रमशः 237 तथा 36 मामलों के डाटाबेस में निर्धारण आदेश तथा निर्धारितियों को देने तथा उनकी तिथि को दर्शाया नहीं था;
- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 से संबंधित क्रमशः 507 तथा 397 मामलों में कर की राशि, जुर्माना तथा ब्याज डाटा में दिखाये गये कुल देयों के अनुरूप नहीं हैं;
- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 से संबंधित क्रमशः 336 तथा 296 मामलों में कुल देय कर तथा वास्तविक कर भुगतान के बीच अंतर डाटा में दर्शाई गई देय राशि के अनुरूप नहीं हैं; तथा
- कई मामलों में, विभिन्न भुगतान लेन–देनों में विभिन्न तिथियों के प्रति उसी कर अवधि को दुबारा दिखाया गया था।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र. के विलासिता कर मॉड्यूल को सरल और कारगर करने का मामला लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर मैसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टा.कं.स.) के साथ उठाया जा रहा है।

(ग) मनोरंजन तथा बैटिंग कर शाखा के संबंध में वर्ष 2012–13 से 2014–15 की अवधि का डाटाबेस दर्शाता है कि अधिकतर मामलों में वह अवधि जिसमें निर्धारितियों ने भुगतान किया, वह उल्लेखित नहीं थी जिसके कारण किए गए भुगतान की वास्तविकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि सिस्टम उचित रूप से डाटा को दर्शा नहीं रहा है तथा संबंधित लाइसेंसधारियों से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा बेमेल/भुगतान न करने/भुगतान में देरी के मामले में ब्याज सहित देय कर तथा जुर्माने को वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(घ) उ.शु.म.वि.क.वि. तथा टीसीएस के मध्य उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र. के मास्टर सर्विस करार की अनुसूची-III के अनुसार, उसमें परियोजना कार्यान्वयन फेज तथा उसके बाद परिचालन प्रबंधन फेज के दौरान परियोजना निदेशक द्वारा छमाही लेखापरीक्षाओं के लिए प्रावधान है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रकार की कोई लेखापरीक्षा नहीं हुई थी। विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण नहीं की जा सकी क्योंकि नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट-प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट टीम ने, उसका कार्यकाल पूरा होने के कारण विभाग को छोड़ दिया, यद्यपि विभाग द्वारा उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र. परियोजना की लेखापरीक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद प्रस्तुत की जायेगी।

1.2.12 निष्कर्ष

इस प्रकार, भू-राजस्व के बकाया के रूप में सरकारी राजस्व की वसूली के लिए अधिनियमों में प्रावधानों के गैर प्रवर्तन के परिणामस्वरूप 2012–13 के प्रारंभ में बकाया ₹ 15,249.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 के अंत में ₹ 20,039.34 करोड़ हो गया। व्या.क.वि. में भुगतान डाटा तथा वापसियों के सत्यापन की प्रणाली के अभाव के साथ-साथ प्रणाली के डिजाइन में कमियां, मांगों के समायोजन में गलत चित्रण का कारण बनी, जो कि अभी बकाया हैं। व्या.क.वि. ने निरस्त व्यापारियों को बिना उनकी कर देयताओं को निर्धारित किये वापसियों

की अनुमति दी। पंजीकरण को निरस्त करना तथा इन व्यापारियों के प्रति वापसी प्रक्रिया को प्रारंभ न करना, बकाया देयों की प्राप्ति की संभावना को और कम करता है। वसूली शाखा की कार्यप्रणाली कई बार अवरुद्ध हुई क्योंकि इसके पास सभी बकाया मांग मामलों के पूर्ण डाटाबेस का एक्सेस नहीं था। उ.शु.म.वि.क.वि. में मनोरंजन तथा विलासिता कर शाखा में कर देयताओं को निश्चित करने के लिए चूककर्ता व्यापारियों का निर्धारण नहीं किया। उत्पाद शुल्क तथा मनोरंजन कर शाखा द्वारा मांग तथा संग्रहण रजिस्टरों को नहीं बनाया गया था जबकि विलासिता कर शाखा में यह उचित रूप से नहीं बनाया गया जिससे बकाया देयों की मॉनीटरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उ.आ.शृ.सू.प्र.प्र. में सिस्टम में कमियां थीं जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी कर प्रशासन के बांधित स्तर की उपलब्धि नहीं हुई।

1.3 कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति

दो निर्धारितियों द्वारा ‘सी’ फार्म पर कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.39 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 0.57 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के सेक्षण 8(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यापारी जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान माल एक पंजीकृत व्यापारी को बेचता है, वह उसकी टर्नओवर के दो प्रतिशत की दर से या उस राज्य के बिक्री कर नियम के अंतर्गत उस राज्य के भीतर ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर उपयुक्त दर जो भी कम हो, पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा तथा के.बि.क. अधिनियम, 1956 का सेक्षण 8(4) यह प्रावधान करता है कि व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विवरण शामिल करते हुए जिसको माल विक्रय किया गया है को पंजीकृत व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा विधिवत भरे हुए ‘सी’ फार्म में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करे। इसके बाद, दि.मू.व.क. अधिनियम, 2004 का सेक्षण 86(15) प्रावधान करता है कि व्यापारी एक लाख की राशि या कम कर की राशि, यदि कोई है, जो भी अधिक हो जुर्माने के रूप में भुगतान का उत्तरदायी होगा। दि.मू.व.क. अधिनियम के सेक्षण 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान में चूक के लिए ब्याज भी भुगतान योग्य होगा।

(i) वार्ड-93 के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि एक व्यापारी⁴ का वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारण ₹ 2.90 करोड़ की टर्नओवर पर सितम्बर 2013 में पूर्ण हुआ। इसमें ‘सी’ फार्म के प्रति ₹ 2.66 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री भी शामिल थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि दो ‘सी’ फार्म पर ₹ 1.46 करोड़ की रिआयत बिक्री की अनुमति दी गई जो कि विक्रय व्यापारी के नाम पर नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 लाख के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 1.46 करोड़ की रिआयती बिक्री की अनियमित अनुमति दी। इसके अतिरिक्त ₹ 2.69 लाख के ब्याज तथा ₹ 4.39 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

⁴टिन-07660103996

(ii) वार्ड-201 से संबंधित निर्धारण रिकॉर्डों की संवीक्षा दर्शाती है कि एक व्यापारी^५ ने निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 43.19 करोड़ की सकल टर्नओवर ₹ 20.26 करोड़ के 'सी' फार्मों को शामिल करके अंतर्राज्यीय बिक्री की घोषणा करते हुए रिटर्न फाईल की। ₹ 20.26 करोड़ में से मणिपुर तथा नागालैण्ड राज्य के पंजीकृत व्यापारियों से प्राप्त छ: 'सी' फार्मों के प्रति ₹ 5.18 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रिआयती दर पर दावा किया था तथा उसे अनुमति दे दी गई (अप्रैल 2014)। इन फार्मों की जारी किये जाने वाले राज्यों से सत्यापन किया गया तथा यह पाया गया कि निर्धारिती ने चार 'सी' फार्मों में ₹ 2.44 करोड़ (₹ 2.54 करोड़ – ₹ 0.10 करोड़) की अधिक अंतर्राज्यीय बिक्री का दावा किया था तथा ₹ 2.64 करोड़ की बिक्री शामिल करते हुए शेष दो फार्म क्रय व्यापारी को जारी नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ की रिआयती दर की अनियमित अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.36 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 0.53 करोड़ का जुर्माना भी उद्घृतीय था।

इंगित करने पर विभाग ने सितम्बर 2016/अक्तूबर 2016 में बताया कि (i) पुनर्निर्धारण की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है तथा (ii) वर्ष 2011–12 में कर अपवर्चन के संबंध में व्यापारी का निर्धारण पूर्ण हो चुका है तथा व्यापारी के प्रति ₹ 0.93 करोड़ की मांग ₹ 40.03 लाख का ब्याज तथा ₹ 0.53 करोड़ का जुर्माना शामिल करते हुए, उद्घृत की गई।

मामला सरकार को जुलाई 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

1.4 मांग की गैर-वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

विभाग ऐसे व्यापारियों से, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था, ₹ 2.84 करोड़ की मांग की वसूली में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई।

दि.मू.व.क. अधिनियम 2004 का सेक्षन 22(9) यह बताता है कि पंजीकरण को रद्द करने से या जो निर्धारित है रद्द करने की ऐसे तिथि पर किसी व्यक्ति की देयता को किसी अवधि के लिए देय कर के भुगतान करने तथा भुगतान न करने को प्रभावित नहीं करेगा या उसके बावजूद कि उस पर वह इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान का दायित्व नहीं होगा।

वर्ष 2010–11 से 2013–14 के लिए दो वार्डों^६ के रिकार्डों की संवीक्षा दर्शाती है कि दि.मू.व.क. अधिनियम 2004 के सेक्षन 32 तथा 33 तथा के.बि.क. अधिनियम के सेक्षन 9(2)^७ के अंतर्गत, फरवरी 2013 तथा जून 2015 के बीच तीन व्यापारियों का निर्धारण किया गया तथा ₹ 2.84 करोड़ (कर ₹ 0.81 करोड़, ब्याज ₹ 0.32 करोड़ तथा जुर्माना ₹ 1.71 करोड़) की अतिरिक्त मांग उद्घृत की गई यद्यपि विभाग ने उनके पंजीकरण को

⁵टिन-07280345153

⁶वार्ड: 4 तथा 67

⁷के.बि.क. अधिनियम के सेक्षन 9(2) के अंतर्गत जुर्माने के निर्धारण का नोटिस तथा दि.मू.व.क. अधिनियम, 2004 के सेक्षन 86(9) के अंतर्गत जुर्माना भुगतान की देयता

रद्द कर दिया था।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि 15 महीने से चार साल का समय बीत जाने के बाद मांग अभी भी लंबित है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई।

यह इंगित करने पर (जून से अगस्त 2016), विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि उपरोक्त व्यापारियों के प्रति वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा नोटिस जारी किए गए हैं।

मामला सरकार को अगस्त 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

राजस्व विभाग

1.5 स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

सब—रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा क्षेत्रों के गलत श्रेणीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 36.44 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने (दिसम्बर 2012) भूमि तथा अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए संशोधित न्यूनतम सर्कल दरों को अधिसूचित किया। दिल्ली में क्षेत्रों को 'ए' से 'एच' श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम दरें निर्धारित की गई।

वर्ष 2014–15 के दो सब—रजिस्ट्रार कार्यालयों⁸ के रिकॉर्डों की नमूना जांच से पता चला कि 31 मामलों में पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का गलत श्रेणीकरण करने के परिणामस्वरूप कम सर्कल दरें लागू करने के कारण ₹ 36.44 लाख की स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इंगित करने पर, विभाग ने (जून 2016) सर्कल दर अधिसूचना के अनुसार राजस्व गांवों की श्रेणी की सूची उपलब्ध करवाई जोकि विभाग द्वारा क्षेत्रों की त्रुटिपूर्ण अवधारणा की पुष्टि करता है।

मामला सरकार को जुलाई, 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

⁸सं.र.—I (कश्मीरी गेट), स.र.—IX (कापसहेड़ा)

अध्याय - II
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय - II

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

2.1.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए की जाती है और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2016 तक रा.रा.क्षे. दिल्ली में सभी 17 सा.क्षे.उ. कार्यशील थे। इनमें से कोई भी कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015–16 के दौरान, किसी भी सा.क्षे.उ. को निगमित या बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2016 तक रा.रा.क्षे. दिल्ली में राज्य सा.क्षे.उ. के विवरण नीचे तालिका 2.1.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1.1: 31 मार्च 2016 तक सा.क्षे.उ. की कुल संख्या

सा.क्षे.उ. के प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	कुल
सरकारी कंपनियाँ ¹	15	15
सांविधिक निगम	2	2
योग	17	17

सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम निर्णित लेखों के अनुसार 30 सितम्बर 2016 तक ₹ 8,597.77 करोड़ का टर्नओवर दर्ज कराया जो राज्य के वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 1.54 प्रतिशत के बराबर था। बारह सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का लाभ अर्जित किया व चार सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,917.77 करोड़ की हानि वहन की। इस प्रकार, 30 सितम्बर 2016 तक अपने नवीनतम निर्णित लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,739.96 करोड़ की कुल हानि वहन की। मार्च 2016 के अन्त तक इन सा.क्षे.उ. के पास 0.36 लाख कर्मचारी थे।

2.1.2 उत्तरदायित्व संरचना

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सेक्षण 143(6) द्वारा शासित होती है। अधिनियम के सेक्षण 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी जिसमें सरकारों द्वारा प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग रखा जाता है और सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी भी शामिल होती है। आगे अधिनियम के सेक्षण 143(7) के अनुसार कोई भी कंपनी जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार व आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित की जाती हो, को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.), एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा जांच करा सकता है और ऐसी लेखापरीक्षा पर नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्षण 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। 01 अप्रैल 2014 से पहले प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रावधानों द्वारा सतत शासित किया जायेगा।

¹गैर-कार्यशील सा.क्षे.उ. वे हैं जिनका अपना संचालन बंद हो चुका है।

2.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (जैसा कंपनी अधिनियम 2013, के सेक्शन 2(45) में परिभाषित है) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों जो नि.म.ले.प. द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के सेक्शन 139 (5) या (7) के अनुसार नियुक्त किए गए हों, द्वारा की जाती है। उक्त अधिनियम के सेक्शन 143(6) के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा सेक्शन 143(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा की जाएगी। कंपनी अधिनियम के सेक्शन 136 के उप सेक्शन (1) के अन्तर्गत, नि.म.ले.प. द्वारा की गई टिप्पणियां या पूरक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कंपनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के लिए अधिकृत है को भेजी जाएगी एवं सेक्शन 143(6)(बी) के अंतर्गत कंपनी की वार्षिक आम सभा के समक्ष भी रखी जाएगी।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। नि.म.ले.प., दिल्ली परिवहन निगम का एकल लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा चार्टड अकाउटेट द्वारा व पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

2.1.4 सरकार और विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार इन सा.क्षे.उ. के कार्य पर उनके प्रशासनिक विभागों द्वारा नियन्त्रण रखती है। मुख्य अधिशासी और बोर्ड के निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के लेखों व उपयोग की भी निगरानी करता है। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक रिपोर्ट सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ व राज्य सरकारी कंपनियों के संबंध में नि.म.ले.प. की टिप्पणियों एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष, तीन माह के भीतर और जैसा कि संबंधित अधिनियमों में भी विनिर्दिष्ट है, रखा जाता है। नि.म.ले.प. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के सेक्शन 19 ए के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

2.1.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी

रा.रा.क्षे.दि.स. की इन सा.क्षे.उ. में ठोस वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **अंश पूंजी व ऋण—** अंश पूंजी के योगदान के अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. समय—समय पर सा.क्षे.उ. को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता भी देती है।
- **विशेष वित्तीय समर्थन—** रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. को जब भी आवश्यकता हो अनुदान और आर्थिक सहायता के रूप में बजटीय समर्थन देती है।
- **गारंटी—** सा.क्षे.उ. द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों को रा.रा.क्षे.दि.स. ब्याज सहित पुनर्भुगतान करने के लिये गारंटी भी देती है।

2.1.6 राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

31 मार्च 2016 तक 17 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूँजीगत व दीर्घकालिक ऋण) ₹ 27,289.04 करोड़ था जो नीचे तालिका 2.1.2 में दिया गया है:

तालिका 2.1.2: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजीगत	दीर्घकालिक ऋण	योग	पूँजीगत	दीर्घकालिक ऋण	योग	
सा.क्षे.उ.	7,607.72	5,947.91	13,555.63	2,010.27	11,723.14	13,733.41	27,289.04

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित की गई सूचना


31 मार्च 2016 तक कुल निवेश में 35.24 प्रतिशत पूँजीगत व 64.76 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण का भाग था। वर्ष 2011–12 में निवेश ₹ 27,951.87 करोड़ से 2.37 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 27,289.04 करोड़ हो गया जैसा नीचे चार्ट 2.1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश



31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2016 के अंत में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता को नीचे चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश



(कोष्ठक के आंकड़े कुल निवेश से क्षेत्रवार निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

सा. क्षे. उ. के निवेश का जोर मुख्य रूप से परिवहन व ऊर्जा क्षेत्र में था। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 2011–12 में कुल निवेश का 50.78 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में कुल निवेश का 48.84 प्रतिशत हो गया। कुल निवेश में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी 2011–12 में 48.34 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 50.35 प्रतिशत हो गया।

2.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल

रा.रा.क्षे.दि.स. वार्षिक बजट के माध्यम से सा.क्षे.उ. को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015–16 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इकिवटी, ऋणों तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के बजटीय निर्गम का सारांशित ब्यौरा नीचे तालिका 2.1.3 में दिया गया है:

तालिका 2.1.3: सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता के संबंध में ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		सा.क्षे.उ. की सं.	राशि	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि
1.	बजट से इकिवटी पूँजीगत निर्गम	-	-	-	-	-	-
2.	बजट से दिया गया ऋण	5	3,639.39	2	200.00	3	565.00
3.	बजट से अनुदान/आर्थिक सहायता	4	1,455.14	6	1,603.35	4	1,339.41
कुल निर्गम (1+2+3)		8	5,094.53	7	1,803.35	6	1,904.41

* खोतः सा.क्षे.उ. से एकत्रित की गई सूचना

2.1.8 वित्त लेखों से मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार बकाया इकिवटी व ऋण संबंधित आंकड़े, राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़े से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति नीचे तालिका 2.1.4 में दी गई है:

तालिका 2.1.4: वित्त लेखों की तुलना में सा.क्षे.उ. के रिकार्ड के अनुसार बकाया इकिवटी व ऋण

(₹ करोड़ में)

बकाया के संबंध में	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ.* के रिकार्ड के अनुसार राशि	अंतर
इकिवटी ²	9,182.58	9,197.70	15.12
ऋण ³	17,559.27	15,453.94	2,105.33

* खोतः सा.क्षे.उ. से एकत्रित की गई सूचना

²इकिवटी आंकड़े में केवल रा.रा.क्षे.दि.स. का अंश ही शामिल है।

³ऋण के आंकड़े कंपनियों के रिकार्ड से लिए गए हैं और वे.ले.का. से प्राप्त की गई सूचना से मिलान किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 सा.क्षे.उ.⁴ में अंतर आया और कुछ अंतरों का समाधान वर्ष 2008 से लंबित है। सरकार व सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

2.1.9 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 96(1) तथा सेक्शन 129(2) के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणियों को संबंधित वित्त वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् छः महीनों के भीतर अर्थात् सितम्बर के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। ऐसा करने में असफल होने पर उक्त अधिनियम के सेक्शन 99 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है। यथानुसार, सांविधिक निगमों के मामलों में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षित अंतिम लेखों को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है।

30 सितंबर 2016 को लेखों को अंतिम रूप देने में सा.क्षे.उ. द्वारा की गई प्रगति का विवरण नीचे तालिका 2.1.5 में दिया गया है:

तालिका 2.1.5: सा.क्षे.उ. के लेखों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	17	17	17	17	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	12	21	15	9	12
3.	बकाया लेखों की संख्या	16	12	14	22	27
4.	लेखों के बकाये के साथ सा.क्षे.उ. की संख्या	8	3	4	11	14
5.	बकाया की स्थिति (संख्या वर्षों में)	1 से 9	1 से 9	1 से 10	1 से 11	1 से 12

सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया है को इनके शीघ्र निपटान करने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस तरह से सा.क्षे.उ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए की कम से कम एक वर्ष के लेखों को प्रत्येक वर्ष अंतिम रूप दे दिया जाए जिससे आगे बकाया को एकत्रित होने से रोका जा सके।

प्रशासनिक विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह इन इकाईयों की गतिविधियां देखे और यह सुनिश्चित करे कि लेखों को निर्धारित समय में इन सा.क्षे.उ के लेखों को अंतिम रूप दिया व उन्हें अंगीकृत कर लिया जाये। यद्यपि वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समय-समय पर, बकाया लेखों को अंतिम रूप देने के लिए सूचित किया गया, पर्याप्त उपचारी कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप, इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं हो सका। जून और नवम्बर 2016 में मामले को प्रधान सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी उठाया गया था।

⁴इक्विटी आंकड़े के लिए डीएससीएफडीसी, दि.रा.आौ.आ.वि.नि., शा.पु.वि.नि., दि.प.आ.वि.नि. दि.प.नि. तथा ऋण आंकड़े के लिए डीएससीएफडीसी, शा.पु.नि., जि.स्पे.दि.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.ट्रां.लि., इं.पॉ.उ.कं.लि., प्र.पॉ.कॉ.लि., दि.रा.ना.आ.नि. एवं दि.प.प.वि.नि.।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष के दौरान छ: सा.क्षे.उ. में ₹ 2,072.42 करोड़ {इक्विटी ₹ 19.28 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 627.49 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.)} और अनुदान/आर्थिक सहायता ₹ 1,425.65 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.)} का निवेश किया था जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जैसाकि अनुलग्नक 2.1(i)में विस्तृत विवरण दिया है। लेखों के अंतिम रूप और अनुगामी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि निवेश व व्यय का उचित ढंग से लेखा जोखा हुआ है और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार, इन सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रहा।

आगे लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन होने के अतिरिक्त धोखे का जोखिम व जनधन का रिसाव भी हो सकता है। उपरोक्त बकाया लेखों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015–16 में सा.क्षे.उ. का राज्य स.घ.उ. में वास्तविक योगदान का पता भी नहीं चल सका और उनका राज्य राजकोष में योगदान विधानमंडल को भी सूचित नहीं किया गया।

2.1.10 सा.क्षे.उ. का उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार कार्य निष्पादन

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति व कार्यशील परिणामों का ब्यौरा अनुलग्नक 2.1(ii) में दिया जा रहा है। सा.क्षे.उ. का टर्नओवर से राज्य स.घ.उ. का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के प्रसार की गतिविधियों को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका 2.1.6 वर्ष 2015–16 के अंत तक पांच वर्षों की अवधि के लिये कार्यशील सा.क्षे.उ. की टर्नओवर व राज्य के स.घ.उ. को दर्शाता है:

तालिका 2.1.6: राज्य के स.घ.उ. की तुलना में सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
टर्नओवर ⁵	7,341.49	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77
राज्य स.घ.उ.*	3,43,260	3,91,071	4,46,807	4,94,460	5,58,745
राज्य स.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	2.14	2.16	1.88	1.66	1.54

(ज्ञात: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना और राज्य स.घ.उ. आंकड़े)

राज्य स.घ.उ. से राज्य सा.क्षे.उ. के टर्नओवर की प्रतिशतता 2011–12 में 2.14 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 1.54 प्रतिशत हो गया।

⁵30 सितम्बर को नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर

*राज्य स.घ.उ. आंकड़े आधार वर्ष 2011–12 के चालू मूल्य पर आधारित है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सा.क्षे.उ. द्वारा वहन की समग्र हानि नीचे चार्ट 2.1.3 में दी गई है:



सरकारी कंपनी तथा सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम जिसके लिए लेखे तैयार किये गए थे, अनुलग्नक 2.1 (ii) में दिए गए हैं। 01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान, 17 सा.क्षे.उ. में से 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का लाभ अर्जित किया और चार सा.क्षे.उ. को ₹ 2,917.77 करोड़ की हानि हुई। एक सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे “न लाभ न हानि” के आधार पर बनाए। लाभ में मुख्य योगदान प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड (₹ 595.83 करोड़), दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (₹ 378.31 करोड़) तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 112.57 करोड़) का रहा। दिल्ली परिवहन निगम को घाटा (₹ 2,917.76 करोड़) हुआ।

सा.क्षे.उ. के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड नीचे तालिका 2.1.7 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1.7: राज्य सा.क्षे.उ. के महत्वपूर्ण मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	10.45	17.41	5.21	12.90	8.30
ऋण	19,071.18	18,426.18	18,900.86	18,052.64	17,976.39
टर्नओवर ⁶	7,341.49	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77
ऋण/टर्नओवर अनुपात	2.60:1	2.18:1	2.25:1	2.20:1	2.09:1
ब्याज भुगतान	2,140.48	2,341.86	2,655.25	3,117.02	3,456.13
संचित लाभ (हानि)	(15,519.42)	(17,299.73)	(19,507.97)	(21,153.51)	(23,255.91)

स्रोत: सा.क्षे.उ. के नवीनतम अद्यतन वार्षिक लेखों के अनुसार

वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। तत्पश्चात, वर्ष 2013–14 में यह तेजी से गिरा, 2015–16 में 8.30 प्रतिशत गिरने से पहले वर्ष 2014–15 में 12.90 प्रतिशत पुनः बढ़ गया था। टर्नओवर अनुपात में ऋण का अनुपात जो 2011–12 में 2.60:1 था घटकर 2015–16 में 2.09:1 हो गया।

⁶30 सितम्बर 2016 को सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर।

उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया किंतु एक सा.क्षे.उ. अर्थात् दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 0.50 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष 11 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,169.25 करोड़ का लाभ अर्जित करने के बावजूद भी लाभांश घोषित नहीं किया। नवम्बर 2016 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त पूंजी पर न्यूनतम प्रतिफल के लिए कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं की गई थी।

2.1.11 लेखों पर टिप्पणियां

दस कार्यशील कंपनियों ने अपने 11 लेखापरीक्षित लेखों को अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान महालेखाकार को अग्रेषित किया। यह सभी लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा यह संकेत करती है कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता में वस्तुतः सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण नीचे तालिका 2.1.8 में दिए गए हैं।

तालिका 2.1.8: कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि
1.	लाभ में कमी	3	11.12	-	-	6	359.42
2.	लाभ में वृद्धि	3	68.29	2	0.25	3	339.47
3.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में वृद्धि	1	554.82	1	2.59	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का उजागर न करना	-	-	1	3.15	1	57.43
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	1	40.17	1	3.54	2	31.36

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखों⁷ को अयोग्यता प्रमाण—पत्र और छ: लेखों⁸ को योग्यता प्रमाण—पत्र प्रदान किया तथा एक लेख⁹ को प्रतिकूल (अर्थात् लेखे सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित नहीं करते) प्रमाण—पत्र दिया। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई योग्यता के अनुसार दि.पॉ.क.लि. का सूचित लाभ वर्ष 2014–15 में (₹ 45.22 करोड़) घटकर ₹ 316 करोड़ तक हो गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, दि.पॉ.क.लि. के लेखा पर नि.म.ले.प. की योग्यताओं के प्रभाव पर विचार करने के बाद वर्ष 2014–15 का लाभ ₹ 276.40 करोड़ की हानि में बदल जाएगा। वर्ष के दौरान दो लेखों में लेखा मानकों के गैर—अनुपालन के दो दृष्टांत थे।

⁷ शा.पु.वि.नि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.प.वि.नि. (2015–16) जि.स्पे.दि.लि.

⁸ दि.पॉ.क.लि., दि.ट्रां.लि., इं.पॉ.उ.कं.लि., प्र.पॉ.कॉ.लि., दि.प.प.वि.नि. (2014–15), दि.रा.ओ.अ.वि.नि.

⁹ दि.प.अ.वि.नि.

इसी तरह से, अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 के दौरान दो सांविधिक निगमों ने अपने लेखे नि.म.ले.प. को अग्रेषित किए। इनमें से, नि.म.ले.प. द्वारा एकल लेखापरीक्षा से संबंधित दिल्ली परिवहन निगम का एक लेखा जो पूर्ण कर लिया गया तथा वर्ष 2014–15 के लिए पृ.ले.प. प्रतिवेदन जारी किया गया था। वर्ष 2015–16 के लिए दिल्ली वित्त निगम का शेष एक लेखा पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया जो कि 30 सितम्बर 2016 तक पूर्ण होना था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. की एकल पूरक लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। गत तीन वर्षों में लेखापरीक्षित लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों व नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के धन मूल्य का विवरण नीचे तालिका 2.1.9 में दिया गया है:

तालिका 2.1.9: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15 ¹⁰		2015-16	
		लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	-	-	1	0.16
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में कमी	1	1,306.17	1	24.56	-	-
4.	हानि में वृद्धि	2	2,569.52	1	2,695.74	1	1,978.50
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर न करना	1	1.54	-	-	1	964.04
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	1	116.66	-	-	-	-

2.1.12 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नीचे दी गई तालिका 2.1.10 नि.म.ले.प. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी की गई पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.प्र.) को विधानमंडल में प्रस्तुति की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.1.10: विधान मंडल में पृ.ले.प.प्र. के प्रस्तुति की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक विधानमंडल में पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत किया गया	जिस वर्ष के लिए पृ.ले.प.प्र. विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं हुआ	
			पृ.ले.प.प्र. का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1.	दिल्ली परिवहन निगम	2014-15	-	-
2.	दिल्ली वित्तीय निगम	2013-14	2014-15	16.10.2015

¹⁰दि.प.नि. एवं दि.वि.नि. के लिए लेखा टिप्पणियों का प्रभाव वर्ष 2014–15 के लिए है।

2.1.13 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के लिए, एक नि.ले.प. और नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफ संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को छः सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. से उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

2.1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई प्रारंभ करेगा तथा उन पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के चार महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हालांकि 40 प्रतिशत निष्पादन लेखापरीक्षाओं के और 26 प्रतिशत लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर एक्शन टेकन नोट्स 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त नहीं हुए जैसा नीचे तालिका 2.1.11 में चित्रित है:

तालिका 2.1.11: 30 सितम्बर 2016 तक अप्राप्य एक्शन टेकन नोट्स

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	राज्य विधान मण्डल में प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	समीक्षाओं/पैराग्राफों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित		लंबित एटीएन	
		नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2010	05.09.2011	1	8	शून्य	शून्य
2011	06.06.2012	शून्य	5	शून्य	शून्य
2012	02.04.2013	1	3	1	शून्य
2013	01.08.2014 (संसद में)	1	7	शून्य	शून्य
2014	30.06.2015	1	2	शून्य	2
2015	13.06.2016	1	6	1	6
कुल		5	31	2	8

2.1.15 सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

30 सितम्बर 2016 तक नि.ले.प. तथा पैराग्राफों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में प्रदर्शित किए गए तथा कोगू द्वारा चर्चा की गई, नीचे तालिका 2.1.12 में दिए गए हैं:

**तालिका 2.1.12: 30 सितम्बर 2016 तक लेखापरीक्षा
प्रतिवेदनों में प्रदर्शित तथा चर्चा किये गये समीक्षा/पैरा**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं/पैराग्राफों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित		चर्चा किये गए पैरे	
	नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2010	1	8	शून्य	शून्य
2011	शून्य	5	शून्य	1
2012	1	3	शून्य	शून्य
2013	1	7	शून्य	शून्य
2014	1	2	शून्य	शून्य
2015	1	6	शून्य	4
कुल	5	31	शून्य	5

2.1.16 कोगू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

मार्च 2009 तथा मार्च 2015 के बीच राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए कोगू के एक प्रतिवेदन से संबंधित तीन पैराग्राफों के ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2016) जैसा नीचे तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.13: कोगू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोगू प्रतिवेदन का वर्ष	कोगू प्रतिवेदनों की कुल सं.	कोगू प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल सं.	सिफारिशों की सं. जहां ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए
2010	1	11	11

कोगू के इस प्रतिवेदन में एक¹¹ उपक्रम के पैराग्राफों से संबंधित सिफारिशों सम्मिलित थी, जो भारत के नि.म.ले.प. के मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन में प्रदर्शित था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार कोगू की सिफारिशों के अनुसार अनुबंधित समय सीमा¹² के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट पैराग्राफों/नि.ले.प. तथा ए.टी.एन. का जवाब भेजना सुनिश्चित करें।

2.1.17 सा.क्षे.उ. का विनिवेश, नवीनीकरण और निजीकरण

वर्ष 2015–16 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. ने किसी भी राज्य सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण या नवीनीकरण की गतिविधि का आरंभ नहीं किया।

2.1.18 अध्याय का कवरेज

इस अध्याय में ‘दिल्ली की पॉवर उत्पादन कंपनियों की कार्यप्रणाली’ ₹ 957.35 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के छ: पैराग्राफ और एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित किये गये हैं।

¹¹दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड

¹²निरीक्षण प्रतिवेदन (चार सप्ताह), ड्राफ्ट पैराग्राफों व निष्पादन लेखापरीक्षा (छ: सप्ताह) और कोगू की सिफारिश पर ए.टी.एन. (तीन माह)

पॉवर विभाग

2.2 'दिल्ली की पॉवर उत्पादन कंपनियों की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

दिल्ली विद्युत सुधार (हस्तांतरण योजना) नियम, 2001 के अनुरूप राज्य में पॉवर उत्पादन की गतिविधि इंद्रप्रस्थ पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (इ.पॉ.उ.कं.लि.) और प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्र.पॉ.कॉ.लि.) को सौंपी गई थी। इन दो पॉवर उत्पादन कंपनियों के 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा अन्य बातों के साथ पॉवर की कम शेड्युलिंग, अनियोजित मुख्य शटडाउन और मरम्मत तथा रखरखाव में देरी के कारण क्षमता वृद्धि कार्यक्रम में कमियां, ईंधन का अधिक उपभोग, उत्पादन लक्ष्यों की गैर प्राप्ति और प्लांट भार घटक मानक की प्राप्ति न होने को दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

मुख्य बिंदु

छिस्कॉम से वसूलनीय ₹ 4,911.07 करोड़ के बकाया बिलों से इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के नकद प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ा और कंपनियों को बड़ी मात्रा में अल्पकालीन ऋणों का सहारा लेना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.2.2 और 2.2.4.1)

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक नियोजित 3,340 मेगावाट के छ: पॉवर प्लांटों में से मात्र 1,500 मेगावाट प्र.पॉ.स्टे.–III बवाना को चालू किया गया है जबकि बाकी सभी परियोजनाओं को गैस या भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थगित थी। परियोजना के ब्लॉक–I और ब्लॉक–II के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी न करने के कारण और परियोजना को चालू करने में देरी के कारण प्र.पॉ.कॉ.लि. ₹ 474.32 करोड़ की वसूली शुल्क में नहीं कर पाया और यह इकिवटी पर ₹ 163.32 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल का लाभ भी नहीं ले सका।

(पैराग्राफ 2.2.5 और 2.2.5.1)

पॉवर प्लांटों का परिचालनीय निष्पादन उप–इष्टतम था। प्लांटों की सकल स्टेशन उष्मा दर मानकों से ऊँची थी जिससे ₹ 125.92 करोड़ के अधिक ईंधन का उपभोग हुआ। राजघाट पॉवर हाउस, गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन और प्र.पॉ.स्टे.–III लक्षित प्लांट उपलब्धता तक नहीं पहुंच पाए जिससे ₹ 616.87 करोड़ के क्षमता प्रभारों की वसूली कम हुई। इसके अतिरिक्त, इन पॉवर प्लांटों की सहायक ऊर्जा उपभोग मानकों से अधिक थी जिससे ₹ 48.04 करोड़ के 154.75 एम.यू. का अधिक उपभोग हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.6.1 (ग), 2.2.6.3 (ख) और 2.2.6.5)

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मानकों के अनुपालन हेतु कोई कार्य योजना बनाए बिना रा.पॉ.हा. की इकाई–2 की ओवरहॉलिंग आरंभ करने के कारण प्लांट निष्क्रिय पड़ा रहा और ओवरहॉलिंग पर किया गया ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्कल हो गया।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

2.2.1 प्रस्तावना

प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण पॉवर की उपलब्धता अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की उन्नति के लिए जरूरी है। पॉवर क्षेत्र के सुधारों के अंग के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स) ने मार्च 2001 में दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुवर्ती इसने 20 नवंबर 2001 को दिल्ली विद्युत सुधार (हस्तांतरण योजना) नियम, 2001 अधिसूचित किया। इसके परिणामस्वरूप राज्य की पॉवर उत्पादन की गतिविधि पॉवर विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन इन्ड्रप्रस्थ पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.उ.कं.लि.) और प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (प्र.पॉ.कॉ.लि.) को सौंप दी गयी। 31 मार्च 2016 तक इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की संयुक्त अधिष्ठापित क्षमता 2,106.20 मेगावाट थी जिसमें इं.पॉ.उ.कं.लि. के दो पॉवर स्टेशन राजधानी पॉवर हाउस { (रा.पॉ.हा.): 135 मेगावाट और गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन (गै.ट.पॉ.स्टे.): 270 मेगावाट} और प्र.पॉ.कॉ.लि. {प्रगति पॉवर स्टेशन (प्र.पॉ.स्टे.-I): 330 मेगावाट और प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना: 1371.20 मेगावाट} थे।

2.2.1.1 संगठनात्मक ढांचा

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. का प्रबंधन निदेशकों का एक सामान्य बोर्ड (नि.बो) करता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबंधक निदेशक, निदेशक और कार्यात्मक निदेशक (निदेशक वित्त, एचआर और तकनीक) होते हैं जिनकी नियुक्ति रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा की जाती है। नि.बो. के शीर्ष पर अध्यक्ष होता है जो रा.रा.क्षे.दि.स. के पॉवर विभाग का पदेन सचिव होता है। प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी होता है जिसकी प्रतिदिन की गतिविधियों में सहायता कार्यात्मक निदेशक, कार्यकारी निदेशक और प्रमुख प्रबंधक करते हैं।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

प्रमुख लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन दक्षतापूर्ण, मितव्यतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से किया गया;
- क्षमता वृद्धि की योजना समुचित ढंग से हुई है और परियोजनाएं दक्षतापूर्ण, मितव्यतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की गई;
- इनपुट (ईंधन, श्रमशक्ति, इत्यादि) की आवश्यकता का निर्धारण व्यावहारिक था, प्रापण मितव्यता के साथ हुआ और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया; और
- कंपनियों ने अपने पॉवर प्लांटों की आऊटपुट को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए सक्षमता से कार्य किया।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 तक हुई जिसमें 2011–12 से 2015–16 तक पांच वर्षों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के मुख्यालयों और इन कंपनियों के चार पॉवर स्टेशनों के अभिलेखों की जांच की।

लेखापरीक्षा कार्यविधि, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और मानदंडों की चर्चा हेतु प्रबंधन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन (अप्रैल 2016) किया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सरकार और प्रबंधन के विचार जानने हेतु प्रतिवेदन को सरकार और प्रबंधन को जारी किया गया (सितम्बर 2016)। प्रबंधन के साथ एक समापन सम्मेलन (सितम्बर 2016) आयोजित किया गया। समापन सम्मेलन में इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए इस निष्पादन प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया है।

2.2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा प्राप्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित रौप्तों से प्राप्त मानदंडों पर किया गया:

- परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय विद्युत योजना और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के मानक और दिशानिर्देश;
- के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित मानक/दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.)/ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) द्वारा अनुमत मानक और पर्यावरणीय मामलों से संबंधित अधिनियम; तथा
- नि.बो. और लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त।

2.2.1.5 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा

‘दिल्ली में पॉवर उत्पादन की गतिविधियों’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सिविल एवं वाणिज्य), रा.रा.क्षे.दि.स. के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में शामिल की गई थी। इस रिपोर्ट पर विधानसभा की सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) में चर्चा किया जाना अभी बाकी है (अगस्त 2016)। प्रबंधन ने पिछली रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू नहीं की जो मुख्य रूप से परियोजना प्रणाली को सशक्त बनाने, स्टेशन ताप दर में सुधार, पॉवर प्लांट के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता तथा मरम्मत और रखरखाव पद्धति और क्रियाविधि को मजबूत बनाने से संबंधित थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.2 वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम अनुलग्नक 2.2 क और 2.2 ख में दिए गए हैं।

2.2.2.1 2011–16 की अवधि के दौरान दिल्ली में पॉवर वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा पॉवर देयताओं के भुगतान में कमी के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि. की व्यापारिक लेनदारी ₹ 810.82 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,740.03 करोड़ और प्र.पॉ.कॉ.लि. में यह ₹ 671.74 करोड़ से ₹ 3,275.63 करोड़ हो गई। पॉवर देयताओं की प्राप्ति न होने से दोनों कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा जिससे उन्हें अपनी दिन–प्रतिदिन के परिचालन व्यय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु अल्पावधि ऋणों का सहारा लेना पड़ा। इं.पॉ.उ.कं.लि. में अल्पकालीन ऋण 2011–12 में ₹ 222.96 करोड़ से 195.32 प्रतिशत बढ़कर 2015–16 में

₹ 658.44 करोड़ हो गए प्र.पॉ.कॉ.लि. में इसी अवधि के दौरान अल्पकालीन ऋण 263.77 प्रतिशत बढ़कर ₹ 148.58 करोड़ से ₹ 540.49 करोड़ हो गए।

2.2.2.2 2011–12 से 2015–16 के दौरान इं.पॉ.उ.कं.लि. में प्रति यूनिट परिवर्ती लागत ₹ 2.97 से बढ़कर ₹ 4.26 हो जाने के कारण उत्पादन की लागत प्रति यूनिट ₹ 4.14 प्रति इकाई से ₹ 10.45 प्रति इकाई हो गई जबकि प्र.पॉ.कॉ.लि. में यह प्रति यूनिट परिवर्ती लागत में ₹ 2.37 से ₹ 3.36 तक बढ़त के कारण ₹ 3.05 प्रति यूनिट से बढ़कर ₹ 6.00 प्रति यूनिट हो गई। प्रति इकाई उत्पादन लागत में यह बढ़ोत्तरी होने के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. से डिस्कॉम द्वारा पॉवर की खरीद कम हो गई। औसतन इं.पॉ.उ.कं.लि. पॉवर प्लांट में 32 प्रतिशत (रा.पॉ.हा.) से 37 प्रतिशत (गै.ट.पॉ.स्टे.) तथा प्र.पॉ.कॉ.लि. पॉवर प्लांट में 10 प्रतिशत (प्र.पॉ.स्टे.-I) से 68 प्रतिशत (प्र.पॉ.स्टे.-III) तक उत्पादन क्षमताएं प्रत्येक वर्ष कम उपयोग में रही।

2.2.2.3 कंपनियां समय पर ऋणों और उनपर ब्याज का भुगतान और निर्धारित तिथियों पर अग्रिम आयकर का भुगतान नहीं कर पाई और ₹ 132.63 करोड़ (ऋणों पर दंडात्मक ब्याज: ₹ 113.96 करोड़ और अग्रिम आयकर पर दंडात्मक ब्याज: ₹ 18.67 करोड़) का दंडात्मक भुगतान किया। 2011–16 के दौरान इं.पॉ.उ.कं.लि. के ब्याज और वित्त प्रभार ₹ 41.79 करोड़ से बढ़कर ₹ 134.52 करोड़ और प्र.पॉ.कॉ.लि. का ₹ 37.32 करोड़ से ₹ 331.38 करोड़ हो गया। ब्याज और वित्त प्रभार बढ़ने से कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ी।

2.2.3 योजना

के.वि.प्रा. के अनुमान यह संकेत करते हैं कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अंत तक दिल्ली में पॉवर की मांग लगभग 8700 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। 2011–12 से 2015–16 के दौरान दिल्ली की सर्वाधिक मांग की तुलना में पूरी की गई सर्वाधिक मांग के अनुसार पॉवर उपलब्धता का परिदृश्य, ऊर्जा के रूप में पॉवर की संपूर्ण आपूर्ति और इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. का दिल्ली की पॉवर आपूर्ति में योगदान नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2.1: सर्वाधिक मांग बनाम पूरी की गई सर्वाधिक मांग

वर्ष	सर्वाधिक मांग (मेगावाट)	पूरी की गई सर्वाधिक मांग (मेगावाट)	सर्वाधिक कमी (मेगावाट) (सर्वाधिक मांग का प्रतिशत)	सर्वाधिक मांग पूरा करने के लिए इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. का अंश (मेगावाट)	पूरी की गई सर्वाधिक मांग में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के अंश की प्रतिशतता	
2011-12	5,031	5,028	3 (0.06)	525	4,503	10.44
2012-13	5,727	5,642	85 (1.48)	804	4,838	14.25
2013-14	5,714	5,653	61 (1.07)	655	4,998	11.59
2014-15	6,006	5,925	81 (1.35)	821	5,104	13.86
2015-16	5,846	5,846	0.00	611	5,135	10.45

स्रोत: स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर रिपोर्ट

तालिका 2.2.2: ऊर्जा के रूप में संपूर्ण पॉवर आपूर्ति

वर्ष	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	कमी (एमयू) (आवश्यकता की प्रतिशतता)	इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा निर्धारित ऊर्जा शेड्युल (एमयू)	उपलब्धता की प्रतिशतता
2011-12	26,751	26,674	77 (0.3)	4,540.00	17.02
2012-13	26,088	25,950	138 (0.5)	5,781.94	22.28
2013-14	26,867	26,791	76 (0.3)	4,294.62	16.03
2014-15	29,231	29,106	125 (0.4)	5,191.08	17.84
2015-16	29,626	29,583	43 (0.1)	3,788.06	12.80

स्रोत: के.वि.प्रा. की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट और इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की सर्वाधिक मांग में योगदान सिर्फ 10 से 14 प्रतिशत के बीच था। संपूर्ण पॉवर आपूर्ति में उनका योगदान 13 से 22 प्रतिशत था।

2.2.4 निधि प्रबंधन

प्रभावी निधि प्रबंधन में उपलब्ध संसाधनों एवं ऋणों का अधिकतम उपयोग अनुकूल स्थितियों में उपयुक्त समय में किया जाता है। इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए नकद प्रवाह का विवरण अनुलग्नक 2.3 में दिया गया है। 2011-12 से 2013-14 और 2015-16 के दौरान इं.पॉ.उ.कं.लि. में नकद व नकद समतुल्य में निवल कमी आई। प्र.पॉ.कॉ.लि. में नकद और नकद समतुल्य में वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में कमी आई। नकद घाटे के प्राथमिक कारण डिस्कॉम द्वारा पॉवर बिलों के भुगतान में चूक थी।

2.2.4.1 बकाया ऊर्जा बिल

बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बी.रा.पॉ.लि.) और बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बी.य.पॉ.लि.) अक्तूबर 2010 से और टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टा.पॉ.दि.डि.लि.) अप्रैल 2014 के बाद से चूककर्ता थे। 31 मार्च 2016 तक उनसे ₹ 4,911.07 करोड़ की धनराशि (इं.पॉ.उ.कं.लि.: ₹ 1,722.54 करोड़ और प्र.पॉ.कॉ.लि.: ₹ 3,188.53 करोड़) वसूली योग्य थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पीपीए के अनुसार बी.रा.पॉ.लि. तथा बी.य.पॉ.लि. को साख पत्र (सा.प.)¹³ रखना आवश्यक था किन्तु मार्च 2011 से नहीं रखे गए। टा.पॉ.दि.डि.लि. द्वारा स्थापित सा.प. 31 मार्च 2014 को समाप्त हो गए और 1 अप्रैल 2014 के उपरांत नहीं रखे गए।
- डिफॉल्ट एस्क्रो करार¹⁴ पर हस्ताक्षर नहीं किए गए; तथा
- इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. और डिस्कॉम के बीच पॉवर खरीद करार में यह प्रावधान किया गया था कि पॉवर आपूर्ति बिलों के भुगतान में बी.रा.पॉ.लि., बी.य.पॉ.लि. और टा.पॉ.दि.डि.लि. द्वारा लगातार चूक होने की स्थिति में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. पॉवर आपूर्ति रोकने और 90 दिनों की पूर्व सूचना के बाद करारों को निरस्त करने की कोई कार्रवाई करे।

¹³बी.रा.पॉ.लि., बी.य.पॉ.लि. और टा.पॉ.दि.डि.लि. द्वारा इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. को न्यूनतम बारह माह अवधि और पिछले बारह माह के विलंब पर आधारित एक माह की ओसत बिल राशि का 105 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए बिना शर्त, चक्रीय और वसूली न किए जा पाने योग्य साख पत्र प्रदान करना अनिवार्य था

¹⁴बी.रा.पॉ.लि., बी.य.पॉ.लि. और टा.पॉ.दि.डि.लि. को इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के पक्ष में सा.प. पत्र धनराशि के बराबर वसूली योग्य प्राप्तियों को अनुमानित करना अपेक्षित है।

यद्यपि इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. ने पॉवर खरीद करार के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। प्रबंधन ने (सितम्बर 2016) बताया कि पॉवर उपभोक्ताओं के हित में, बकाया पॉवर देयताओं के भुगतान में चूक के कारण डिस्कॉमों पर कार्रवाई नहीं की। यह तथ्य फिर भी शेष है कि ₹ 4,911.07 करोड़ के देयताओं की वसूली बाकी है।

2.2.4.2 विचलन प्रभार का भुगतान

उपलब्धता आधारित टैरिफ (उ.आ.टै.) प्रणाली के अंतर्गत जब उनके पॉवर प्लांट पॉवर डिमांड शेड्यूल से ज्यादा/कम उत्पादन करे, जिससे ग्रिड आवृत्ति में विचलन हो, तो कंपनियों को विचलन प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों में निर्धारित पॉवर डिमांड शेड्यूल से विचलन हुए जो क्षमताओं को घोषित करने में अपर्याप्त मूल्यांकन का संकेत था। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (स्टेट.लो.डि.से.) ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 26.38 करोड़ के विचलन प्रभार की मांग की जिसका भुगतान करना पड़ा।

2.2.4.3 उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बोनस और प्रोत्साहन

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (अधिनियम) और लोक उद्यम विभाग (लो.उ.वि.) के निर्देशों (20 नवंबर 1997) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की हकदारी के अतिरिक्त या इससे अधिक बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए मना करता है, जब तक कि यह धनराशि पूर्ण रूप से अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राधिकृत हो। लो.उ.वि. ने आगे स्पष्ट किया (दिसंबर 2005) कि लो.उ.वि./प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अयोग्य कर्मचारियों को अनुग्रह राशि/बोनस के भुगतान का अनुमोदन करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:-

(क) 2006–07 तक इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. ने अपने 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी के कर्मचारियों की उनकी हकदारी के अनुसार अनुग्रह राशि/बोनस का भुगतान किया। यद्यपि 2007–08 के दौरान अधिनियम के प्रावधानों और लो.उ.वि. के निर्देशों से हटते हुए इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. ने सभी नियमित कर्मचारियों को ₹ 5,100 की दर से अनुग्रह राशि/बोनस के भुगतान का अनुमोदन किया (28 दिसम्बर 2007) जिसे पॉवर विभाग (पॉ.वि.) रा.रा.क्षे.दि.स. की अनुमति के बिना ₹ 3,500 की उच्चतम सीमा के विरुद्ध 2007–08 में ₹ 5,100 से प्रति वर्ष बढ़ाकर 2014–15 में ₹ 39,000 कर दिया।

(ख) इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. की वेतन संशोधन समिति ने योग्य कर्मचारियों के संबंध में अधिनियम के पालन का अनुमोदन करना जारी रखने की अनुमति देते हुए (दिसम्बर 2008) यह सिफारिश की कि बोनस/अनुग्रह राशि के स्थान पर कंपनियां सभी कर्मचारियों के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना निर्धारित करें। इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. के नि.बो. ने बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशि को रोके बिना 01 अप्रैल 2010 से लागू होने वाली 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना' (उ.आ.प्रो.यो.) का अनुमोदन किया (26 मार्च 2010)। उ.आ.प्रो.यो. की अवधि को पुनः 2011–12 के लिए बढ़ाया गया (11 जून 2011) और दिसम्बर 2011 में लो.उ.वि. द्वारा अनुमोदित किया गया। यद्यपि इस प्रस्ताव को रा.रा.क्षे.दि.स. के समक्ष रखते हुए यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया।

कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त नि.बो. ने वर्तमान उ.आ.प्रो.यो. के समयावधि को 2011–12 के बाद, संशोधित उ.आ.प्रो.यो. योजना के कार्यान्वयन होने तक बढ़ाने का भी अनुमोदन किया (25 जून 2012)।

इस प्रकार इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. ने उन कर्मचारियों को जो पात्र नहीं थे, को बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया और पात्र कर्मचारियों को निर्धारित सीमा (₹ 3,500) से अधिक का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 2011–12 से 2014–15 के दौरान ₹ 13.68 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया। उ.आ.प्रो.यो. के अंतर्गत 2012–13 से 2015–16 के दौरान ₹ 14.46 करोड़ के प्रोत्साहन का भुगतान भी रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा योजना का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर किया गया।

प्रबंधन ने सितम्बर 2016 में बताया कि लो.उ.वि. के निर्देश/दिशानिर्देश इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. पर लागू नहीं होते और कंपनियों के निदेशक बोर्ड (नि.बो.) में, जिसके प्रमुख सचिव (पॉवर), रा.रा.क्षे.दि.स. होते हैं, उनमें अपने कर्मचारियों हेतु नीतियों का निर्धारण करने की शक्ति विहित है, जिसमें अनुग्रह राशि योजना या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी सम्मिलित हैं। यद्यपि, प्रबंधन कंपनियों को लो.उ.वि. निर्देशों को लागू न करने के संबंध में निर्देश प्रदान नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त ये योजनाएं पॉ.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित नहीं थीं।

2.2.4.4 झा.लो.ना. बर्नर और सीवेज शोधन प्लांटों पर व्यय

प्र.पॉ.कॉ.लि. ने प्र.पॉ.स्टे.-I में नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्पर्जन स्तर के नियंत्रण हेतु ड्राई लो नाइट्रोजन ऑक्साइड (झा.लो.ना.) बर्नर अधिष्ठापित किए। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने प्र.पॉ.स्टे.-I में शोधित सीवर जल के प्रयोग हेतु दिल्ली गेट ड्रेन और सेन नर्सिंग होम ड्रेन सीवेज जल शोधन प्लांट (सी.ज.शो.प्ला.) का अधिकार दिल्ली जल बोर्ड से ले लिया। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान दि.वि.वि.आ. ने झा.लो.ना. बर्नरों पर प्रतिवर्ष ₹ 15 करोड़ का अनुमोदन किया और सी.ज.शो.प्ला. के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु 2012–13 में ₹ 3.27 करोड़, 2013–14 में ₹ 3.53 करोड़ और 2014–15 के दौरान ₹ 3.81 करोड़ का अनुमोदन किया। 2012–14 के दौरान प्र.पॉ.कॉ.लि. ने झा.लो.ना. बर्नरों के लिए ₹ 13.05 करोड़ और सी.ज.शो.प्ला. के प्रचालन व अनुरक्षण व्यय हेतु ₹ 8.08 करोड़ का दावा किया। दि.वि.वि.आ. ने यह जानने पर कि जिस व्यय का दावा किया गया है, उसके सत्यापन हेतु भुगतान पर्चियां नहीं हैं, ₹ 21.13 करोड़ के व्यय को अस्वीकृत कर दिया (सितम्बर 2015)। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने वि.अ.न्या. के समक्ष एक अपील दायर की, जिसपर निर्णय लंबित है।

2.2.5 क्षमता वृद्धि कार्यक्रम

पॉवर उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अंत में 3,340 मेगावाट के छ:¹⁵ पॉवर प्लांट चालू करने का लक्ष्य बनाया (2012)। इनमें

¹⁵रा.रा.क्षे.दि.स. ने बवाना का 1500 मेगावाट जून 2007 में अनुमोदित किया, बमनौली का 750 मेगावाट रा.रा.क्षे.दि.स. ने फरवरी 2011 में अनुमोदित किया, बाकी के चार संयंत्र हैं 350 मेगावाट का कंजावला में, 350 मेगावाट का आईपी स्टेशन के स्थल पर, 330 मेगावाट का रा.पॉ.हा. के स्थल पर और 270 मेगावाट के गै.ट.पॉ.स्टे. के स्थान पर 330 मेगावाट का इ.पा.उ.कं. के नि.बो. ने सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया।

से तीन पॉवर प्लांट¹⁶ को गैस न उपलब्ध होने के कारण स्थगित कर दिया गया। इंद्रप्रस्थ पॉवर स्टेशन पर स्थित पॉवर प्लांट को भूमि उपलब्ध न होने के कारण छोड़ दिया गया (जनवरी 2013) और 270 मेगावाट गै.ट.पॉ.स्टे. के संदर्भ में रा.रा.क्षे.दि.स. का निर्णय नवंबर 2016 तक प्रतीक्षित है। मात्र 1500 मेगावाट का प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना मार्च 2014 में चालू किया गया। इस प्रकार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की संकल्पना और परियोजना यथार्थवादी नहीं थी क्योंकि वह गैस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण कारकों का आकलन करने में विफल रहे।

2.2.5.1 बवाना में गैस आधारित पॉवर परियोजना का कार्यान्वयन

रा.रा.क्षे.दि.स. की 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन (सिविल तथा वाणिज्य) के पैरा 5.2.12 में बवाना में गैस आधारित पॉवर परियोजना प्र.पॉ.स्टे.-III के कार्यान्वयन में देरी को प्रदर्शित किया गया। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने बीएचईएल को ₹ 3,500 करोड़ में एक अभियांत्रिकी प्राप्त एवं अधिष्ठापन (अ.प्रा.अ.) का करार किया (30 अप्रैल 2008)। इस करार के अनुसार ब्लॉक-I को 31 जुलाई 2010 और ब्लॉक-II को 30 नवम्बर 2010 तक चालू होना था। इसके बाद स्थल पर विस्तृत अभियांत्रिकी और प्रचालनगत स्थितियों के आधार पर प्लांट की क्षमता 1,371.20 मेगावाट ₹ 4,536.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर निर्धारित की गयी। ब्लॉक-I 14 दिसम्बर 2012 और ब्लॉक-II 27 मार्च 2014 को चालू किया गया। 27 मार्च 2014 को प्र.पॉ.कॉ.लि. ने परियोजना पर ₹ 4,355.19 करोड़ का व्यय किया। लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य सामने आए:

(i) ब्लॉक-I को चालू करने में 28½ माह और ब्लॉक-II चालू होने में 40 माह की देरी हुई। इसका कारण प्र.पॉ.कॉ.लि. ने बीएचईएल द्वारा परिवहन तथा परियोजना के शुरू होने में देरी को बताया, कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने और मैसर्स बीएचईएल से निर्धारित समय सीमा का पालन करवाने में भी विफल रहा। इन सभी कारकों पर प्रभावी निगरानी द्वारा नियंत्रण किया जा सकता था। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (वि.अ.न्या.) के निर्णय (27 अप्रैल 2011 को महाराष्ट्र राज्य पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग और अन्य के मामले में अपील सं. 72/2010) में निर्धारित सिद्धांत¹⁸ के अनुसार प्र.पॉ.कॉ.लि. कुल ₹ 474.32 करोड़ निर्माण के दौरान ब्याज (₹ 407.69 करोड़), विदेशी मुद्रा दर विचलन (₹ 11.11 करोड़) और निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (₹ 55.52 करोड़) शुल्क में वसूल नहीं कर पाया।

(ii) परियोजना को चालू होने में देरी के कारण इक्विटी पर प्र.पॉ.कॉ.लि. ₹ 163.32 करोड़¹⁹ के अतिरिक्त प्रतिलाभ (0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से) का लाभ नहीं ले पाया जोकि के.वि.वि.आ. (शुल्क के नियम तथा शर्तें) नियमन, 2009 के अनुसार स्वीकार्य था।

¹⁶बमनौली में 750 मेगावाट (अगस्त 2011), (पैरा 2.2.5.2) 350 मेगावाट कंजावला (अगस्त 2012) और 330 मेगावाट राजघाट स्थल पर (अगस्त 2014)।

¹⁷प्रत्येक ब्लॉक में दो गैस टर्बाइन जनरेटर, उससे संलग्न वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर और उनसे जुड़े हुए स्टीम टर्बाइन जनरेटर होते हैं।

¹⁸बिजली उत्पादन परियोजना के कार्यान्वयन में ऐसे विलंब के लिए जिसके लिए पूर्णतः उत्पादन कंपनी जिम्मेदार हो, समयावधि अधिक हो जाने की पूरी लागत उत्पादक कंपनी ही उठाएगी। यद्यपि परिसमाप्त हर्जाना और बीमे से प्राप्त धनराशि, यदि कोई हो, तो उत्पादन कंपनी उसे रख सकती है।

¹⁹कुल लागत ₹ 4,355.19 करोड़ × 30 प्रतिशत (लागत को के.वि.वि.आ. के विनियमों के अनुसार इक्विटी माना जाएगा) × 0.50 प्रतिशत × 25 (परियोजना अवधि)।

(iii) किसी भी पूर्ण की गई सुविधा के सफल प्रारंभिक प्रचालन पूर्ण होने के बाद किए जाने वाले निष्पादन गारंटी परीक्षण, जो कि परियोजना के चालू होने के बाद दो वर्ष बीत जाने पर भी, नहीं किए गए थे।

प्रबंधन ने बताया कि के.वि.वि.आ. द्वारा गलती से ब्याज की अनुमति नहीं दी गई। 2015 में वि.अ.न्या. में एक याचिका दायर की गई है।

2.2.5.2 बमनौली में 750 मेगावाट पॉवर परियोजना

प्र.पॉ.कॉ.लि. ने बीएचईएल को बमनौली पॉवर परियोजना के लिए परियोजना के ऊपर से गुजरने वाली 400 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के स्थानांतरण हेतु ₹ 128.34 करोड़ और पॉवर स्टेशन बनाने के लिए ₹ 1,064.90 करोड़ की लागत पर आशय पत्र (आ.प.) बी.एच.इ.एल को जारी किया (29 मार्च 2011)। अगस्त 2011 में रा.रा.क्षे.दि.स. ने प्र.पॉ.कॉ.लि. को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) / भारत सरकार (भा.स.) से गैस आवंटन के किसी ठोस आश्वासन के बिना परियोजना पर कोई व्यय न करने की सलाह दी। परियोजना के लिए गैस आवंटन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने जुलाई 2016 तक ₹ 98.56 करोड़ का व्यय किया तथा एक करार किया (नवंबर 2011)। इस परियोजना में आगे कोई प्रगति अभी तक नहीं देखी गई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि इस परियोजना का क्रियान्वयन भूमि की पूर्व-आवश्यकता से जुड़ा था और उपलब्ध भूमि प्राप्त करने के लिए वर्तमान ट्रांसमिशन लाईनों के स्थानांतरण का कार्य आरंभ किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओवरहेड लाईनों के स्थानांतरण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पॉवर प्लांट के लिए गैस की उपलब्धता के कोई आश्वासन के बिना ही करार किया गया। करार करने के समय गैस का आवंटन नहीं हुआ था और नवम्बर 2016 तक भी यही स्थिति है।

2.2.6 प्रचालनीय निष्पादन

पॉवर उत्पादन कंपनियों के प्रचालन इनपुट जैसे ईंधन और श्रमशक्ति पर निर्भर है, जिसमें आउटपुट प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट उपलब्धता, क्षमता उपयोग, आउटेज और पूरक उपभोग से संबंधित है। 2011–12 से 2015–16 के दौरान इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के उत्पादन केंद्रों का प्रचालनीय निष्पादन अनुलग्नक 2.5 से अनुलग्नक 2.8 में दिया गया है जो यह दर्शाता है कि पुनरीक्षण अवधि में प्रचालनीय निष्पादन वर्ष दर वर्ष कम हुआ है। ईंधन की खपत मानकों से अधिक थी। उत्पादन केंद्र उत्पादन लक्ष्य, प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट उपलब्धता और क्षमता उपयोग के मानकों को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

2.2.6.1 इनपुट प्रभाविता

(क) कोयला प्रबंधन

कोयला प्राप्ति: इ.पॉ.उ.कं.लि. ने राजघाट पॉवर हाउस (रा.पॉ.हा.) के लिए कोयला आपूर्ति हेतु मै. नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड (नॉ.को.फी.लि.) के साथ एक ईंधन आपूर्ति करार (ई.आ.क.) किया। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.) ने कोयले की औसत कैलोरीफिक मूल्य 2011–12 में 3,601 कि.कै. और 2012–13 से 2015–16 तक 3,703 कि.कै. निर्धारित की। 2012–13 से 2015–16 के दौरान केंद्र पर प्राप्त वास्तविक कोयला

3,671 कि.कै. से 3,699 कि.कै. तक था जो कि दि.वि.वि.आ. के मानकों से कम था। कोयले की कम कैलोरीफिक मूल्य कोयले की खपत को प्रभावित करता है और लागत को बढ़ाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.आ.क. में कोयले के आकार और अत्यधिक राख की मात्रा को निर्दिष्ट किया लेकिन कोयले की कैलोरीफिक मूल्य की प्रतिबद्धता का संकेत नहीं दिया था। कंपनी ने प्राप्त कोयले की कम कैलोरीफिक मूल्य के बारे में आपूर्तिकर्ता के साथ मामला नहीं उठाया।

प्रबंधन ने स्वीकार (सितम्बर 2016) किया कि ई.आ.क. में इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं था।

अस्वीकृत कोयले का निपटान नहीं करना: पिसाई की प्रक्रिया के दौरान कोयला मिलों द्वारा अस्वीकृत कोयले को निर्दिष्ट क्षेत्र में डाल दिया जाता है। स्क्रैप और आधिक्य पहचान व निपटान समिति (स्क्रै.आ.प.नि.स.) ने रा.पॉ.हा. में अस्वीकृत कोयले के रूप में पड़े 32,000 मेट्रिक टन (मे.ट.) कोयले को ई— नीलामी के माध्यम से निपटाने की सिफारिश की (मार्च 2014)। प्रबंधन ने फरवरी 2015 रा.पॉ.हा. से प्रत्येक वर्ष के आधार पर अस्वीकृत कोयले का विवरण प्रदान करने को कहा और स्क्रै.आ.प.नि.स. की सिफारिशों के आधार पर 32,000 मे.ट. अस्वीकृत कोयले का निपटान ₹ 650 प्र.मे.ट. के आरक्षित मूल्य पर करने का निर्देश दिया। यद्यपि, प्लांट प्राधिकारियों ने आवश्यक विवरण प्रदान नहीं किया और अस्वीकृत कोयला नवम्बर 2016 तक भी बेचा नहीं जा सका और इ.पॉ.उ.कं.लि. को ₹ 2.08 करोड़ (32,000 मे.ट. के लिए ₹ 650 प्रति मे.ट. की दर पर प्राक्कलित) के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

ट्रांजिट में घाटा: दि.वि.वि.आ. ने ट्रांजिट में घाटे हेतु अधिकतम 0.8 प्रतिशत के मानक निर्धारित किये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ट्रांजिट घाटा मानकों की तुलना में 0.60 से 4.01 प्रतिशत के बीच था जिसके फलस्वरूप समीक्षाधीन अवधि के दौरान ₹ 6.05 करोड़ के 23,169.93 मे.ट. कोयले का घाटा हुआ।

(ख) गैस हेतु समझौते

प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना को केजी बेसिन गैस की आपूर्ति के लिए करार: प्र.पॉ.कॉ.लि. ने जून 2012 में केजी बेसिन से प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना को गैस की आपूर्ति और परिवहन हेतु तीन करार किए अर्थात् (i) तीन निजी कंपनियों के समूह के साथ 0.836 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (मि.मे.स्टै.क्यू.मी.प्र.दि.) गैस प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना को आपूर्ति हेतु (ii) एक निजी कंपनी के साथ जो पूर्व तट से पश्चिम तट तक गैस को पहुंचाएगा और (iii) गोल (इंडिया) लिमिटेड के साथ जो आगे पश्चिम तट से बवाना प्लांट तक गैस को पहुंचाएगा। करारों में न्यूनतम गारंटी आफटेक, मिनिमम शिप ऑर पे और पाईपलाईनों से गैस की प्रतिदिन निकासी जैसे शर्त थीं। जुलाई 2012 से फरवरी 2013 के बीच कम पॉवर शेड्युलिंग के कारण, प्लांट प्राधिकारी न्यूनतम गारंटी गैस का उपयोग करने में सफल नहीं रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 28 करोड़²⁰ का जुर्माना देना पड़ा।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि गैस आपूर्तिकर्ता ने प्र.पॉ.कॉ.लि. को 1 मार्च 2013 को सूचित किया कि पॉवर उपभोक्ताओं की तुलना में उर्वरक और एलपीजी गैस की आपूर्ति की भारत

²⁰अगस्त 2012 में कंपनियों के समूह को ₹ 0.80 करोड़ मासिक न्यूनतम मात्रा का 80 प्रतिशत न लेने के कारण, ₹ 10.13 करोड़ न्यूनतम मात्राओं के परिवहन मात्राओं के परिवहन ना होने के कारण, और गोल को ₹ 17.07 करोड़ पाईपलाईन में न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत से अधिक असंतुलन रखने के कारण

सरकार द्वारा सूचित प्राथमिकताओं में परिवर्तन के फलस्वरूप बवाना प्लांट को केजी बेसिन गैस की आपूर्ति तुरन्त समाप्त हो जाएगी। यद्यपि प्र.पॉ.कॉ.लि. ने गेल के साथ किए गए परिवहन करार को निरस्त नहीं किया और 2013–14 के दौरान न्यूनतम परिवहन प्रभार के रूप में ₹ 29.68 करोड़ का भुगतान किया। केजी बेसिन से गैस की आपूर्ति का करार 31 मार्च 2014 को समाप्त हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि करार में कोई एकिजट क्लॉज नहीं था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मैसर्स गेल के साथ परिवहन करार में प्रावधान है कि यदि करार में एक पार्टी को किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अपने दायित्वों को निभाने से रोका जाता है या बाधित किया जाता है तो करार समाप्त किया जा सकता है। सरकार के कृत्य जो कि पार्टीयों की दायित्वों को निभाने की योग्यता को प्रभावित करती है, अप्रत्यशित घटना में शामिल है। इसलिए न्यूनतम परिवहन शुल्क की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए इन संविदात्मक प्रावधानों को लागू करके अनुबंध समाप्त किया जा सकता था जबकि विशेष रूप से अनुबंध किसी भी घटना पर 31 मार्च 2014 को समाप्त हो रहा था।

(ग) ईंधन का उपभोग

ईंधन का उपभोग मुख्यतः पॉवर प्लांटों की “सकल स्टेशन ऊषा दर” (स.स्टे.ऊ.द.)²¹ पर निर्भर है। दि.वि.वि.आ. और के.वि.वि.आ. ने अपने बहुवर्षीय टैरिफ विनियमनों (ब.टै.वि.) में रा.पॉ.हा., गै.ट.पॉ.स्टे., प्र.पॉ.स्टे.–I और प्र.पॉ.स्टे.–III, बवाना के लिए स.स्टे.ऊ.द. मानक निर्धारित किए। 2011–12 से 2015–16 के दौरान दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित स.स्टे.ऊ.द. मानकों की स्थिति की तुलना में चार पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त स.स्टे.ऊ.द. दर नीचे दी गई है:

तालिका 2.2.3: ईंधन खपत मानकों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां

प्लांट का नाम	दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. मानकों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां (किलो कैलोरी/किलो वाट में)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
रा.पॉ.हा.	दि.वि.वि.आ. मानक	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	प्राप्त वास्तविक	3,072	3,340	3,375	3,368	3,292
गै.ट.पॉ.स्टे.	दि.वि.वि.आ. मानक	ओसी ²²	3,125	3,125	3,125	3,125
		सीसी ²³	2,450	2,450	2,450	2,400
	प्राप्त वास्तविक	ओसी	3,391	3,448	3,441	3,473
		सीसी	2,489	2,445	2,424	2,503
प्र.पॉ.स्टे. I	दि.वि.वि.आ. मानक	ओसी	2,900	2,900	2,900	2,900
		सीसी	2,000	2,000	2,000	2,000
	प्राप्त वास्तविक	ओसी	3,095	3,121	3,161	3,188
		सीसी	1,988	1,989	1,990	1,997
प्र.पॉ.स्टे. III	के.वि.वि.आ. मानक	ओसी	2,756	2,756	2,756	2,756
		सीसी	1,845	1,845	1,845	1,845
	प्राप्त वास्तविक	ओसी	2,991	3,722	3,031	2,817
		सीसी	0*	2,041	1,971	1,867

ज्ञोत: इ.पॉ.ऊ.कॉ.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

* क्योंकि प्र.पॉ.स्टे. III पूरी तरह चालू नहीं था

²¹सकल स्टेशन ऊषा दर (स.स्टे.ऊ.द.) का अर्थ ताप विद्युत स्टेशन के उत्पादन टर्मिनल में एक कि.वा.घं. विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने हेतु कि. कै. में ऊषा ऊर्जा इनपुट।

²²ओपन साईकल

²³कंबाइंड साईकल

जैसा कि उपर से स्पष्ट है कि संवीक्षित अवधि के दौरान सभी चारों पॉवर प्लांटों की स.स्टे.ऊ.द. मानकों से अधिक थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 125.92 करोड़ मूल्य के ईंधन की अधिक खपत हुई (अनुलग्नक 2.4)।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि ईंधन का अधिक उपभोग इकाईयों के बार-बार चालू और बंद होने के कारण तथा कम शेड्युलिंग के कारण प्लांटों के आंशिक लोड पर चलने के कारण हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्लांट प्राधिकारी ने संवीक्षित अवधि के दौरान मशीनों के लिए कोई निष्पादन गारंटी टेस्ट नहीं करवाया जो उच्च स्टेशन ताप दर के कारणों का पता लगा सके।

2.2.6.2 मैनपॉवर प्रबंधन

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की मैनपॉवर 2011–12 के आरंभ में 1,396 थी जो 2015–16 के अंत में कम होकर 1,189 हो गई। यद्यपि अभी भी मैनपावर थर्मल पॉवर स्टेशनों के लिए के.वि.प्रा. के मानदंडों से अधिक थी जैसा नीचे तालिका 2.2.4 में दिया गया है:—

तालिका 2.2.4: के.वि.प्रा. की तुलना में रा.पॉ.हा. में मैनपॉवर

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	राजघाट पॉवर हाउस की अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	135	135	135	135	135
2	वेतन पंजिका के अनुसार कर्मचारियों की सं.	417	369	353	345	268
3	के.वि.प्रा. मानक 1.1 व्यक्ति प्रति मेगावाट के अनुसार आवश्यक मैनपॉवर (सं.)	149	149	149	149	149
4	अधिक तैनाती (सं.)	268	220	204	196	119
5	कर्मचारियों पर व्यय—वेतन और भत्ते (₹ करोड़ में) (वेतन पंजिका के अनुसार)	26.39	25.80	25.68	26.64	25.60
6	के.वि.प्रा. मानकों के संदर्भ में व्यय की अधिकता (₹ करोड़ में) ($5 \times 4 / 2$)	16.96	15.38	14.84	15.13	11.37

ओत: इं.पॉ.उ.कं.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

के.वि.प्रा. के मानदंडों के संदर्भ में अतिरिक्त मैनपॉवर के कारण कर्मचारियों को दिये गए वेतन तथा लाभों पर पर ₹ 73.68 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि रा.पॉ.हा. एक छोटा सा प्लांट है और इसके अनेक गैर-मशीनी प्रचालन है और इसकी तुलना बड़ी क्षमता वाले/नई प्रौद्योगिकी आधारित प्लांटों से नहीं की जा सकती।

2.2.6.3 आउटपुट दक्षता

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर स्टेशनों की आउटपुट दक्षता के संदर्भ में विभिन्न पैरामीटरों पर निष्पादन के मूल्यांकन हेतु निष्पादन प्रचालन पर नीचे चर्चा की गई है।

(क) उत्पादन लक्ष्य और प्लांट लोड़ फैक्टर

प्रत्येक वर्ष के पॉवर उत्पादन के लक्ष्यों को के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. भी पॉवर प्लांटों के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करता है। के.वि.प्रा. और दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2011–12 से 2015–16 में प्राप्त लक्ष्य **अनुलग्नक 2.5** में दिए गए हैं। 2011–12 से 2015–16 के दौरान पॉवर प्लांट 54,436.810 एम.यू. के लक्ष्य के विपरीत मात्र 25,724.233 एम.यू. पॉवर का ही उत्पादन कर पाए जिससे 28,712.577 एम.यू. (52.74 प्रतिशत) की कमी पाई गई। उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का प्रमुख कारण पॉवर प्लांटों का कम प्लांट लोड़ फैक्टर (पीएलएफ) था।

दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित प्लांट.लो.फै. की तुलना में 2011–12 से 2015–16 के दौरान पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त की गई प्लांट.लो.फै. **अनुलग्नक 2.5** में दी गई है। प्लांट.लो.फै. के विश्लेषण से पता चला कि 2011–12 एवं 2012–13 में प्र.पॉ.स्टे.-I के सिवा कोई भी पॉवर प्लांट दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित मानक प्राप्त नहीं कर सका। न्यून प्लांट.लो.फै. के मुख्य कारण प्लांट की कम उपलब्धता, कम होती हुई क्षमता उपयोगिता, पॉवर की कम शेड्यूलिंग, अनिर्धारित मुख्य शटडाउन और मरम्मत व रखरखाव में देरी थे।

(ख) प्लांट की उपलब्धता

प्लांट उपलब्धता प्रतिदिन घोषित क्षमताओं का स्टेट लोड़ डिस्पैच सेंटर (स्टे.लो.डि.से.) द्वारा प्रमाणित औसत है। दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित नियामक वार्षिक प्लांट उपलब्धता घटक (नि.वा.प्लां.उ.घ.) की तुलना में 2011–12 से 2015–16 के दौरान पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त नि.वा.प्लां.उ.घ. को **अनुलग्नक 2.6** में दिया गया है। 2011–12 से 2015–16 के दौरान मात्र प्र.पॉ.स्टे.-I ही नि.वा.प्लां.उ.घ. प्राप्त कर सका। रा.पॉ.हा. में यह किसी भी वर्ष प्राप्त न हो सका। गै.ट.पॉ.स्टे. 2014–15 और 2015–16 में नि.वा.प्लां.उ.घ. प्राप्त नहीं कर सका और प्र.पॉ.स्टे.-III 2011–12 और 2015–16 में यह प्राप्त नहीं कर सका। नि.वा.प्लां.उ.घ. प्राप्त न होने के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. 2011–12 से 2015–16 के दौरान डिस्कॉम से ₹ 616.87 करोड़ क्षमता प्रभार वसूल नहीं कर सके। नि.वा.प्लां.उ.घ. का पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त न किये जाने के मुख्य कारण सामयिक रखरखाव शेड्यूल की गैर अनुपालना के कारण बढ़े हुए आउटेज, कम होती क्षमता उपयोगिता, मुख्य शटडाउन और मरम्मत तथा रखरखाव में देरी थी।

(ग) क्षमता उपयोग

क्षमता उपयोग से अर्थ प्रचालन के वास्तविक घंटों के दौरान वास्तविक उत्पादन से संभावित उत्पादन का अनुपात है। इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. पॉवर प्लांट की क्षमता उपयोग में 2011–12 और 2015–16 के बीच कमी आई (**अनुलग्नक 2.5**)। रा.पॉ.हा. में यह 86 से कम होकर 80 प्रतिशत, जबकि गै.ट.पॉ.स्टे. में 80 से कम होकर 72 प्रतिशत, प्र.पॉ.स्टे.-I में 92 से 74 प्रतिशत और प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना में यह 2011–12 में 72 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 57 प्रतिशत हो गई। कम होते क्षमता उपयोग का मुख्य कारण पुरानी उत्पादन इकाईयां, बहुत अधिक आकर्षिक आउटेज के कारण बार-बार इकाई ठप होना, मरम्मत व रखरखाव में देरी और इकाईयों का आंशिक/बिना लोड संचालित होना थे।

पॉवर स्टेशन 47 प्रतिशत की कम क्षमता स्तर पर संचालित थे। नियामक प्लां.लो.फै. प्राप्त न होने के कारण पॉवर प्लांटों की औसतन 10 से 68 प्रतिशत क्षमता अनुपयोगित रही और इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. डिस्कॉम से ₹ 616.87 करोड़ के क्षमता प्रभार की वसूली न कर सके।

2.2.6.4 आउटेज

आउटेज वह अवधि है जब प्लांट नियोजित/आकस्मिक मरम्मत के लिए बंद रहते हैं। रा.पॉ.हा., गै.ट.पॉ.स्टे., प्र.पॉ.स्टे.-I और प्र.पॉ.स्टे.-III के कुल उपलब्ध घंटे, संचालन के घंटे, नियोजित व आकस्मिक आउटेज का विवरण अनुलग्नक 2.7 में दिया गया है। इस संबंध में अभ्युक्तियां तालिका 2.2.5 में हैं:

तालिका 2.2.5: आउटेज

प्लांट का नाम	वास्तविक संचालन के घंटे	फोर्सड आउटेज ²⁴	बैंकिंग डाऊन घंटे ²⁵
रा.पॉ.हा.	2011–12 में 80.44 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 4.91 प्रतिशत हो गया।	8.63 प्रतिशत (2014–15) से 95.00 प्रतिशत (2015–16) के बीच था। ट्यूब से रिसाव, कोयले की कमी, भट्टी का उच्च दाब, फ्लेम फेल्यूर, टर्बाइन समस्याओं के कारण यह 2014–15 के अलावा सभी वर्षों में उपलब्ध घंटों के 10 प्रतिशत की के.वि.प्रा. की अधिकतम सीमा से अधिक था।	2011–14 के दौरान 0.38 से बढ़कर 43.76 प्रतिशत हो गया जो 2014–15 में कम होकर 31.38 प्रतिशत हो गया।
गै.ट.पॉ.स्टे.	2011–13 के दौरान 64.95 से बढ़कर 65.86 प्रतिशत हो गया लेकिन 2013–16 के दौरान कम होकर 27.20 प्रतिशत हो गया।	1.45 प्रतिशत (2012–13) से 13.29 प्रतिशत (2014–15) के बीच था। ये डीजल इंजन की खराबी, ज्यादा कंपन, गैस/नियंत्रण वाल्व में खराबी, विभिन्न प्रकार का रिसाव, तारों में आग लगना, सहायक पॉवर आपूर्ति ठप होना और प्रणाली में झटकों के कारण 2014–16 के दौरान के.वि.प्रा. की अधिकतम सीमा से अधिक थे।	2011–16 के दौरान 27.57 से बढ़कर 61.17 प्रतिशत हो गया।
प्र.पॉ.स्टे..I	2011–16 के दौरान 96.18 से कम होकर 70.80 प्रतिशत हो गया।	ये मानकों के भीतर था।	2011–16 के दौरान 1.48 से बढ़कर 21.74 प्रतिशत था।
प्र.पॉ.स्टे..III	17.94 प्रतिशत (2013–14) से 57.54 प्रतिशत (2012–13) के बीच था।	1.94 प्रतिशत (2013–14) से बढ़कर 20.80 प्रतिशत (2015–16) हो गया। मुख्यतः गै.ट.इ. 1 का रोटर खराब होने और गै.ट.इ. 3 के जनरेटर ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण ये 2015–16 के दौरान के.वि.प्रा. की अधिकतम सीमा से अधिक थी।	38.97 प्रतिशत (2012–13) से बढ़कर 77.09 प्रतिशत (2013–14) हो गया।

स्रोत: इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

²⁴फोर्सड आउटेज वह आउटेज है जो पूर्वनियोजित नहीं है (मशीनों में आकस्मिक ब्रेक डाउन)

²⁵बैंकिंग डाऊन घंटों वह घंटे हैं जिनकी स्टेलो.डि.से. एवं डिस्कॉम से विजली का शेड्यूल न मिलने के कारण हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्लांट प्राधिकारियों ने सामयिक रखरखाव शेड्यूलों का अनुपालन नहीं किया जिससे न केवल आउटेज हुए बल्कि स्टेशन उष्मा दर में कमी हुई जिससे इनपुट की अधिक खपत, प्लांटों की क्षमता की उपयोगिता में कमी और पॉवर के शेड्यूल में कमी हुई।

2.2.6.5 सहायक ऊर्जा उपभोग

सहायक ऊर्जा उपभोग (स.ऊ.उ.) का अर्थ उत्पादन प्रणाली के सहायक उपकरणों द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा की प्रमात्रा है। दि.वि.वि.आ./के.पॉ.वि.आ. द्वारा निर्धारित (स.ऊ.उ.) मानकों की तुलना में 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त किया गया सहायक ऊर्जा उपभोग **अनुलग्नक 2.8** में दिया गया है। स.ऊ.उ. प्र.पॉ.स्टे.–I, के अलावा सभी पॉवर प्लांटों में अधिक था जिसके फलस्वरूप ₹ 48.04 करोड़ के 154.75 एम.यू. का अधिक उपभोग हुआ। के.वि.प्रा (मीटर अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2010 से पॉवर स्टेशनों के लिए ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मीटर का प्रतिष्ठापन अनिवार्य कर दिया गया। यद्यपि आवश्यक स्थानों पर इनको प्रतिष्ठापित नहीं किया गया, प्लांट प्राधिकारी ने टैरिफ की याचिकाओं में यह दलील दी कि स.ऊ.उ. प्रणाली की मांग कम होने के कारण प्लांटों में बार–बार होने वाले/लंबी अवधि तक चलने वाली प्लांट बैकिंग डाउन के कारण ज्यादा था। यद्यपि, इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. बैकिंग डाउन का स.ऊ.उ. पर होने वाले प्रभाव का निर्धारण करने के लिए दि.वि.वि.आ. को कोई अध्ययन/विवरण नहीं उपलब्ध करा पाये जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ तय करते समय दि.वि.वि.आ. ने इसे संज्ञान में नहीं लिया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. ने के.वि.प्रा. के मानकों का उल्लंघन किया है यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि कंपनियों ने पर्याप्त मीटरों का अधिष्ठापन किया है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा सत्यापन में पाया गया कि मीटरों का सभी आवश्यक स्थानों पर अधिष्ठापन नहीं किया गया।

2.2.7 मरम्मत और रखरखाव

उपकरण की दक्षता और उपलब्धता वार्षिक रखरखाव और ओवरहॉलिंग कार्यक्रम के पालन पर निर्भर है। इस संबंध में पाए गए प्रमुख निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.7.1 राजधानी पॉवरहाउस की प्रमुख ओवरहॉलिंग

रा.रा.क्षे.दि.स. ने 31 मार्च 2011 तक रा.पॉ.हा. को बंद करने का निर्णय लिया जिसको 31 मार्च 2013 तक स्थगित कर दिया गया। यद्यपि, इं.पॉ.उ.कं.लि. के नि.बो. ने मार्च 2013 के बाद रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुमोदन मिलने की स्थिति में पांच वर्ष की अवधि के लिए इसका प्रचालन जारी रखने हेतु सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान किया, जिसका आधार यह था कि रा.पॉ.हा. वॉल्ड सिटी की आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है और जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो, प्लांट चालू रखा जाए। नि.बो. ने ₹ 22.92 करोड़ में रा.पॉ.हा. की दोनों इकाईयों की प्रमुख ओवरहॉलिंग (प्र.ओ.) को भी अनुमोदन प्रदान किया। पॉवर विभाग,

रा.रा.क्षे.दि.स. ने नि.बो. के निर्णय का अनुमोदन किया (नवंबर 2014) और इकाई-2 का प्र.ओ. 30 दिसम्बर 2014 से आरंभ किया गया और ₹ 15.09 करोड़ के व्यय में 1 अप्रैल 2015 में पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया:

- (i) प्र.ओ. प्रस्तावित कार्यक्रम के एक वर्ष बीतने के बाद आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त यह 60 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना था लेकिन इसमें 92 दिन लगे।
- (ii) प्र.ओ. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.) के सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर (स.पा.मै.) के मानकों की प्राप्ति हेतु किया जाना था। लेकिन प्र.ओ. के दौरान 50 मि.ग्रा./च्यू.मी³ के पार्टिक्यूलेट मैटर एमीशन के दि.प्र.नि.स. के मानकों का पालन करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ई.स्टै.प्रे.) के उन्नयन या अतिरिक्त ई.स्टै.प्रे. रीट्रोफिटिंग करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप दि.प्र.नि.स. ने रा.पॉ.हा. को प्रचालित न करने का निर्देश दिया (मार्च 2016)। रा.पॉ.हा. प्लाट मई 2015 से निष्क्रिय था, जिसके कारण ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि ओवरहॉलिंग के पूर्ण होने में देरी जनरेटर, टर्बाइन और बॉयलर को खोलने के बाद पाई गई अन्य अप्रत्याशित क्षति के कारण हुई। नए/अतिरिक्त ई.स्टै.प्रे. की रिट्रोफिटिंग, स्थान की कमी और ऊंची लागत के कारण नहीं की गई। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ई.स्टै.प्रे. की रिट्रोफिटिंग के स.पा.मै. मानकों की प्राप्ति के लिए जरूरी थी, जो उसके प्रचालन को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक थे। ऐसा करने में विफल रहने के कारण, ₹ 15.09 करोड़ व्यय करने के बावजूद रा.पॉ.हा. मई 2015 से निष्क्रिय पड़ा है।

2.2.7.2 गै.ट.पॉ.स्टे. गैस टर्बाइन इकाई 2 (गै.ट.इ.) का पुनरुद्धार

फरवरी 2014 में गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन (गै.ट.पॉ.स्टे.) के गै.ट.इ.-2 के हॉट गैस पाथ निरीक्षण के दौरान मशीन के कंप्रेसर डिस्चार्ज केसिंग और टर्बाइन केसिंग क्षतिग्रस्त पाए गये और मरम्मत योग्य नहीं थे। प्रबंध निदेशक की अनुमति (अक्तूबर 2014) के बाद सामग्री, स्पेयर और सर्विस हेतु एक क्रय आदेश (क्र.आ.) मार्च 2015 में दिया गया। मशीन की मरम्मत ₹ 13.29 करोड़ में की गई और 25 अक्तूबर 2015 में पुनः चालू की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रबंधन को एक नया गैस टर्बाइन (गै.ट.) प्राप्त करने के निर्णय में सात माह से अधिक लगे और इसके बाद क्र.आ. देने में चार माह से अधिक लगे।

गै.ट.इ.-2 के पुनरुद्धार के लिए और देरी हुई क्योंकि गै.ट.इ.-2 के लिए आदेशित एग्जॉस्ट प्लेनम और डिफ्यूजर को गै.ट.इ.-4 को जून 2014 में लगाया गया। गै.ट.इ.-2 के लिए इस उपकरण का क्र.आ. जून 2014 के बजाय मार्च 2015 में प्रस्तुत किया गया। यद्यपि मरम्मत के बाद मशीन 14 जुलाई 2015 को प्राप्त हुई, इसके पुनः चालू होने में अतिरिक्त तीन माह की देरी इसके पुर्जे सितम्बर 2015 तक मिलने के कारण हुई।

इस प्रकार मांगे गए उपकरण हेतु क्रय आदेश प्रस्तुत करने में देरी के साथ-साथ प्रबंधन के निर्णय में देरी के फलस्वरूप ₹ 26.45 करोड़ की हानि आठ महीने²⁶ के क्षमता प्रभार की वसूली न होने की वजह से हुई।

²⁶क्रय/कार्य आदेश और निर्णय किए जाने के चार माह की तर्कसंगत अवधि की अनुमति के बाद परिकलित।

प्रबंधन ने बताया कि गै.ट. का पुनरुद्धार निधि के अभाव के कारण विलंबित हो गया (सितम्बर 2016)। यद्यपि लेखापरीक्षा जांच में निधियों की कमी का कोई सबूत नहीं मिला।

2.2.8 निष्कर्ष

इस प्रकार, पॉवर उत्पादन कंपनियों के कामकाज में पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियां अभी भी पाई गईं। मुख्यतः डिस्कॉम से प्रतिकूल प्राप्तियों में लगातार वृद्धि और समय पर ऋणों और उनपर ब्याज का भुगतान समय पर न करने के कारण ₹ 132.63 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के भुगतान से वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। डिस्कॉमों के ₹ 4,911.07 करोड़ के ऊर्जा बिलों के बकाया होने के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. उधारी पर निर्भर हो गए और नकदी के संकट की ओर बढ़ रहे हैं। कम परिचालन दक्षता के कारण पॉवर की युनिट लागत बढ़ गई जिससे डिस्कॉम द्वारा कंपनियों से पॉवर की खरीद में कमी आई। जिसका नतीजा यह रहा कि इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के प्लांटों की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक अनुपयोगित रही। कंपनियां योजनागत क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाई। प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना के चालू होने में देरी के परिणामस्वरूप टैरिफ में पूंजीगत लागत की कम वसूली हो पाई। प्लांटों की स्टेशन ऊष्मा दर कम होने से ईंधन का उपभोग अधिक हुआ। पॉवर प्लांट लक्षित प्लांट उपलब्धता भी प्राप्त नहीं कर पाए जिससे क्षमता प्रभारों की वसूली भी कम हुई जबकि रा.पॉ.हा., गै.ट.पॉ.स्टे. और प्र.पॉ.स्टे.-III में सहायक ऊर्जा खपत मानकों से अधिक थी।

2.2.9 सिफारिशें

लेखापरीक्षा प्राप्तियों के आधार पर यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी:

- वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने के लिए दंड का भुगतान कम से कम करने को सुनिश्चित करे और पॉवर खरीद समझौते के अनुसार पॉवर वितरण कंपनियों से बकाया राशि की वसूली के लिए कदम उठाये।
- प्रचालन मापदंडों में सुधार करने में मदद करने के लिए आवधिक निष्पादन परीक्षण करें।
- लागत को नियंत्रित करने के लिए, आवधिक अनुरक्षण कार्यक्रम का पालन, मरम्मत व रखरखाव की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें।

मामला सरकार को अक्टूबर 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

वित्त विभाग

2.3 दिल्ली वित्तीय निगम की कार्यप्रणाली

निगम न केवल लघु उद्योगों के उन्नयन व विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा, बल्कि सिमटते कारोबार पर काबू पाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाने का निर्णय समय से लेने में भी विफल रहा। निगम के कारोबार में कमी ₹ 14.69 करोड़ का संभावित व्यापार न किए जाने के कारण हुई। निगम ने ₹ 0.81 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए अपने मुख्य व्यावसायिक कार्यालय के अतिरिक्त स्थान को किराए पर नहीं चढ़ाया।

2.3.1 प्रस्तावना

दिल्ली वित्तीय निगम (निगम) का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा.क्षे.दि.स.) तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में 1967 में राज्य वित्तीय निगम (रा.वि.नि.) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत मध्यम, लघु व सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्त उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों के उन्नयन तथा विकास के लिए किया गया। निगम, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा चंडीगढ़ में सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित भूखंडों/दुकानों की लागत, व्यवसाय ऋणों तथा वाणिज्यिक परिवहन की वित्त व्यवस्था करता है। निगम की एक शाखा चंडीगढ़ में है।

निगम ने वर्ष 2015–16 तक अपने लेखों को अंतिम रूप दिया है। वर्ष 2013–14 से 2015–16 के बीच निगम की वित्तीय स्थिति को अनुलग्नक **2.9** में दिया गया है। ऋणों के कम संवितरण तथा अधिक पुनर्भुगतान के कारण निगम का ऋण पोर्टफोलियो 2013–14 से 2015–16 के बीच ₹ 134.82 करोड़ से कम होकर ₹ 119.55 करोड़ रह गया। यद्यपि, इसी अवधि के दौरान अब तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (गै.नि.प.) के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर दावों की वसूली के कारण परिचालनों से होने वाली आय ₹ 16.99 करोड़ से बढ़कर ₹ 17.52 करोड़ हो गई। निगम का गै.नि.प. 31 मार्च 2016 तक ₹ 9.57 करोड़ पर स्थिर रहा जो उसके कुल बकाया ऋणों का 8.01 प्रतिशत है।

निगम के कार्य के मूल्यांकन के लिए 2013–14 से 2015–16 की अवधि सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा मई 2016 से जून 2016 तक की गई।

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

2.3.2 संस्वीकृति के लक्ष्य और संस्वीकृत ऋणों का संवितरण

निगम ने वार्षिक रूप से अपने ऋणों के संवितरण तथा वसूली के लक्ष्य निर्धारित किए। निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धियों का विवरण तालिका 2.3.1 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3.1: लक्ष्य बनाम संस्वीकृतियां, संवितरण एवं वसूली की उपलब्धियां
(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृति			संवितरण			वसूली		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त किए गए लक्ष्य का %	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त किए गए लक्ष्य का %	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त किए गए लक्ष्य का %
2013-14	25.00	7.20	28.80	20.00	6.65	33.25	45.00	50.79	112.87
2014-15	45.00	60.72	134.93	40.00	9.14	22.85	35.00	43.70	124.86
2015-16	20.00	23.19	115.95	40.00	49.37	123.43	35.00	52.40	149.71

निगम ने ऋणों को संस्वीकृत करने के अपने लक्ष्य को वर्ष 2013–14 में ₹ 25 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2014–15 में ₹ 45 करोड़ कर दिया। इस निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निगम ने ₹ 60.72 करोड़ का उच्च लक्ष्य प्राप्त किया तथा इस योजना में संस्वीकृत ऋण का अधिकांश भाग वर्ष 2015–16 में संवितरित किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गाजीपुर में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (दि.कृ.वि.बो.) द्वारा आवंटित दुकानों के वित्तीयन हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित कार्य के निगम द्वारा प्राप्त करने के कारण ऋण संवितरण में सुधार हुआ। दुकानों के लिए ₹ 53.18 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया। तथापि, निगम 2013–14 तथा 2014–15 में ऋण संवितरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यह कमी क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान कुल ₹ 65.16 करोड़ के संवितरण में से निगम ने मात्र ₹ 1.45 करोड़ का संवितरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों (सू.ल.म.क्षे.उ.) को किया जबकि निगम का प्रमुख लक्ष्य सू.ल.म.उ. क्षेत्र का प्रोत्साहन, वित्तीयन और विकास था।

प्रबंधन ने अगस्त 2016 में बताया कि उसे सू.ल.म.क्षे.उ. क्षेत्र से व्यवसाय प्राप्त नहीं हो रहा है तथा सरकार से सॉफ्ट ऋण या इकिवटी इंफ्यूजन और सिडबी से रियायती दरों पर पुनः वित्तीयन की गैर-उपलब्धता के कारण कुल व्यवसाय कम हो रहा है।

2.3.3 व्यवसाय की योजना

दि.कृ.वि.बो. द्वारा आवंटित दुकानों के एकमुश्त वित्तीयन के व्यवसाय को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में निगम का व्यवसाय न्यूनतम रहा। निगम ने संभाव्य व्यवसाय को नहीं तलाशा, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

2.3.3.1 ई—रिक्शा का वित्तीयन

निदेशक मंडल ने मार्च 2015 में ई—रिक्शा खरीदने वाले को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। 2000 ई—रिक्शा को नई ई—रिक्शा की लागत का 80 प्रतिशत तक 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वित्त उपलब्ध कराना था।

निगम ने सितम्बर 2015 तक 550 आवेदन प्राप्त किये जिनमें से 304 आवेदन स्वीकृत किये गये। इसने 31 मार्च 2016 तक 226 मामलों में ₹ 1.87 करोड़ का संवितरण किया। निगम ने सितम्बर 2015 में 58 मामलों में पहली किस्त के पुनर्भुगतान में त्रुटि पाए जाने के कारण आगे के ऋण संवितरण को रोक दिया।

यद्यपि, निगम के अभिलेखों से पता चला कि ई—रिक्शा योजना के अंतर्गत ऋण आवेदनों में अच्यानक तेज वृद्धि के कारण वह दस्तावेजों की समय पर जांच नहीं कर सका तथा सितम्बर 2015 में योजना को बंद कर दिया गया। इस प्रकार, निगम ने प्रारंभ के तुरन्त बाद तक केवल ₹ 1.87 करोड़ का व्यवसाय किया तथा 78 मामलों में ₹ 2.69 करोड़²⁷ के निश्चित व्यवसाय के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा जिसमें ऋण संस्वीकृत था लेकिन संवितरित नहीं किया गया। योजना के खराब विपणन तथा घटिया संचालन के कारण निगम ने शेष 1,450 ई—रिक्शा के लगभग ₹ 12 करोड़ के वित्तीयन का व्यवसाय भी खो दिया।

प्रबंधन ने अगस्त 2016 में बताया कि निगम ने ई—रिक्शों को वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि ई—रिक्शों के कम अवशिष्ट मूल्य और वाहन मालिकों को खोजने में आने वाली कठिनाईयों के कारण वसूली पर संदेह उठाया गया। यह भी बताया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने योजना हेतु कोई सहायता (सॉफ्ट लोन) प्रदान नहीं की। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा ऋण, पंजीकृत ई—रिक्शा मालिकों को वाहन की प्रतिभूति तथा अतिरिक्त ऋणधारकों के आपसी गारंटीरों की समर्थक प्रतिभूति पर ही प्रदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2016 तक केवल 78 मामलों में पुनर्भुगतान में चूक पाया।

2.3.3.2 विविध क्षेत्रों में उद्यम

निगम ने 2008—09 तथा 2014—15 के दौरान विभिन्न समितियां गठित की जिसने अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए गैर वित्तीय गतिविधियों जैसे परियोजनाओं, प्रशिक्षण और परामर्श हेतु लेन—देन सलाहकार सेवाएं, वित्तीयन की गई परिसंपत्तियों के बीमा व्यवसाय लेने की सिफारिश की। उन्होंने अवसंरचनात्मक गतिविधियों अर्थात् नर्सिंगहोम/डायग्नोस्टिक केन्द्र, वाणिज्यिक दुकानों, होटल/रेस्तरां और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वित्तीयन में विविधता लाने की तथा गैर—बैंकिंग वित्तीयन कंपनी (गै.बै.वि.क.) खोलने की सिफारिश भी की। यद्यपि निगम इनमें से किसी भी सुझाव को क्रियान्वित करने में असफल रहा।

²⁷ 324 मामले (550—226 मामले) वास्तविक संवितरण प्रति ई—रिक्शा की औसत दर अर्थात् ₹ 0.83 लाख (₹ 1.87 करोड़/226 मामले) के आधार पर परिकलित

2.3.4 वसूली निष्पादन

2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान निगम की ऋण परिसंपत्तियों का मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा परिसंपत्तियों की हानि के वर्गीकरण का सार नीचे तालिका 2.3.2 में है:

तालिका 2.3.2: ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
मानक परिसंपत्तियां	116.87	94.95	109.98
अवमानक परिसंपत्तियां (देय जो तीन माह से कम और दो वर्ष से अधिक नहीं)	9.38	4.39	2.62
संदिग्ध परिसंपत्तियां (देय में दो वर्षों से अधिक की चूक)	3.51	6.07	1.67
परिसंपत्तियों की हानि (मामले जो नुकसान के रूप में पाये गये परन्तु राइट ऑफ नहीं किया गया)	5.07	5.10	5.28
कुल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (गै.नि.प.)	17.96	15.56	9.57
कुल बकाया ऋण	134.83	110.51	119.55
गै.नि.प. के कुल ऋण का प्रतिशत	13.31%	14.08%	8.01%

निगम ने जुलाई 2011 में पांच वर्षों के लिए एक त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. सिडबी तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ हस्ताक्षर किया। निगम एमओयू अवधि के दौरान गै.नि.प. को कुल बकाया ऋण के 10 प्रतिशत के बराबर तक लाने के लिए सहमत हुआ। निगम 2015–16 की एम.ओ.यू अवधि के अंत तक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा।

2.3.5 वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाले मामले

2.3.5.1 उधार की लागत को कम करने का अवसर प्राप्त नहीं करना

दि.रा.ओ.अ.वि.नि. दिसम्बर 2014 में दि.कृ.वि.बो. द्वारा दुकानों के आवंटन से उत्पन्न वित्त व्यवसाय की मदद के लिए 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 30 करोड़ का अवधि ऋण अग्रिम देने के लिए सहमत हुआ। यद्यपि निगम ने इस कथित ऋण का लाभ नहीं लिया तथा अपने आंतरिक खोतों से व्यवसाय का वित्तीयन किया जबकि निगम पर रा.रा.क्षे.दि.स. से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ऊंची दर पर ₹ 33 करोड़ (सितम्बर 2011 में लिए गए कुल ₹ 40 करोड़ का शेष) का ऋण था। इस प्रकार दि.रा.ओ.अ.वि.नि. द्वारा उपलब्ध 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 30 करोड़ का ऋण न लेने के कारण निगम ने मार्च 2016 तक ₹ 28.13 लाख का ब्याज खर्च बचाने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि निगम ने ऋण का लाभ नहीं लिया क्योंकि इसने वित्तीयन हेतु अपने आंतरिक स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दि.रा.औ.अ.वि.नि. से कम ब्याज दर पर उपलब्ध निधि प्राप्त करना और रा.रा.क्षे.दि.स. के ऊंचे ब्याज दर पर बकाया ऋण को वापस करना बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए था।

2.3.5.2 दायर किए गए दावों की धनराशि तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (ट्रस्ट) के लिए क्रेडिट गारंटी निधि की देयता की वसूली न होना

सू.ल.म.क्षे.उ. मंत्रालय, भारत सरकार और सिड्डी ने अगस्त 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी (ट्रस्ट) निधि की स्थापना की जो ऋणदाता को 85 प्रतिशत तक क्रेडिट की सुविधा का आश्वासन देता है। योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹ 5 लाख तक के ऋण की गारंटी की सुरक्षा उपलब्ध है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने फरवरी 2013 तथा नवम्बर 2014 के बीच 202 मामलों में दावे दायर किये, जिसमें से 72 मामलों में ₹ 53.53 लाख की वसूली 31 मार्च 2016 को बकाया थी। शेष 130 मामलों में जहां 75 प्रतिशत की पहली किश्त प्राप्त हुई थी, ₹ 25.91 लाख वसूली के लिए बकाया थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ने ट्रस्ट के साथ लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। निगम को सितम्बर 2016 तक ₹ 79.44 लाख के दावे की वसूली अभी करनी थी।

योजना के नियम व शर्तों के अनुसार यदि कोई, रकम बाद में चूककर्ता से वसूली गई तो निगम को इसे ट्रस्ट को वापस करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निगम ने फरवरी 2013 और मार्च 2016 के बीच ₹ 56.78 लाख चूककर्ता से वसूल किए, इसने केवल ₹ 5.78 लाख ही ट्रस्ट को वापस किए और ट्रस्ट को देय ₹ 51 लाख की शेष राशि रोक रखी थी।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि दायर दावों और लंबित मामलों को समायोजन करने के लिए निगम को अनुमति देने के मामलों को ट्रस्ट के समक्ष उठाया जाएगा।

2.3.6 अन्य प्राप्तियां

2.3.6.1 उपलब्ध अतिरिक्त कार्यालय स्थान को किराए पर न देना

निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय का कुल तल क्षेत्रफल लगभग 12,520 वर्गफीट है। निगम ने भवन का 8,180 वर्गफीट रखा है, और 4,340 वर्गफीट क्षेत्रफल²⁸ विभिन्न किराएदारों को नवंबर 2006 से अक्तूबर 2015 के बीच पट्टे पर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित किराएदारों द्वारा समय—समय पर स्थान खाली करने के पश्चात् निगम ने अतिरिक्त स्थानों को किराए पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। निगम द्वारा मार्च 2011 से मार्च 2016 के बीच अतिरिक्त उपलब्ध स्थानों को किराए पर देने में विफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 80.61 लाख (वर्ष 2009 में निगम द्वारा किराएदारों से प्राप्त

²⁸निगम ने अपने भवन के विभिन्न भाग का 4340 वर्गफीट क्षेत्रफल किराए पर दिया—यथा: दिसम्बर 2008 से नवम्बर 2010 तक प्रथम तल पर 1210 वर्गफीट, दिसम्बर 2009 से अगस्त 2013 तक 1480 वर्गफीट और नवम्बर 2006 से अक्तूबर 2015 तक भूमितल पर 1650 वर्गफीट।

4,340 वर्गफीट के क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम किराया ₹ 68 प्रति वर्गफीट दर पर परिकलित) के लाभ कमाने का मौका खो दिया।

निगम ने अगस्त 2016 में कहा कि अतिरिक्त स्थान को किराए पर देने हेतु प्रयास किए गए थे किन्तु कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और अब इसने इसका विज्ञापन अपनी बैवसाइट पर डाल दिया है। यद्यपि किए गए प्रयासों को स्थापित करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.3.6.2 किराएदारों से सेवाकर की वसूली न करना

निगम ने नवंबर 2006 एवं दिसंबर 2009 के बीच विभिन्न पार्टियों के साथ किरायों का करार किया। 01 जून, 2007 से अचल संपत्ति को किराए पर देना कर—योग्य बना दिया गया। यद्यपि निगम ने वर्तमान करार में संशोधन या करार में शामिल होने की तिथि के पश्चात सेवा कर का किरायेदार द्वारा भुगतान करने के प्रावधान के समावेशन का कर संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान नहीं लिया। निगम ने जून 2012 में सेवाकर के दायित्व पर देरी से ध्यान दिया और वर्ष 2012–13 के दौरान अपनी स्वयं की निधियों से ₹ 21.35 लाख जमा किया। इसने सितंबर 2012 में पूर्व—किराएदारों से सेवाकर के भुगतान की मांग की जिन्होंने सेवा कर के किसी भी भुगतान को करने से इंकार कर दिया। इस प्रकार निगम सेवा कर की सांवंधिक देयताओं का समय पर संज्ञान लेने में असफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 21.35 लाख की वसूली नहीं हुई जो कि निगम को हानि है।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि निगम ने मामले को पूर्व किराएदारों के साथ उठाया है।

2.3.7 निष्कर्ष

इस प्रकार, निगम व्यवसायिक अवसर उठाने के साथ—साथ निदेशक बोर्ड द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों की कार्यान्वयन सिफारिशों, परामर्श, बीमा और अवसंरचनात्मक गतिविधियों के वित्तीयन के क्षेत्र में अपने वर्तमान व्यवसाय का वैविध्यकरण करने में विफल रहा। विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने में कमी होने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 28.13 लाख का परिहार्य व्यय एवं कार्यालय के अधिशेष स्थान के संभावित किराये की आय में ₹ 80.61 लाख की हानि हुई।

मामला अगस्त 2016 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर नवम्बर 2016 तक प्रतीक्षित था।

पॉवर विभाग

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड

2.4 निपटान में विलंब

स्क्रैप के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ का अवरोध तथा ₹ 1.71 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

रा.रा.क्षे.दि.स. की मार्च 2012 को समाप्त अवधि के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 में प्रकाशित पैराग्राफ सं. 7.11.2.2 में दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.) द्वारा क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के निपटान में विलंब के कारण ₹ 2.54 करोड़ की हानि प्रदर्शित की गई थी। प्रबंधन ने दिसम्बर 2012 में कहा कि प्रक्रियागत विलंब को हटाने हेतु एक स्क्रैप निपटान नीति विचाराधीन थी। लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2016) कि करीब चार साल बीत जाने के बाद भी दि.ट्रां.लि. नीति बनाने में असफल रहा।

दि.ट्रां.लि. के पास चार अनुपयोगी ट्रांसफार्मर थे जिनका निपटान वर्ष 2014 और 2015 के दौरान 13 महीने से 66 महीनों²⁹ की देरी से कंपनी को नीलामी पूर्व प्रक्रिया एवं नियत आरक्षित मूल्य की व्यवस्था करने के लिए छ: माह की उचित अवधि देने के बाद किया गया। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के निपटान हेतु निर्णय लेने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ तथा चार ट्रांसफार्मर के निपटान मूल्य पर ₹ 1.71³⁰ करोड़ के ब्याज का हानि हुआ।

दि.ट्रां.लि. ने कहा (अगस्त 2016) कि निपटान प्रबंधन हेतु गुणवत्ता प्रणाली प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और ट्रांसफार्मरों का निपटान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर को स्क्रैप घोषित किए जाने का निर्णय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की रिपोर्ट, स्टोर निपटान समिति (स्टो.नि.स.) द्वारा आरक्षित मूल्य का निर्धारण और एमएसटीसी के माध्यम से इसकी ई-नीलामी पर निर्भर करता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि के.वि.प्रा. से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् भी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर में विलंब हुआ जिसमें स्टो.नि.स. द्वारा आरक्षित मूल्य तय करना भी शामिल था।

मामला सरकार को जून 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

²⁹कोई समयसीमा निर्धारित नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा ने ट्रांसफार्मर को स्क्रैप में परिवर्तित करने, इसका आरक्षित मूल्य निर्धारित करने और निपटान हेतु छ: माह की उचित समयावधि ली है।

³⁰10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित की गई, न्यूनतम ऋण दर।

2.5 खरीददारी में समन्वय की कमी

ट्रांसफॉर्मरों की खरीद और उनसे जुड़ी बेज के अधिष्ठापन कार्य की गतिविधियों में तारतम्यता के अभाव में ₹ 13.15 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ और साथ ही ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि) ने 2007–11 से 2012–15 की नियंत्रण अवधि हेतु अपने व्यवसाय योजना में वजीराबाद के दक्षिण (व.के.द.) और गाजीपुर सबस्टेशनों के 220 कि.वो. उपकेंद्रों के ट्रांसफार्मर क्षमता की वृद्धि का प्रस्ताव रखा (दिसंबर 2007 और जून 2010)। इस कार्य वृद्धि के साथ उनसे जुड़ी बेज के प्रतिस्थापन का कार्य जो ट्रांसफार्मरों को सक्रिय करने के पूर्व आवश्यक था, 2008–09 तथा 2013–14 तक क्रमशः व.के.द. और गाजीपुर उपकेंद्रों के लिए पूरा हो जाना चाहिए था।

दि.ट्रां.लि के निदेशक बोर्ड ने सितम्बर 2008 में व.के.द. हेतु 160 एमवीए ट्रांसफार्मर के खरीद, संस्थापन जांच और चालू करने के कार्य के साथ उनसे संबंधित मदों का अनुमोदन किया और नवम्बर 2008 में एक फर्म 'ए' को क्रय आदेश दिया, जिसकी सितम्बर 2009 में सप्लाई की गई। जून और दिसम्बर 2009 के बीच इसका भुगतान ₹ 7.30 करोड़ किया गया।

इसी प्रकार, 220 कि.वो. गाजीपुर उपकेंद्र की मौजूदा क्षमता 200 एमवीए से बढ़ाकर 360 एमवीए करने के लिए दि.ट्रां.लि ने अक्टूबर 2012 में एक नया 160 एमवीए ट्रांसफार्मर के संस्थापन का निर्णय लिया। दिसम्बर 2012 में क्रय आदेश एक फर्म 'बी' को दिया गया जिसने अप्रैल 2013 में सप्लाई की। इसका भुगतान ₹ 5.85 करोड़, जून और जुलाई 2013 के बीच किया गया।

कार्यस्थलों पर संबंधित बेज का अधिष्ठापन न होने के कारण दोनों ट्रांसफार्मरों को समय पर चालू नहीं किया जा सका। यद्यपि ट्रांसफार्मर सितम्बर 2009 और अप्रैल 2013 में सप्लाई कर दिये गए पर व.के.द. और गाजीपुर में संबंधित बेज की सप्लाई, संस्थापन और चालू करने हेतु निविदाएं केवल फरवरी और अप्रैल 2013 में आमंत्रित की गई, लेकिन दरें अनुमानित लागत की तुलना में अधिक होने के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अंततः करार जून 2014 में ₹ 5.24 करोड़ की लागत पर दिया गया। आखिरकार व.के.द. और गाजीपुर उपकेंद्रों के ट्रांसफार्मरों के साथ बेज को क्रमशः जनवरी 2015 और मार्च 2015 में सक्रिय किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.ट्रां.लि. ने व.के.द. तथा गाजीपुर उपकेंद्रों के लिए ट्रांसफार्मरों के क्रय के साथ–साथ संबंधित बेज की निविदा पड़ताल हेतु पहल नहीं की। ट्रांसफार्मरों के क्रय और संबंधित बेज को चालू करने की गतिविधियों में तारतम्य की कमी के कारण ₹ 13.15 करोड़ की पूंजी का अवरोध तथा उनसे संबंधित ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज की हानि

हुई। इससे ट्रांसफार्मरों को सक्रिय करने में न केवल विलंब हुआ बल्कि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय पॉवर से वंचित रहना पड़ा।

दि.ट्रा.लि. ने अगस्त 2016 में बताया कि प्रचलित चलन के अनुसार 66 कि.वो. और 220 कि.वो. बेज उपकरण का संरथापन, जांच एवं चालू और सिविल स्थापना तथा यार्ड निर्माण कार्य अलग—अलग आदेश के माध्यम से हुआ करते थे, लेकिन इन गतिविधियों के लिए आदेशों में होने वाली देरी के कारण अक्टूबर 2012 में यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य टर्नकी निविदा के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। यह भी बताया गया कि विद्यमान भंडार प्रक्रियाओं का पालन करने के कारण निविदा प्रक्रिया में यह अनियत विलंब हुआ और दि.ट्रा.लि. ने अब टर्नकी आधार पर निविदा करने की नीति को अपनाया है जिससे इस प्रकार के विलंब में कमी होगी।

मामला सरकार को जुलाई 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.6 पेंशन ट्रस्ट को परिहार्य भुगतान

डिस्कॉम से दावा करने के बजाय पेंशन ट्रस्ट को ₹ 29.97 करोड़ के टीडीएस का परिहार्य भुगतान करने के कारण निधि का अवरोधन तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के ब्याज की हानि।

दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 और दिल्ली विद्युत सुधार नियम, 2001 (हस्तांतरण योजना) के अनुसार तत्कालीन दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) 1 जुलाई 2002 से उत्पादन, प्रेषण तथा वितरण उत्तराधिकारी इकाईयों में बंट गया जिसमें वितरण का कार्य तीन निजी कंपनियों द्वारा संभाला गया। पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के उद्देश्य के लिए पेंशन ट्रस्ट (ट्रस्ट) के नाम से एम्प्लाईज़ टर्मिनल बेनीफिट्स फंड –2002 बनाया गया। चूंकि डिस्कॉम समय–समय पर ट्रस्ट को किए जाने वाले अपनी इकिवटी के भुगतान में छूक कर रही थी, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.) ने अगस्त 2012 में दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.) को सभी पॉवर इकाईयों की ओर से निधि एकत्रित करने तथा ट्रस्ट को हस्तांतरण करने के लिए अंतरिम व्यवस्था करने हेतु आदेश दिया। तदनुसार, दि.ट्रां.लि. की समेकित राजस्व आवश्यकता में निधियों का प्रावधान किया गया। इसने यह भी आदेश दिया कि पॉवर इकाईयों द्वारा इस विभाजित राशि पर कोई छूट/टीडीएस की कटौती नहीं की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2015) कि दो डिस्कॉम बीएसईएस राजधानी पॉवर लि. (बी.रा.पॉ.लि.) और बीएसईएस यमुना पॉवर लि. (बी.य.पॉ.लि.) ने ₹ 299.74 करोड़ की धनराशि ट्रस्ट को उनकी इकिवटी के रूप में दि.ट्रां.लि. को भेजते हुए, ₹ 29.97 करोड़ की टीडीएस की कटौती की। यद्यपि, दि.ट्रां.लि. ने ट्रस्ट को इकिवटी हस्तांतरित करते हुए ₹ 29.97 करोड़ (जुलाई 2014 और अगस्त 2015 के बीच) के बी.रा.पॉ.लि./बी.य.पॉ.लि.

द्वारा काटे गये टीडीएस की आपूर्ति अपनी स्वयं की निधि से कर दी। आगे दि.ट्रां.लि. ने इस टीडीएस को वापस पाने के लिए निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए दाखिल अपनी आयकर विवरणी में दावा किया जबकि उसने डिस्कॉम के साथ टीडीएस की कटौती का मुद्दा कभी नहीं उठाया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ट्रां.लि. अपनी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हेतु 2014–15 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक से ब्याज सहित ऋण ले रही थी। ₹ 29.97 करोड़ के अवरोधन के कारण दि.ट्रां.लि. को 30 नवम्बर 2016 तक ₹ 2.52³¹ करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

दि.ट्रां.लि. ने अगस्त 2016 में उत्तर दिया कि बी.रा.पॉ.लि. तथा बी.य.पॉ.लि. ने वर्ष 2014–15 के लिए पेंशन ट्रस्ट की इकिवटी पर ₹ 29.97 करोड़ के टीडीएस की गलत कटौती की थी। इसके आगे, पेंशन ट्रस्ट में निधि की भी कमी थीं और आयकर विभाग से इसके प्रत्यर्पण की आशा होने के कारण ट्रस्ट को इसका भुगतान कर दिया तथा ₹ 1.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध डिस्कॉम से किया था।

मामला सरकार को जून 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

2.7 निजी प्रचालकों से पार्किंग शुल्कों की गैर वसूली

निगम ने निजी प्रचालक द्वारा ₹ 1.93 करोड़ के पार्किंग शुल्कों के भुगतान से संबंधित करार की शर्तों को लागू नहीं किया यद्यपि इसने राजस्व अंश के भुगतान के लिए स्थगन काल के विस्तार को रियायत देकर ₹ 1.20 करोड़ की आय छोड़ दी।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (दि.प.प.वि.नि.) ने “हॉप ऑन हॉप ऑफ” (होहो) पर्यटक बस सेवा शुरू करने के लिए, एक प्रचालक के साथ 10 जुलाई 2010 को एक करार किया। करार 15 सितंबर 2010 से 10 वर्षों के लिए प्रभावी था। बस सेवा को रा.रा.क्षे. दिल्ली में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को शामिल करना था।

करार के अनुसार, प्रचालक को होहो बसों की खरीद, संचालन एवं अनुरक्षण करना था। प्रचालक कुल राजस्व के निवल देय कर की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी व्यावसायिक प्रचालन तिथि (व्या.प्र.ति.) के 24 महीने बाद से दि.प.प.वि.नि. को देगा। प्रचालक ने लगातार घाटे

³¹ब्याज घाटा, 31 मार्च 2015 तक 10.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और अप्रैल 2015 से 4.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 244 ए के अंतर्गत अधिक टीडीएस के भुगतान पर उपलब्ध 6 प्रतिशत ब्याज का लाभ देते हुए परिकलित किया गया है।

का हवाला देते हुए दि.प.प.वि.नि. से स्थगन काल को सितम्बर 2014 तक अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया (जुलाई 2012)। दि.प.प.वि.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुरोध पर स्थगन अवधि को आगे दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया (जनवरी 2013) इस प्रकार ₹ 1.20 करोड़ के राजस्व का हिस्सा छोड़ दिया। सेवा घाटे से चलती रही (नवम्बर 2016)।

करार में अनुबंध था कि प्रचालक को दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) एवं अन्य भूस्वामी एजेंसियों के साथ मिलकर, दि.प.प.वि.नि. द्वारा दी जा रही बसों के लिए पार्किंग एवं रखरखाव की सुविधाएं व्यवस्थित करनी थी। अगस्त 2010 में दि.प.नि. इन्ड्रप्रस्थ डिपो में होहो बसों की पार्किंग हेतु लागत आधार पर स्थान उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ और इसने अक्तूबर 2010 से सितंबर 2012 की अवधि के लिए ₹ 62.07 लाख की मांग की (सितंबर 2012)। दि.प.प.वि.नि. ने इस बारे में प्रचालक को अक्तूबर 2012 में बताया लेकिन प्रचालक ने इस आधार पर पार्किंग शुल्कों का भुगतान करने से मना कर दिया कि इसे करार में शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद फरवरी 2013 में, दि.प.नि. ने अक्तूबर 2010 से फरवरी 2013 की अवधि के लिए ₹ 75.17 लाख के बकाया भुगतान के लिए दूसरी सूचना भेजी। इसके बाद दि.प.प.वि.नि. द्वारा प्रचालक को फरवरी 2013 में शुल्कों के भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि शुल्कों के गैर भुगतान से करार की शर्तों का उल्लंघन होगा तथा इससे करार का निरस्तीकरण और प्रचालक से बकाया राशि की वसूली होगी। जनवरी 2016 तक पार्किंग शुल्कों की देयता ₹ 1.93 करोड़ हो गई। मार्च 2016 में सीनियर स्टैडिंग कांसेल रा.रा.क्षे.दि.स ने दि.प.प.वि.नि. के संदर्भ में मत दिया कि प्रचालक को करार की शर्तों के अंतर्गत पार्किंग शुल्क का वहन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.प.प.वि.नि. द्वारा करार की शर्तों को लागू करने में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई यद्यपि इसने प्रचालक को राजस्व अंश के लिए स्थगनकाल के दो वर्षों के विस्तार की रियायत देकर ₹ 1.20 करोड़ की आय छोड़ दी।

प्रबंधन ने जवाब दिया (मई 2016) कि होहो बस सेवा दिल्ली सरकार की ओर से एक समयबद्ध रूप में बिना किसी वित्तीय लाभ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिना लाभ के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसने आगे कहा कि न तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (रि.फॉ.को.) दस्तावेज में और न ही करार में दि.प.नि जैसे भूस्वामी एजेन्सी के लिए पार्किंग किराये के भुगतान हेतु कोई प्रावधान था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह कारण बताओ नोटिस जारी करने के इसके अपने निर्णय एवं सरकारी कांसेल के कानूनी राय का विरोध करता है।

मामला जून 2016 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

2.8 रियायत शुल्क की कम वसूली

दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.आ.सं.वि.नि.लि.) करार के अनुरूप रियायत शुल्क की वसूली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ की कम वसूली हुई। रियायत शुल्क के देरी से भुगतान करने पर ₹ 1.49 करोड़ का ब्याज प्रभारित करने में भी यह विफल रहा।

परिवहन विभाग (प.वि.) तथा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (दि.इं.म.ट्रां.सि.— रियायत प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित) ने अप्रैल 2010 में 20 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र भागीदारी के साथ 250 बस क्यू शोल्टर्स (ब.क्यू.शे.) के निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया। रा.रा.क्षे.दि.स ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के सभी ब.क्यू.शे. (कथित 250 ब.क्यू.शे. को शामिल करते हुए) के निर्माण तथा रखरखाव कार्य 16 अगस्त 2012 से दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.आ.सं.वि.नि.लि.) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया (अगस्त 2012)। दि.प.आ.स.वि.नि.लि. को दि.इं.म.ट्रां.सि. के साथ एक पूरक रियायत करार पर हस्ताक्षर करना था जो प.वि. के दायित्व के कार्यान्वयन तथा 250 ब.क्यू.शे. की मार्केटिंग, प्रचालन और रखरखाव के लिए प.वि. द्वारा हस्ताक्षरित रियायत करार के संदर्भ में मासिक भुगतान की प्राप्ति से संबंधित थी। दि.प.आ.स.वि.नि.लि. को दि.इं.म.ट्रां.सि. के साथ पूरक रियायत करार पर हस्ताक्षर करना बाकी है (नवम्बर 2016)।

विद्यमान करार के अनुच्छेद 11.1 (i) के अनुसार दि.इं.म.ट्रां.सि. को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा अर्जित राजस्व से अलग व्यावसायिक प्रचालन तिथि (व्या.प्र.ति.) के बाद प्रथम वर्ष के लिए 250 ब.क्यू.शे. के लिए प्रत्येक कैलेंडर माह में ₹ 23.15 लाख की न्यूनतम रियायत शुल्क की शर्त के साथ ब.क्यू.शे. के अन्य स्थान पर विज्ञापन की बिक्री/किराए पर देकर अर्जित निवल राजस्व का 16 प्रतिशत रियायत शुल्क का भुगतान करना था। बाद के वर्षों के लिए, पिछले वर्ष के रियायत शुल्क के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक रियायत शुल्क प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाना था। अनुच्छेद 11.1 (iii) अनुबंध करता है कि न्यूनतम रियायत शुल्क जिस तिमाही में देय हो उसके पहले महीने के 15वें दिन के बाद भुगतान नहीं किया जाएगा। न्यूनतम रियायत शुल्क के ऊपर अतिरिक्त रियायत शुल्क जो कि राजस्व के 16 प्रतिशत की दर से परिकलित है, उसका भुगतान लेखापरीक्षित तिमाही रिपोर्टों के साथ प्रत्येक तिमाही के अंत में 30 दिनों के अंदर किया जाना था। रियायत शुल्क समय पर चुकाने में असफल होने पर तिमाही के दौरान भुगतान नहीं किए गए समस्त रियायत शुल्क पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की व्या.प्र.ति. 1 नवम्बर 2010 थी तथा रियायत प्राप्तकर्ता ने करार की शर्तों के अनुसार रियायत शुल्क का भुगतान नहीं किया। रियायत

प्राप्तकर्ता ने नवम्बर 2010 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 16.82 करोड़ के बदले ₹ 15.33 करोड़ का ही भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ की कम वसूली हुई। रियायत प्राप्तकर्ता ने निर्धारित अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक रियायत शुल्क का भुगतान नहीं किया। यद्यपि दि.प.आ.स.वि.नि.लि. ने नवम्बर 2010 से मार्च 2016 की अवधि के लिए रियायत शुल्क का देरी से भुगतान पर ₹ 1.49 करोड़³² का ब्याज नहीं लगाया।

इस प्रकार, दि.प.आ.स.वि.नि.लि., दि.इं.म.ट्रा.सि. से ₹ 1.49 करोड़ के कुल रियायत शुल्क की वसूली करने में विफल रहा तथा करार के अनुसार देरी से भुगतान पर ₹ 1.49 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया।

मामला जुलाई 2016 में सरकार/प्रबंधन को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

सुशील
कुमार जायसवाल

नई दिल्ली
दिनांक: 06 फरवरी 2017

(सुशील कुमार जायसवाल)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

शशीकान्त शर्मा
(शशी कान्त शर्मा)

नई दिल्ली
दिनांक: 08 फरवरी 2017

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

³²10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधार पर परिकलित

अनुलग्नक

अनुलग्नक 2.1(i)

राज्य सरकार द्वारा उन साक्षेत्रों को दर्शाती विवरणी
में निवेशों को लेखे बकाया थे,

(पैराग्राफ 2.1.9 को देखें)

(कॉलम 4 और 6 से 8 के आंकड़े इन करोड़ में हैं)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष तक के लेखों को अंतिम रूप दिया गया	नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप दिए जाने वाले लंबित लेखों की अवधि	जिन वर्षों के लेखे बकाया थे, उन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश			
					वर्ष	इविवटी	ऋण	अनुदान/आर्थिक सहायता
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
क	कार्यशील कंपनियां / निगम							
1	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	25.92	12 वर्ष (2004-05 से 2015-16)	2004-05	0.00	0.00	2.04
					2005-06	1.81	0.00	0.66
					2006-07	0.00	0.34	0.00
					2007-08	7.00	2.15	0.00
					2008-09	0.64	0.00	0.36
					2009-10	6.00	0.00	0.64
					2010-11	3.83	0.00	0.51
					2011-12	0.00	0.00	0.50
					2012-13	0.00	50.00	0.53
					2013-14	0.00	0.00	81.00
					2014-15	0.00	0.00	0.00
					2015-16	0.00	0.00	0.55
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2014-15	21.00	1 वर्ष (2015-16)	2015-16	0.00	0.00	0.00
3	दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड	2014-15	745.05	1 वर्ष (2014-15)	2015-16	0.00	0.00	182.18
4	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	2014-15	3,951.00	1 वर्ष (2014-15)	2015-16	0.00	295.00	0.00
5	इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2014-15	736.54	1 वर्ष (2014-15)	2015-16	0.00	90.00	5.00

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष तक के लेखों को अंतिम रूप दिया गया	नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप दिए जाने वाले लंबित लेखों की अवधि	जिन वर्षों के लेखे बकाया थे, उन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश			
					वर्ष	इक्विटी	ऋण	अनुदान/आर्थिक सहायता
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
6	प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014-15	2,074.19	1 वर्ष (2014-15)	2015-16	0.00	180.00	0.00
7	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2014-15	7.00	1 वर्ष (2014-15)	2015-16	0.00	0.00	0.00
8	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	10.65	3 वर्ष (2013-14 से 2015-16)	2013-14	0.00	10.00	0.00
					2014-15	0.00	0.00	0.00
					2015-16	0.00	0.00	0.00
9	दि.रा.ओ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड*	2014-15	0.01	1 वर्ष (2015-16)	2015-16	0.00	0.00	0.00
10	दि.रा.ओ.अ.वि.नि. लिकर लिमिटेड*	2014-15	0.01	1 वर्ष (2015-16)	2015-16	0.00	0.00	0.00
11	दि.रा.ओ.अ.वि.नि. एकिजम लिमिटेड*	2014-15	0.01	1 वर्ष (2015-16)	2015-16	0.00	0.00	0.00
12	दि.रा.ओ.अ.वि. नि. मैट्टेन्स सेवाएं लिमिटेड*	2014-15	0.01	1 वर्ष (2015-16)	2015-16	0.00	0.00	0.00
कुल क (कार्यशील सरकारी कंपनियां)			7,571.39			19.28	627.49	273.97
ख	कार्यशील सांविधिक निगम							
1	दिल्ली वित्तीय निगम	2014-15	26.36	1 वर्ष (2015-16)	2015-16	0.00	0.00	0.00
2	दिल्ली परिवहन निगम	2014-15	1,983.85	1 वर्ष (2015-16)	2015-16	0.00	0.00	1,151.68
	कुल ख (कार्यशील सांविधिक निगम)		2,010.21			0.00	0.00	1,151.68
	कुल योग (क+ख)		9,581.60			19.28	627.49	1,425.65
कुल निवेश								2,072.42

*दि.रा.ओ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनियां (दि.रा.ओ.अ.वि.नि. द्वारा निवेश)

अनुलग्नक – 2.1 (ii)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की उनके नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों /लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों का सार (पैराग्राफ 2.1.10 को देखें)

(कॉर्टम 5 से 12 तक में आंकड़े इकट्ठे हैं)

क्र. सं.	कंपनी का क्षेत्र और नाम	लेखों की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदर्शन कर्ता के अंत में संचित लाभ (+) / हानि (-)	टर्नओवर	निवल लाभ / हानि (-)		निवल लाभ (+) / हानि (-)		नियोजित पूँजी ^b		नियोजित पूँजी पर प्रतिलाम ^a	
						निवल लाभ / हानि (-)	व्याज मूल्यहास के पहले	निवल लाभ / हानि (कर्ता के पहले)	नियोजित पूँजी ^b	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाम ^a	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाम की प्रतिशतता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ													

वित्त	दिल्ली अ.जा./अ.जा.ए./अ.पि.व./अलंकारक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2013-14	25.92	11.79	26.99	11.09	6.22	0.40	0.25	5.57	0.00	81.94	5.97	7.29	165
क्षेत्रवार योग				25.92	11.79	26.99	11.09	6.22	0.40	0.25	5.57	0.00	81.94	5.97	7.29	165
अवसंरचना																
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरक्षण विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	21.00	0.00	395.79	1,127.41	114.64	0.00	2.07	112.57	63.50	2,065.07	112.57	5.45	1,466
3	शहरजहानाबाद युनिकास निगम ^c	2015-16	2016-17	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	16
क्षेत्रवार योग				21.00	0.00	395.79	1,127.41	114.65	0.00	2.08	112.57	63.50	2,065.25	112.57	5.45	1,462

^aलेखा अभ्युत्तियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरिक्षकों और नि.म.लेप. के अंतिम लेखों पर अवस्थावर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान जारी की गई अभ्युत्तियों का निवल प्रभाव शामिल है और (+) इसे लाभ की वृद्धि / घाटे में कहा, (-) लाभ में कमी घटें की वृद्धि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

^bनियोजित पूँजी निवल अचल परिस्थितियों (जिसमें पूँजीगत चालू कार्य शामिल है) में चालू पूँजी का कुल प्रदर्शित करती है, न वित कंपनियों / निगमों को छोड़कर जिनमें नियोजित पूँजी की गणना चालू पूँजी के प्रारंभिक व अंतिम शेष, मुक्त अरक्षित, बंधात्र, जमा और ऋण (कुनैवित सहित) के कुल योग से की जाती है।

^cनियोजित पूँजी पर प्रतिलाम को लाभ व हानि लेखा में दर्ज लाभ और व्याज को जोड़कर प्रावकलित किया गया। शा.पु.नि. के पास ₹ 700 मात्र की प्रदत्त पूँजी, ₹ 658 व्याज और ₹ 44,492 मात्र के संचित लाभ है।

क्र. सं.	कंपनी का क्षेत्र और नाम	लेखों की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखों को अंत में बकाया छुण	वर्ष के अंत में सचित लाभ (+) / हानि (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+) / हानि (-)		लेखापरीक्षा अनुसूतियों का निवल प्रभाव ¹	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ²	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ³	मैनपर्वर प्रतिशतता					
						निवल लाभ/हानि, व्याज व मूल्यांक के पहले	व्याज निवल/हानि (कर के पहले)									
पॉवर																
4	दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	745.05	2,517.63	-1,609.47	0.00	109.84	64.58	0.04	45.22	321.62	3,574.50	109.80	3.07	17
5	दिल्ली ट्रांस्फोर्मर लिमिटेड	2014-15	2015-16	3,951.00	1,642.94	-2,293.10	814.86	650.06	120.44	151.31	378.31	58.16	3,919.51	498.75	12.72	1,450
6	इंद्रप्रश्न पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	736.54	62.57	455.94	857.48	157.91	108.68	41.60	7.63	129.26	1,325.49	116.31	8.77	873
7	प्रगति पॉवर कंपनीशन लिमिटेड	2014-15	2015-16	2,074.19	1,991.82	1,488.61	2,738.36	1,184.53	301.44	287.26	595.83	0.00	6,702.60	897.27	13.39	300
8	दि.रा.आ.विनि. एनर्जी सि.लि.	2014-15	2015-16	0.01	0.00	0.21	0.16	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.23	0.11	47.83	0
क्षेत्रवार योग				7,506.79	6,214.96	-1,957.81	4,410.86	2,102.45	595.14	480.21	1,027.10	509.04	15,522.33	1,622.24	10.45	2,640
सेवाएं																
9	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	7.00	2.14	24.06	893.78	9.36	0.00	0.79	8.57	5.31	47.82	8.57	17.92	611
10	दिल्ली फर्टन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	6.28	0.00	115.32	1,112.70	6.79	0.08	4.23	2.48	8.84	180.95	2.56	1.41	731
11	जियोसेंसियल डिल्टी लिमिटेड	2015-16	2016-17	10.76	0.00	6.70	6.64	5.23	0.00	0.46	4.77	-3.16	19.04	4.77	25.05	74
12	दि.रा.आ.विनि. एनर्जी सि.लि.	2014-15	2015-16	0.01	0.03	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
13	दि.रा.आ.विनि. लिकर लि.	2014-15	2015-16	0.01	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0
14	दि.रा.आ.विनि. सेंटर्स सेवाएं लि.	2014-15	2015-16	0.01	0.00	-0.07	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.06	-0.01	0.00	0
क्षेत्रवार योग				24.07	2.17	145.93	2,013.12	21.37	0.08	5.48	15.81	10.99	247.72	15.89	6.41	1,416

अनुलग्नक 2.2 क

**इ.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी
(पैराग्राफ 2.2.2 को देखें)**

इ.पॉ.उ.कं.लि. की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
इकिवटी एवं देयताएं						
1	प्रदत्त अंश पूंजी	687.54	736.54	736.54	736.54	736.54
2	आरक्षित एवं अधिशेष	264.33	367.41	488.57	505.94	413.47
3	शेयरधारकों की निधि का योग (1+2)	951.87	1,103.95	1,225.11	1,242.48	1,150.01
4	प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (दि.पॉ.कॉ.लि., बैंक)	58.33	36.04	86.61	1.26	0.83
5	अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (रा.रा.क्षे.दि.स.)	102.29	88.61	1.54	61.31	119.63
6	दीर्घावधि ऋण—एनसीएल का योग (4+5)	160.62	124.65	88.15	62.57	120.46
7	दीर्घावधि प्रावधान एवं स्थगित कर देयता	3.18	7.61	17.96	20.44	22.19
8	गैर—चालू देयताओं का योग (6+7)	163.8	132.26	106.11	83.01	142.65
9	प्रतिभूत अल्पावधि ऋण (बैंक)	22.96	28.14	65.7	194.37	89.17
10	अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण (दि.पॉ.कॉ.लि., रा.रा.क्षे.दि.स.)	200	533	553	548	569.27
11	अल्पावधि ऋणों का योग (9+10)	222.96	561.14	618.70	742.37	658.44
12	व्यापार देय	193.48	215.15	164.72	278.23	236
13	अन्य चालू देयताएं	182.06	265.05	431.97	547.26	691.97
14	अल्पावधि प्रावधान	58.4	0.94	33.03	1.83	1.91
15	चालू देयताओं का योग (11+12+13+14)	656.9	1,042.28	1,248.42	1,569.69	1,588.32
16	इकिवटी ओर देयताओं का कुल योग (3+8+15)	1,772.57	2,278.49	2,579.64	2,895.18	2,880.98
परिसंपत्तियां						
17	सकल स्थायी परिसंपत्तियां	665.09	693.47	700.62	708.59	710.67
18	घटाएँ: मूल्यहास	408.44	442.29	479.57	519.8	553.09
19	निवल स्थायी परिसंपत्तियां (17-18)	256.65	251.18	221.05	188.79	157.58

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
20	चालू पूंजीगत कार्य			0	0.51	0
21	गैर-चालू निवेश	580.37	629.37	629.37	635.38	666.44
22	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	1.65	7.98	7.83	69.45	83.76
23	गैर-चालू परिसम्पत्तियों का योग (19+20+21+22)	838.67	888.53	858.25	894.13	907.78
24	माल सूचियां	68.29	41.22	51.60	39.48	38.19
25	व्यापार प्राप्य	810.82	1,299.76	1,637.94	1,807.83	1,740.03
26	नकद एवं बैंक शेष	5.28	4.85	1.69	5.00	6.75
27	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	22.74	43.85	30	148.56	188.06
28	अन्य चालू परिसंपत्तियां	26.77	0.28	0.15	0.19	0.17
29	चालू परिसम्पत्तियों का योग (24+25+26+27+28)	933.9	1389.96	1721.38	2001.06	1973.2
30	परिसम्पत्तियों का कुल योग (23+29)	1,772.57	2,278.49	2,579.63	2,895.19	2,880.98
अनुपात विश्लेषण						
31	ऋण इक्विटी अनुपात = ऋण/इक्विटी (6 / 3)	0.17	0.11	0.07	0.05	0.10
32	नियोजित पूंजी = चालू परिसंपत्तियां+निवल स्थायी परिसंपत्तियां-चालू देयताएं (29+19-15)	533.65	598.86	694.01	620.16	542.46
33	कुल परिसंपत्तियां = कुल चालू परिसम्पत्तियों+कुल गैर चालू परिसंपत्तियां (29+23)	1,772.57	2,278.49	2,579.63	2,895.19	2,880.98
34	कुल देयताएं = कुल चालू देयताएं+कुल गैर चालू देयताएं (8+15)	820.7	1,174.54	1,354.53	1,652.70	1,730.97
35	निवल मूल्य = कुल परिसंपत्तियां-कुल देयताएं(33-34)	951.87	1,103.95	1,225.1	1,242.49	1,150.01
36	कार्यशील पूंजी अनुपात =चालू परिसंपत्तियां / चालू देयताएं (29 / 15)	1.42	1.33	1.38	1.27	1.24

प्र.पॉ.कॉ.लि. की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
इकिवटी एवं देयताएं						
1	प्रदत्त अंश पूंजी	1,424.19	1,824.19	2,074.19	2,074.19	2,074.19
2	आरक्षित एवं अधिशेष	802.89	1,059.75	1,477.62	1,838	2,009.62
3	शेयरधारकों की निधि का योग (1+2)	2,227.08	2,883.94	3,551.81	3,912.19	4,083.81
4	आरथगित राजस्व	46.96	46.96	0	0	0
5	प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (दि.पॉ.कॉ.लि., बैंक)	1,915.58	1,778.85	1,642.04	1,505.15	1,368.27
6	अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (रा.रा.क्षे.दि.स.)	237.32	360	426.67	486.67	593.33
7	दीर्घावधि ऋण—एनसीएल का योग (5+6)	2,152.90	2,138.85	2,068.71	1,991.82	1,961.60
8	अन्य दीर्घावधि देयताएं, दीर्घावधि प्रावधान और आरथगित कर देयता	344.29	386.6	710.23	798.6	796.31
9	गैर—चालू देयताओं का योग(7+8)	2,497.19	2,525.45	2,778.94	2,790.42	2,757.91
10	प्रतिभूत अल्पावधि ऋण (बैंक)	48.58	65.20	86.40	186.99	160.83
11	अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण (दि.पॉ.कॉ.लि. रा.रा.क्षे.दि.स.)	100	300	320	300	379.66
12	अल्पावधि ऋणों का योग (10+11)	148.58	365.2	406.4	486.99	540.49
13	व्यापार देय	37.70	117.16	43.71	77.83	88.51
14	अन्य चालू देयताएं	383.63	498.94	445.81	615.49	811.73
15	अल्पावधि प्रावधान	43.12	12.63	93.28	0.53	0.41
16	चालू देयताओं का योग (12+13+14+15)	613.03	993.93	989.20	1,180.84	1,441.14
17	इकिवटी तथा देयताओं का कुल योग (3+4+9+16)	5,384.26	6,450.28	7,319.95	7,883.45	8,282.86
परिसंपत्तियां						
18	सकल स्थायी परिसंपत्तियां	5,208.91	5,500.77	5,419.62	5,717.01	5,749.55
19	घटाएँ: मूल्यहास	522.51	685.96	889.51	1,180.78	1,474.59
20	निवल स्थायी परिसंपत्तियां (18–19)	4,686.40	4,814.81	4,530.11	4,536.23	4,274.96

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
21	चालू पूँजीगत कार्य			292.6	181.09	181.62
22	गैर-चालू निवेश	0	0	0	0	0
23	दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम और अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	17.01	14.73	8.85	6.95	9.73
24	गैर चालू परिसंपत्तियों का योग (20+21+22+23)	4,703.41	4,829.54	4,831.56	4,724.27	4,466.31
25	माल सूचियां	41.31	106.35	141.18	58.12	63.68
26	व्यापार प्राप्य	671.74	1,359.48	1,959.65	2,637.39	3,275.63
27	नकद और बैंक शेष	362.68	377.30	355.05	433.41	452.87
28	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	3.92	15.68	24.40	21.59	17.09
29	अन्य चालू परिसंपत्तियां	1.20	11.93	8.11	8.67	7.28
30	चालू परिसंपत्तियों का योग (25+26+27+28+29)	1,080.85	1,870.74	2,488.39	3,159.18	3,816.55
31	परिसंपत्तियों का कुल योग	5,784.26	6,700.28	7,319.95	7,883.45	8,282.86

अनुपात विश्लेषण

32	ऋण इकिवटी अनुपात = ऋण/इकिवटी-(7 / 3)	0.97	0.74	0.58	0.51	0.48
33	नियोजित पूँजी =चालू परिसंपत्तियां+निवल स्थायी परिसंपत्तियां—चालू देयताएं (30+20—16)	5,154.22	5,691.62	6,029.30	6,514.57	6,650.37
34	कुल परिसंपत्तियां = कुल चालू परिसंपत्तियां+कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां (30+24)	5,784.26	6,700.28	7,319.95	7,883.45	8,282.86
35	कुल देयताएं =कुल चालू देयताएं+कुल गैर चालू देयताएं (9+16)	3,110.22	3,519.38	3,768.14	3,971.26	4,199.05
36	निवल मूल्य = कुल परिसंपत्तियां—कुल देयताएं (34—35)	2,674.04	3,180.90	3,551.81	3,912.19	4,083.81
37	कार्यशील पूँजी अनुपात (30 / 16)	1.76	1.88	2.52	2.68	2.64

अनुलग्नक 2.2 ख

इ.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के कार्यशील परिणामों को दर्शाती विवरणी
(पैराग्राफ 2.2.2 को देखें)

इ.पॉ.उ.कं.लि. के कार्यशील परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	ऊर्जा का विक्रय	1,065.13	977.48	763.43	816.09	318.22
2	ऊर्जा के विक्रय पर अधिभार	56.76	107.99	202.85	38.49	27.31
3	फ्लाई ऐश का विक्रय	5.61	5.58	2.83	2.89	0.2
4	परिचालनों से कुल राजस्व (1+2+3)	1,127.5	1,091.05	969.11	857.47	345.73
5	ब्याज आय	1.05	0.84	0.31	0.18	33.55
6	ब्याज आय सहित कुल अन्य आय	24.37	6.29	4.29	2.58	70.12
7	कुल राजस्व (4+6)	1,151.87	1,097.34	973.40	860.05	415.85
8	कोयला	182.54	222	115.55	136.58	16.33
9	तेल	9.47	13.32	13.50	8.52	0.58
10	गैस	375.93	459.19	364.39	423.33	189.40
11	कुल ईधन लागत (8+9+10)	567.94	694.51	493.44	568.43	206.31
12	कर्मचारी लागत	77.44	81.78	75.08	59.41	66.09
13	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (प्र. तथा सा. व्यय)	75.52	71.85	54.68	72.61	64.93
14	मूल्यहास	27.9	35.85	37.78	41.59	33.85
15	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	41.79	73.92	122.76	110.39	134.52
16	ईधन लागत के अतिरिक्त कुल लागत (12 से 15)	222.65	263.4	290.3	284	299.39
17	कुल लागत (11+16)	790.59	957.91	783.74	852.43	505.7

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
18	असाधारण मदों के पहले लाभ, पूर्वावधि मदें तथा कर	361.28	139.43	189.66	7.62	-89.85
19	जोड़े(+) /घटाएं(-) असाधारण मदें, पूर्वावधि मदें तथा कर का समायोजन	-95.12	-40.35	68.50	-9.72	2.62
20	कर के पश्चात लाभ	266.16	99.08	121.16	17.34	-92.47
21	कुल लागत से व्याज एवं वित्तीय प्रभार की प्रतिशतता	5.29	7.72	15.66	12.95	26.60
22	कुल लागत से ईंधन लागत की प्रतिशतता	71.84	72.50	62.96	66.68	40.80
23	कुल लागत से कर्मचारी तथा प्र तथा सा व्यय की प्रतिशतता	19.35	16.04	16.56	15.49	25.91
24	परिचालन राजस्व ईंधन लागत की प्रतिशतता	50.4	63.7	50.9	66.3	59.7
उत्पादन						
25	कुल उत्पादन (एम यू में)	2,056.72	2,100.63	1,420.83	1,359.87	513.68
26	घटाएं: सहायक खपत (एम यू में)	145.76	143.03	88.75	97.12	29.586
27	प्रेषण तथा वितरण हेतु उपलब्ध कुल उत्पादन (एम यू में) (25-26)	1910.96	1957.6	1,332.08	1,262.75	484.094
28	प्राप्ति (प्रति यूनिट) (4 / 27x10)	5.90	5.57	7.28	6.79	7.14
29	स्थायी लागत (प्रति यूनिट) (16 / 27x10)	1.17	1.35	2.18	2.25	6.18
30	परिवर्तनशील लागत (प्रति यूनिट) (11 / 27x10)	2.97	3.55	3.70	4.50	4.26
31	कुल लागत प्रति यूनिट (29+30)	4.14	4.89	5.88	6.75	10.45
32	अंशदान (28-30)	2.93	2.03	3.57	2.29	2.88
33	लाभ(+) / हानि(-) (28-31)	1.76	0.68	1.39	0.04	-3.31

प्र.पॉ.कॉ.लि. का कार्यशील परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	ऊर्जा का विक्रय	964.67	1,782.42	1,943.22	2,691.4	2,111
2	ऊर्जा के विक्रय पर अधिभार	40.54	92.74	195.77	46.95	47.84
3	परिचालनों से कुल राजस्व (1+2)	1,005.21	1,875.16	2,138.99	2,738.35	2,158.84
4	ब्याज आय	19.74	39.10	38.64	37.89	37.41
5	ब्याज आय सहित कुल अन्य आय	17.72	39.16	34.27	37.97	40.19
6	कुल राजस्व (3+5)	1,022.93	1,914.32	2,173.26	2,776.32	2,199.03
7	ईधन लागत	636.78	1,102.7	996.99	1,425.7	1,121.04
8	कर्मचारी लागत	30.59	38.19	47.93	70.19	74.66
9	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (प्र एवं सा व्यय)	43.5	122.37	79.1	90.56	179.74
10	मूल्यहास	71.45	163.35	202.23	287.26	294.35
11	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	37.22	165.76	249.1	306.77	331.38
12	ईधन लागत के अतिरिक्त कुल लागत (8 से 11)	182.76	489.67	578.36	754.78	880.13
13	कुल लागत (7+12)	819.54	1,592.37	1,575.35	2,180.48	2,001.17
14	असाधारण मदों से पहले लाभ पूर्वावधि मदें तथा कर	203.39	321.95	597.91	595.84	197.86
15	जोडे(+) / घटाए(-) असाधारण मदों, पूर्वावधि मदें तथा कर का समायोजन	-35.47	-99.37	-180.04	-235.44	26.24
16	कर के पश्चात लाभ	167.92	222.58	417.87	360.40	171.62

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
17	कुल लागत से व्याज तथा वित्तीय प्रभार की प्रतिशतता	4.54	10.41	15.81	14.07	16.56
18	कुल लागत से ईंधन लागत की प्रतिशतता	77.70	69.25	63.29	65.38	56.02
19	कुल लागत से कर्मचारी तथा प्र एवं सा व्यय की प्रतिशतता	9.04	10.08	8.06	0.00	0.00
20	परिचालन राजस्व का ईंधन लागत की प्रतिशतता	63.35	58.81	46.61	52.06	51.93
21	कुल राजस्व से लाभ	16.42	11.63	19.23	12.98	7.80
उत्पादन						
22	कुल उत्पादन (एम यू में)	2,750.92	3,921.63	3,067.79	4,081.51	3,450.49
23	घटाएँ: सहायक खपत (एम यू में)	67.2	114.24	99.73	125.45	113.85
24	प्रेषण तथा वितरण हेतु उपलब्ध कुल उत्पादन (एम यू में)	2,683.72	3,807.39	2,968.06	3,956.06	3,336.64
25	प्राप्ति (प्रति यूनिट) (3 / 24x10)	3.75	4.93	7.21	6.92	6.47
26	स्थायी लागत (प्रति यूनिट) (12 / 24x10)	0.68	1.29	1.95	1.91	2.64
27	परिवर्तनशील लागत प्रति यूनिट (7 / 24x10)	2.37	2.90	3.36	3.60	3.36
28	कुल लागत प्रति यूनिट (26+27)	3.05	4.19	5.31	5.51	6.00
29	अंशदान (25–27)	1.38	2.03	3.85	3.32	3.11
30	लाभ(+) / हानि(-) (25–28)	0.70	0.74	1.90	1.41	0.47

अनुलग्नक 2.3

इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के नकद अंतर्प्रवाह और
बहिर्प्रवाह को दर्शाती विवरणी
(पैराग्राफ 2.2.4 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
इं.पॉ.उ.कं.लि.						
नकद अंतर्प्रवाह						
1	निवल लाभ / (हानि)	361.26	139.44	189.66	7.63	-89.84
2	जोड़े: समायोजन	30.16	104.76	156.59	149.09	138.15
3	परिचालन गतिविधियां	59.39	162.16	90.37	289.51	95.62
4	निवेश गतिविधियां	1.06	0.88	0.45	0.21	31.88
5	वित्तीय गतिविधियां	255	392.43	25.19	15.27	90.2
	कुल	706.87	799.67	462.26	461.71	266.01
नकद बहिर्प्रवाह						
6	परिचालन गतिविधियां	535.28	641.51	334.73	401.97	27.64
7	निवेश गतिविधियां	90.48	67.93	8.12	18.54	38.78
8	वित्तीय गतिविधियां	97.40	90.66	122.75	38.38	201.76
	कुल	723.17	800.10	465.60	458.90	268.18
नकद और नकद के तुल्य निवल वृद्धि (+) / कमी (-)		-16.30	-0.43	-3.34	2.81	-2.17
प्र.पॉ.कॉ.लि.						
नकद अंतर्प्रवाह						
1	निवल लाभ	203.40	321.96	595.06	595.83	197.85
2	जोड़े: समायोजन	97.99	294.41	417.20	557.12	588.65
3	परिचालन गतिविधियां	387.37	289.90	288.33	185.76	0
4	निवेश गतिविधियां	15.38	34.80	35.71	37.39	38.76
5	वित्तीय गतिविधियां	1,137.45	484.40	100.05	100.00	380.00
	कुल	1,841.59	1,425.47	1,436.35	1,476.11	1,205.26
नकद बहिर्प्रवाह						
6	परिचालन गतिविधियां	447.66	872.35	810.30	844.84	712.71
7	निवेश गतिविधियां	1,243.18	336.88	213.29	241.35	65.43
8	वित्तीय गतिविधियां	139.03	246.62	436.86	372.35	427.15
	कुल	1,829.86	1,455.85	1,460.44	1,458.54	1,205.29
नकद और नकद के तुल्य निवल वृद्धि (+) / कमी (-)		11.73	-30.37	-24.09	17.57	-0.03

अनुलग्नक 2.4

इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पाँवर प्लांटो में ईधन
की अत्यधिक खपत को दर्शाती विवरणी

(पैराग्राफ 2.2.6.1(ग) को देखें)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क. राजधान पाँवर हाऊस में कोयले की अत्यधिक खपत						
1	सकल उत्पादन (एमयू)	818.364	792.799	379.883	423.575	46.594
2	दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य सकल स्टेशन ताप दर (किकै / कि.वॉट घंटा)	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
3	वास्तविक स्टेशन ताप दर (किकै / कि.वॉट घंटा)	3,072.1	3,340.5	3,375.2	3,367.8	3,292.4
4	दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य कोयले का औसत कैलोरीफिक मूल्य (किकै / किग्रा)	3,601	3,703	3,703	3,703	3,703
5	मानकों के अनुसार सकल उत्पादन हेतु कोयले की आवश्यकता ($2 \div 4 \times 1 \times 1000$) (मे.ट.)	7,27,232.65	6,85,108.51	3,28,281.29	3,66,038.35	40,264.87
6	कोयले की वास्तविक खपत (मे.ट.)	7,07,987.14	7,17,153.01	3,46,849.39	3,86,620.92	41,424.09
7	कोयले की अत्यधिक खपत (मे.ट.) (6-5)	-	32,044.50	18,568.10	20,582.57	1,159.22
8	प्रति (मे.ट.) कोयले की दर(₹)	-	3,104.31	3,356.00	3,549.00	3,549.00
9	अत्यधिक खपत हुए कोयले का मूल्य (₹ करोड़ में) (7×8)	-	9.95	6.23	7.30	0.41
						(₹ 23.89 करोड़ में)
ख. गैस टरबाइन पाँवर स्टेशन में गैस की अत्यधिक खपत						
1	सकल उत्पादन (एमयू)	ओसी	33.296	7.278	5.140	15.966
		सीसी	1,205.061	1,300.556	1,035.809	920.385
		कुल	1,238.357	1,307.834	1,040.949	936.351
2	गैस का जी.सी.वी (किकै / एससीएम)		9,477.50	9,576.02	9,600.60	9,628.42
3	दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य ताप दर (किकै / कि.वॉट घंटा)	ओसी	3,125	3,125	3,125	3,125
		सीसी	2,450	2,450	2,450	2,450
4	वास्तविक ताप दर (किकै / कि.वॉट घंटा)	ओसी	3,391	3,448	3,441	3,473
		सीसी	2,489	2,445	2,424	2,503
5	दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य मानकों के अनुसार प्रति थूमिट गैस की खपत होना (3/2) (एससीएम / कि.वॉट घंटा)	ओसी	0.3297	0.3263	0.3255	0.3246
		सीसी	0.2585	0.2558	0.2552	0.2545

क्र.सं.	विवरण		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
6	प्रति यूनिट गैस की वास्तविक खपत (4/2) (एससीएम / कि.वॉट घंटा)	ओसी	0.3578	0.3601	0.3584	0.3607	0.3612
		सीसी	0.2592	0.2545	0.2519	0.2580	0.2630
7	कुल वास्तविक गैस खपत (एससीएम)	32,51,77,154		33,38,68,612	26,28,41,157	24,34,31,130	12,30,53,882
8	दि.वि.वि.आ. के मानकों के अनुसार सकल उत्पादन हेतु गैस की आवश्यकता (3/2x1x1000000) (एससीएम)	ओसी	1,09,78,634	23,75,073	16,73,073	51,81,925	12,07,165
		सीसी	31,15,16,692	33,27,43,896	26,43,30,568	23,41,96,602	11,59,20,348
		योग	32,24,95,326	33,51,18,969	26,60,03,641	23,93,78,527	11,71,27,513
9	गैस की अत्यधिक खपत (7-8) (एससीएम)	26,81,828		-	-	40,52,603	59,26,369
10	गैस की लैंडड लागत (₹ / एससीएम)	11.6		14.21	13.905	17.429	15.264
11	अत्यधिक खपत हुई गैस का मूल्य (₹ करोड़ में) (9x10)	3.11		-	-	7.06	9.05
₹ 19.22 करोड़ की 1,26,60,800 एससीएम गैस							

ग. प्रगति पॉवर स्टेशन—I में गैस की अत्यधिक खपत

1	सकल उत्पादन (एम यू में)	ओसी	68.625	41.331	26.416	85.424	9.862
		सीसी	2,491.393	2,466.956	2,398.936	1,761.944	1,529.609
		योग	2,560.018	2,508.287	2,425.352	1,847.368	1,539.471
2	गैस का जीसीवी (किकै/एससीएम)	9,483.92		9,591.48	9,620.20	9,646.89	9,579.42
3	दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य ताप दर (किकै/कि.वाट घंटा)	ओसी	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
		सीसी	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	वास्तविक ताप दर (किकैलारी/कि.वाट घंटा में)	ओसी	3,095	3,121	3,161	3,188	3,197
		सीसी	1,988	1,989	1,990	1,990	1,997
5	दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य मानकों के अनुसार प्रति यूनिट गैस की खपत (3/2) (एससीएम / किलोवाट घंटा)	ओसी	0.3058	0.3024	0.3014	0.3006	0.3027
		सीसी	0.2109	0.2085	0.2079	0.2073	0.2088
6	प्रति यूनिट गैस की वास्तविक खपत (4/2) (एससीएम / कि.वाट घंटा)	ओसी	0.3263	0.3254	0.3286	0.3305	0.3337
		सीसी	0.2096	0.2074	0.2069	0.2063	0.2085
7	कुल वास्तविक गैस खपत (एससीएम)	54,47,57,740		52,51,23,635	50,49,59,052	39,17,96,943	32,24,33,309
8	दि.वि.वि.आ. के मानकों के अनुसार सकल उत्पादन हेतु गैस की आवश्यकता (3/2x1x1000000) (एससीएम)	ओसी	2,09,84,203	1,24,96,497	79,63,078	2,56,79,737	29,85,546
		सीसी	52,53,93,086	51,44,05,702	49,87,28,925	36,52,87,466	31,93,53,155
		योग	54,63,77,289	52,69,02,199	50,66,92,003	39,09,67,203	32,23,38,701
9	गैस की अधिक खपत (7-8) (एससीएम)	-		-	-	8,29,740	94,608

क्र.सं.	विवरण		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
10	गैस की लैंडेड लागत (₹/एससीएम)		10.06	12.66	15.45	19.08	18.06
11	अत्यधिक खपत हुई गैस का मूल्य (₹ करोड़ में) (9x10)		-	-	-	1.58	0.17
₹ 1.75 करोड़ की 9,24,348 एससीएम गैस							
घ. प्रगति पॉवर स्टेशन-III, बवाना में गैस की अत्यधिक खपत							
1	सकल उत्पादन (एमयू में)	ओसी	190.91	42.29	3.56	4.98	4.15
		सीसी	शून्य	1,371.05	638.87	2,229.16	1,906.87
		योग	190.905	1,413.34	642.43	2,234.14	1,911.02
2	गैस का जीसीबी (किकै / एससीएम)		9,592.65	9,604.01	9,571.32	9,656.76	9,607.53
3	के.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य ताप दर (किकै / कि.वाट घंटा)	ओसी	2,755.78	2,755.78	2,755.78	2,755.78	2,755.78
		सीसी	1,845.14	1,845.14	1,845.14	1,845.14	1,845.14
4	वास्तविक ताप दर (किकै / कि.वाट घंटा)	ओसी	2,991.00	3,721.88	3,030.68	2,817.25	2,853.48
		सीसी	0	2,040.55	1,971.11	1,867.17	1,888.49
5	के.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य प्रति यूनिट गैस खपत (3/2) (एससीएम / किलोवाट घंटा)	ओसी	0.287	0.287	0.288	0.285	0.287
		सीसी	0.192	0.192	0.193	0.191	0.192
6	प्रति यूनिट गैस की वास्तविक खपत (4/2) (एससीएम / किलोवाट घंटा)	ओसी	0.312	0.388	0.317	0.292	0.297
7	कुल वास्तविक गैस की खपत (एससीएम)	ओसी	5,90,57,385	30,70,72,000	13,27,05,298	43,30,78,891	37,56,39,629
		सीसी	0	0.212	0.206	0.193	0.197
8	के.वि.वि.आ. के मानकों के अनुसार सकल उत्पादन हेतु गैस की आवश्यकता (3/ 2x1x1000000) (एससीएम)	ओसी	5,48,44,695	1,21,35,692	10,25,109	14,22,368	11,89,845
		सीसी	0	26,34,09,251	12,31,60,011	42,59,30,026	36,62,17,600
		योग	5,48,44,695	27,55,44,943	12,41,85,120	42,73,52,394	36,74,07,445
9	गैस की अत्यधिक खपत (7-8)(एससीएम)		-	3,15,27,057	85,20,178	57,26,497	82,32,184
10	गैस की लैंडेड लागत (₹/एससीएम)		-	15.22	14.35	15.714	14.394
11	अत्यधिक खपत हुई गैस का मूल्य (₹ करोड़ में) (9x10)		-	47.98	12.23	9.00	11.85
			₹ 81.06 करोड़ की 5,40,05,916 एससीएम गैस				

कुल योग क+ख+ग+घ = ₹ 125.92 करोड़

अनुलग्नक 2.5

इन्द्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रचालनीय निष्पादन को दर्शाती विवरणी (पैराग्राफ 2.2.6.3 (क) एवं (ग) को देखें)

1. इन्द्रप्रस्थ पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड

राजधानी पॉवर हाऊस							
क्र.सं.	विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	स्थापित क्षमता	मेगावाट	135	135	135	135	135
2	स्थापित क्षमता पर अधिकतम संभव उत्पादन ($1x$ वर्ष के दिनों की संख्या $\times 24$ घंटे) / 1000	एमयू	1,185.840	1,182.600	1,182.600	1,182.600	1,185.840
3	के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	लागु नहीं	के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित नहीं	450.00	400.00	
4	दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	828.000	887.000	887.000	887.000	394.500
5	सकल उत्पादन	एमयू	818.364	792.799	379.883	423.575	46.594
6	एक वर्ष में उपलब्ध कुल घंटे	घंटे	17,568.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	17,568.00
7	वास्तविक संचालन के घंटे	घंटे	14131.50	14,163.42	7,293.00	8,302.67	863.33
8	दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित प्लांट लोड घटक	%	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00
9	प्लांट लोड घटक ($5/2 \times 100$)	%	69.01	67.04	32.12	35.82	3.93
10	वास्तविक संचालन के घंटों के संदर्भ में संभावित उत्पादन (7×67.5 मेगावाट / 1000)	एमयू	953.876	956.031	492.278	560.430	58.275
11	क्षमता उपयोग घटक ($5/10 \times 100$)	%	85.79	82.93	77.17	75.58	79.96

गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन							
क्र.सं.	विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	स्थापित क्षमता	मेगावाट	270	270	270	270	270
2	स्थापित क्षमता पर अधिकतम संभव उत्पादन ($1x$ वर्ष में दिनों की संख्या $\times 24$ घंटे) / 1000	एमयू	2,371.680	2,365.200	2,365.200	2,365.200	2,371.680
3	के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	1,782.00	1,260.000	1,260.000	900.000	1,000.000
4	दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	1,660.000	1,892.000	1,892.000	1,892.000	927.840
5	सकल उत्पादन	एमयू	1,238.357	1,307.834	1,040.949	936.351	467.086
6	वर्ष में उपलब्ध कुल घंटे	घंटे	79,056.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	79,056.00
7	वास्तविक संचालन के घंटे	घंटे	51,345.50	51,921.37	41,233.01	38,981.79	21,502.69
8	दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित प्लांट लोड घटक	%	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00
9	प्लांट लोड घटक ($5/2 \times 100$)	%	52.21	55.29	44.01	39.59	19.69
10	वास्तविक संचालन के घंटों के संदर्भ में संभावित उत्पादन (7×30 मेगावाट / 1000)	एमयू	1,540.365	1,557.641	1,236.990	1,169.454	645.081
11	क्षमता उपयोग घटक ($5/10 \times 100$)	%	80.39	83.96	84.15	80.07	72.41

ख. प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रगति पॉवर हाउस-I

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	स्थापित क्षमता	मेगावाट	330	330	330	330	330
2	स्थापित क्षमता पर संभव अधिकतम उत्पादन (1 x वर्ष में दिनों की संख्या $\times 24$ घंटे) / 1000	एमयू	2,898.720	2,890.800	2,890.800	2,890.800	2,898.720
3	के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	2,400.000	2,040.000	2,457.000	2,400.000	2,400.000
4	दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	2,319.000	2,457.200	2,457.200	2,457.200	1,795.870
5	सकल उत्पादन	एमयू	2,560.018	2,508.287	2,425.352	1,847.368	1,539.471
6	वर्ष में उपलब्ध कुल घंटे	घंटे	26,352.00	26,280.00	26,280.00	26,280.00	26,352.00
7	वास्तविक संचालन के घंटे	घंटे	25,345.40	25,349.57	25,356.94	20,582.35	18,656.70
8	दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित प्लाट लोड घटक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
9	प्लाट लोड घटक $(5/2)x 100$	%	88.32	86.77	83.90	63.91	53.11
10	संचालन के वास्तविक घंटों के संदर्भ में संभव उत्पादन	एमयू	2,785.434	2,789.198	2,792.045	2,279.303	2,082.093
11	क्षमता उपयोग घटक $(5/10) \times 100$	%	91.91	89.93	86.87	81.05	73.94

प्रगति पॉवर हाउस-III, बवाना

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	स्थापित क्षमता	मेगावाट	216.00	685.60	1,371.20	1,371.20	1,371.20
2	स्थापित क्षमता पर संभव अधिकतम उत्पादन (1 x वर्ष के दिनों की सं. x 24 घंटे) / 1000	एमयू	497.664 ⁵	4,674.249 ⁶	7,010.880 ⁷	12,011.712 ⁸	12,044.621 ⁹
3	के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	लागू नहीं	2,784.000	540.000	700.000	2,000.000
4	के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एमयू	423.000	3,973.000	5,959.000	10,210.000	10,238.000
5	सकल उत्पादन	एमयू	190.905	1,413.346	642.434	2,234.140	1,911.020
6	वर्ष में उपलब्ध कुल घंटे	घंटे	2304.00 ¹⁰	20,652 ¹¹	30,912.00 ¹²	52,560.00	52,704.00
7	वास्तविक संचालन के घंटे	घंटे	1229.77	11,883.05	5,544.68	15,277.40	14,371.57
8	के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित प्लाटलोड घटक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
9	प्लाटलोड घटक $(5/2) \times 100$	%	38.36	30.24	9.16	18.60	15.87
10	संचालन के वास्तविक घंटों के संदर्भ में संभव उत्पादन	एमयू	265.630	2,777.878	1,298.274	3,566.800	3,370.618
11	क्षमता उपयोग घटक $(5/10) \times 100$	%	71.87	50.88	49.48	62.64	56.70

⁵(216 मेगावाट $\times 24$ घंटे $\times 96$ दिन)/1,000

⁶872.083 मेगावाट $\{(342.80 \text{ मेगावाट} \times 24 \text{ घंटे} \times 106 \text{ दिन})/1,000\} + 2,025.091 \text{ मेगावाट}\{(558.80 \text{ मेगावाट} \times 24 \text{ घंटे} \times 151 \text{ दिन})/1,000\} + 1,777.075 \text{ मेगावाट}\{(685.60 \text{ मेगावाट} \times 24 \text{ घंटे} \times 108 \text{ दिन})/1,000\}$

⁷3,455.424 मेगावाट $\{(685.60 \text{ मेगावाट} \times 24 \text{ घंटे} \times 210 \text{ दिन})/1,000\} + 2,639.885 \text{ मेगावाट}\{(901.60 \text{ मेगावाट} \times 24 \text{ घंटे} \times 122 \text{ दिन})/1,000\} + 751.027 \text{ मेगावाट}\{(1117.60 \text{ मेगावाट} \times 24 \text{ घंटे} \times 28 \text{ दिन})/1,000\} + 164.544 \text{ मेगावाट}\{(1,371.20 \times 24 \text{ घंटे} \times 5 \text{ दिन})/1,000\}$

⁸1,371.20 मेगावाट $\times 24$ घंटे $\times 365$ वर्ष में दिन/1,000

⁹1,371.20 मेगावाट $\times 24$ घंटे $\times 366$ वर्ष में दिन/1,000

¹⁰96 $\times 24$

¹¹ $(1.5 \times 24 \times 106) + (2.5 \times 24 \times 151) + (3 \times 24 \times 108)$

¹² $(3 \times 24 \times 210) + (4 \times 24 \times 122) + (5 \times 24 \times 28) + (6 \times 24 \times 5)$

अनुलग्नक 2.6

इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों के संबंध में क्षमता प्रभारों
(वार्षिक स्थायी लागत) की कम वसूली को दर्शाती विवरणी

(पैराग्राफ 2.2.6.3 (ख) को देखें)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क. राजधाट पॉवर हाउस के संबंध में क्षमता प्रभारों की कम वसूली						
1	पूरे क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित एनएपीएफ	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2	वास्तविक प्लांट उपलब्धता घटक अर्थात् प्रतिदिन घोषित क्षमता का औसत (रटे.लो.डि.से. से प्रमाणित)	68.37	66.94	67.55	56.50	55.18*
3	क्षमता प्रभार टुड अप (2011–14) और दि.वि.वि.आ. के टैरिफ आदेशों (2014–16) में अनुमत्य (₹ करोड़ में)	102.26	142.77	144.46	159.25	175.13
4	क्षमता प्रभारों की यथानुपात वसूली ($3 \div 1 \times 2$)	99.88	127.43	130.11	119.97	21.47*
5	कम एनएपीएफ के कारण क्षमता प्रभारों की वसूली न होना (3–4) योग = ₹ 225.01 करोड़	2.38	15.34	14.35	39.28	153.66
ख. गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन के संबंध में क्षमता प्रभारों की कम वसूली						
1	पूरे क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित एनएपीएफ	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2	वास्तविक प्लांट उपलब्धता घटक अर्थात् दैनिक घोषित क्षमताओं का औसत (रटे.लो.डि.से. से प्रमाणित)	79.41	84.22	85.76	68.80	74.81
3	क्षमता प्रभार टुड अप (2011–14) और दि.वि.वि.आ. के टैरिफ आदेशों (2014–16) में अनुमत्य (₹ करोड़ में)	140.17	174.55	178.10	192.99	198.24
4	क्षमता प्रभारों की यथानुपात वसूली ($3 \div 1 \times 2$)	140.17	174.45	178.10	165.97	185.38
5	कम एनएपीएफ के कारण क्षमता प्रभारों की वसूली न होना (3–4) योग = ₹ 39.88 करोड़	-	-	-	27.02	12.86

*31 मई 2015 तक

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ग. प्रगति पॉवर स्टेशन-I के संबंध में क्षमता प्रभारों की वसूली						
1	पूरे क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित एनएपीएफ	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
2	वास्तविक प्लांट उपलब्धता घटक अर्थात् दैनिक घोषित क्षमता की औसत (स्टेलो.डि.से. से प्रमाणित)	92.61	90.50	92.62	85.62	90.25
3	क्षमता प्रभार छुड़ अप (2011–14) और दि.वि.वि.आ. के टैरिफ आदेशों (2014–16) में अनुमत्य (₹ करोड़ में)	210.78	198.43	200.34	213.15	238.75
4	क्षमता प्रभारों की दि.वि.वि.आ. नियमन के अनुसार यथानुपात वसूली	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	कम एनएपीएफ के कारण क्षमता प्रभारों की वसूली न होना (3–4)	-	-	-	-	-
घ. प्रगति पॉवर स्टेशन-III के संबंध में क्षमता प्रभारों की कम वसूली						
1	पूरे क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु दि.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित एनएपीएफ	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
2	वास्तविक प्लांट उपलब्धता घटक अर्थात् दैनिक घोषित क्षमता का औसत (स्टेलो.डि.से. से प्रमाणित)	68.65	88.04	95.69	92.32	64.55
3	दि.वि.वि.आ. के टैरिफ आदेश में अनुमत्य क्षमता प्रभार (2011–14) तथा 2014–19 के लिए टैरिफ आवेदन में दावा (2014–16) (₹ करोड़ में)	68.77	493.73	653.59	1,394.68	1,432.73
4	दि.वि.वि.आ. नियमन के अनुसार क्षमता प्रभारों की यथानुपात वसूली	61.49 ¹³	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1,088.03 ¹⁴
5	कम एनएपीएफ के कारण क्षमता प्रभारों की वसूली न होना (3–4)	7.28	-	-	-	344.70
		योग = ₹ 351.98 करोड़				

क+ख+ग+घ का योग = ₹ 616.87 करोड़

¹³ 2011–12 के दौरान प्राप्त प्लांट उपलब्धता घटक 70 प्रतिशत से अधिक था, इसलिए के.वि.वि.आ. विनियम 2009 के अनुपालन में वर्ष के लिए कुल क्षमता प्रभार वार्षिक निर्धारित लागत तक सीमित होगा $\times (0.5 + 35 / \text{मानकी वार्षिक प्लांट उपलब्धता घटक}) \times (\text{वर्ष के दौरान प्राप्त प्लांट उपलब्धता घटक}/70)$ अर्थात् ₹ 68.77 करोड़ $\times (0.5 + 35/85) \times (68.65/70)$

¹⁴ के.वि.वि.आ. विनियम 2014 के अनुपालन में कुल क्षमता प्रभार वार्षिक निर्धारित लागत तक सीमित होगी \times वर्ष के दौरान प्लांट उपलब्धता घटक / मानकी वार्षिक प्लांट उपलब्धता घटक अर्थात् ₹ 1,432.73 करोड़ $\times 64.55/85$

अनुलग्नक 2.7

इ.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों में आऊटेज की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(पैराग्राफ 2.2.6.4 को देखें)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजधान पॉवर हाऊस						
1	एक वर्ष में कुल उपलब्ध घंटे	17,568.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	17,568.00
2	वास्तविक गतिमान घंटे	14,131.50	14,163.42	7,293.00	8,302.67	863.33
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	80.44	80.84	41.63	47.39	4.91
3	नियोजित आउटेज घंटे	शून्य	1,100.67	शून्य	2,207.08	16.00
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	-	6.28	-	12.60	0.09
4	फोर्सड आउटेज घंटे	3,295.58	2,218.50	2,560.33	1,512.67	16,688.87
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	18.76	12.66	14.61	8.63	95.00
5	बैंकिंग डाऊन घंटे	140.92	37.41	7,666.67	5,497.58	-
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	0.80	0.22	43.76	31.38	-
गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन						
1	एक वर्ष में कुल उपलब्ध घंटे	79,056.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	79,056.00
2	वास्तविक गतिमान घंटे	51,345.50	51,921.37	41,233.01	38,981.79	21,502.69
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	64.95	65.86	52.30	49.44	27.20
3	नियोजित आउटेज घंटे	1,444.92	3,383.97	845.50	2,421.87	917.50
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	1.83	4.29	1.07	3.07	1.16
4	फोर्सड आउटेज घंटे	4,471.63	1,143.69	2,282.07	10,473.63	8,278.01
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	5.65	1.45	2.90	13.29	10.47
5	बैंकिंग डाऊन घंटे	21,793.95	22,390.97	34,479.42	26,962.71	48,357.80
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	27.57	28.40	43.73	34.20	61.17

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्रगति पॉवर हाऊस-I						
1	एक वर्ष में कुल उपलब्ध घंटे	26,352.00	26,280.00	26,280.00	26,280.00	26,352.00
2	वास्तविक गतिमान घंटे	25,345.40	25,349.57	25,356.94	20,582.35	18,656.70
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	96.18	96.46	96.49	78.32	70.80
3	नियोजित आऊटेज घंटे	354.19	568.72	177.93	2,528.34	1,910.71
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	1.34	2.16	0.68	9.62	7.25
4	फोर्सड आऊटेज घंटे	263.37	188.57	545.95	272.48	54.52
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	1.00	0.72	2.08	1.04	0.21
5	बैंकिंग डाऊन घंटे	389.04	173.14	199.18	2,896.83	5,730.07
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	1.48	0.66	0.75	11.02	21.74
प्रगति पॉवर हाऊस-III						
1	एक वर्ष में कुल उपलब्ध घंटे	2,304.00	20,652.00	30,912.00	52,560.00	52,704.00
2	वास्तविक गतिमान घंटे	1,229.77	11,883.05	5,544.68	15,277.40	14,371.57
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	53.38	57.54	17.94	29.07	27.27
3	नियोजित आऊटेज घंटे	60.58	37.30	935.64	-	1,653.00
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	2.63	0.18	2.93	-	3.14
4	फोर्सड आऊटेज घंटे	-	683.12	600.08	2,239.39	10,963.13
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	-	3.31	1.94	4.26	20.80
5	बैंकिंग डाऊन घंटे	1,013.65	8,048.53	23,831.60	35,043.21	25,716.30
	कुल उपलब्ध घंटों का प्रतिशत	43.99	38.97	77.09	66.67	48.79

अनुलग्नक 2.8

इ.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों में अधिक सहायक ऊर्जा खपत को दर्शाती विवरणी

(पैराग्राफ 2.2.6.5 को देखें)

क. राजघाट पॉवर हाउस में अधिक सहायक ऊर्जा खपत

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	सकल उत्पादन (एमयू)	818.364	792.799	379.883	423.575	46.594*
2	सहायक ऊर्जा खपत (एमयू)	102.107	104.962	56.842	65.211	8.382
3	निवल उत्पादन (एमयू)	716.257	687.837	323.041	358.364	38.212
4	सहायक ऊर्जा खपत का सकल उत्पादन से प्रतिशत ($2 \div 1 \times 100$)	12.48	13.24	14.96	15.40	17.99
5	दि.पॉ.वि.आ. द्वारा अनुमत्य सहायक ऊर्जा खपत—11.28 प्रतिशत (एमयू)	92.311	89.428	42.851	47.779	5.256
6	सहायक ऊर्जा की अधिक खपत (एमयू)	9.796	15.534	13.991	17.432	3.126
7	प्रति यूनिट परिवर्तनशील लागत (₹)**	2.69	2.91	3.13	3.33	3.55
8	वित्तीय हानि (₹ करोड़ में) ($6 \times 7 \div 10$)	2.64	4.52	4.38	5.80	1.10
कुल		₹ 18.44 करोड़ के मूल्य की 59.879 एमयू				

* मई 2015 तक

**लागत जिस पर ऊर्जा बिलों की विलिंग हुई (लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा प्रदान की गई)

ख. गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन में अधिक सहायक ऊर्जा खपत

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	ओसी उत्पादन (एमयू)	33.296*	7.278*	5.140*	15.966*	3.710**	
	सीसी उत्पादन (एमयू)	1,205.061	1,300.556	1,035.809	920.385	463.376	
	सकल उत्पादन (एमयू)	1,238.357	1,307.834	1,040.949	936.351	467.086	
2	वास्तविक सहायक ऊर्जा की खपत (एमयू)	43.651	38.065	31.906	31.963	21.204	
3	निवल उत्पादन (एमयू) [1-2]	1,194.706	1,269.769	1,009.043	904.388	445.882	
4	सहायक ऊर्जा की खपत से सकल उत्पादन का प्रतिशत ($2 \div 1 \times 100$)	3.52	2.91	3.07	3.41	4.54	
5	दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत्य सहायक ऊर्जा खपत (एमयू)	0.333	0.073	0.051	0.160	0.037	
		सीसी (3 प्रतिशत)	36.152	39.017	31.074	27.611	13.901
		कुल	36.485	39.090	31.125	27.771	13.938
6	सहायक ऊर्जा की अधिक खपत (एमयू) [2-5]	7.166	---	0.781	4.192	7.266	
7	प्रति यूनिट परिवर्तनशील लागत (₹)***	3.10	3.67	3.65	4.57	4.04	
8	वित्तीय हानि (₹ करोड़ में) ($6 \times 7 \div 10$)	2.22	---	0.29	1.92	2.94	
कुल		₹ 7.37 करोड़ के मूल्य की 19.405 एमयू					

*स्टे.लो.डि.से. द्वारा प्रमाणित

**इसमें सितम्बर 2015 तक स्टे.लो.डि.से. द्वारा प्रमाणित और अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक गै.ट.पॉ.स्टे. की सांख्यिकी के अनुसार आंकड़े सम्मिलित हैं

***लागत जिस पर ऊर्जा बिलों की विलिंग हुई (लेखापरीक्षित इकाई द्वारा प्रदान की गई)

ग. प्रगति पॉवर स्टेशन-III, बवाना में अधिक सहायक ऊर्जा खपत

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	ओसी उत्पादन (एमयू)	190.905*	42.293*	3.560*	4.984*	4.148**
	सीसी उत्पादन (एमयू)	00	1,371.053	638.874	2,229.156	1,906.872
	सकल उत्पादन (एमयू)	190.905	1,413.346	642.434	2,234.140	1,911.020
2	सहायक ऊर्जा की वास्तविक खपत (एमयू)	3.183	48.779	36.900	78.060	74.703
3	निवल उत्पादन (एमयू) [1-2]	187.723	1,364.567	605.534	2,156.080	1,836.317
4	वास्तविक सहायक ऊर्जा की खपत से सकल उत्पादन का प्रतिशत ($2 \div 1 \times 100$)	1.67	3.45	5.74	3.49	3.91
5	के.वि.आ. द्वारा अनुमत्य सहायक ऊर्जा की खपत (एमयू)	ओसी (1 प्रतिशत)	1.909	0.423	0.036	0.050
		सीसी (3 प्रतिशत 2011-12 से 2013-14 और 2.5 प्रतिशत 2014-15 से 2015-16)	0.000	41.132	19.166	55.729
		कुल	1.909	41.555	19.202	55.779
6	सहायक ऊर्जा की अधिक खपत (एमयू) [2.5]	1.274	7.224	17.698	22.281	26.990
7	प्रति यूनिट परिवर्तनशील लागत (₹)***	4.38	2.87	2.84	3.08	2.86
8	वित्तीय हानि (₹ करोड़ में) (6×7) / 10	0.56	2.07	5.03	6.86	7.71
कुल		₹ 22.23 करोड़ के मूल्य की 75.467 एमयू				

कुल योग क+ख+ग = ₹ 48.04 करोड़ के मूल्य की 154.75 एमयू

* स्टे.लो.डि.से. द्वारा प्रमाणित

** इसमें सितम्बर 2015 तक स्टे.लो.डि.से. द्वारा प्रमाणित और अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक प्र.पॉ.स्टे. -III, बवाना के अनुसार आंकड़े सम्मिलित

*** लागत जिस पर ऊर्जा बिलों की विलिंग हुई (लेखापरीक्षित इकाई द्वारा प्रदान की गई)

अनुलग्नक 2.9

दिल्ली वित्तीय निगम के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों का सारांश

(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ लाख में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
देयताएं			
पूँजी	2,629.75	2,635.75	2,641.75
आरक्षित	4,679.90	4,499.25	4,778.75
उधार	5,698.83	5,133.33	4,700.00
प्रावधान एवं अन्य देयताएं	2,473.41	2,595.77	2,972.87
कुल देयताएं	15,481.90	14,864.10	15,093.37
परिसम्पत्तियां			
ऋण एवं अग्रिम	13,481.95	11,050.97	11,955.22
वर्ष के दौरान पुनरांकित किए गए एनपीए के प्रावधान	(853.14)	(833.43)	(663.41)
नकद एवं बैंक शेष	1,274.51	3,114.25	2,551.90
स्थायी एवं अन्य परिसम्पत्तियां	1,578.57	15,32.31	1,249.67
कुल परिसम्पत्तियां	15,481.90	14,864.10	15,093.37
सकल आय			
(i) प्रचालन से आय	1,698.92	1,489.27	1,751.92
(ii) अन्य आय	199.96	210.58	173.92
व्यय	1,806.87	1,576.19	1,496.32
प्रचालनीय लाभ (कर से पूर्व लाभ, प्रावधान इत्यादि)	92.01	123.66	429.52
निवल लाभ	(19.31)	169.79	279.50